राजस्थान विधान सभा

१३ वीं बैठक, मंगलवार, दिनांक २२ मार्च, सन् १६५५ ई०

विधान सभा की बैठक, सभा भवन, जयपुर में ८ बज कर ४८ मिनिट (प्रातः) पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १४६

वर्तमान वर्ष में अस्थायी रूप से नये गजटेड ऑफिसर्स की नियुक्तियां

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सन् ५४-५५ के वर्ष में कितने नये व्यक्तियों को अस्थायी तौर पर गजटेड ऑफिसर्स नियुक्त किया गया ?

(ख) उक्त व्यक्तियों के नाम और उनकी योग्यतायें क्या हैं और उनकी नियुक्तियां कब-कब की गई ?

(ग) उक्त व्यक्तियों की नियुक्तियां किस आधार पर की गई और कितने समय के लिये की गई ?

(घ) उक्त व्यक्तियों में से किस-किस को पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कन्फर्म किया जा चुका है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—(क) ८५।

(ख, ग और घ) उनकी योग्यता आदि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है, जिसके स्तम्भ २, ३, ५, ६ में दी हुई है।

(~~कृपया परिशिष्ट १४~~ देखिये-)

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, जो सूची सदन की मेज पर रखी गई है, उसकी प्रति मुझको नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष—उसकी प्रति आप आज ले लीजिये, सवाल आप कल कर लीजियेगा।

Page No.2

प्रश्न संख्या १५०

वर्तमान वर्ष में एग्ज़िक्युटिव अधिकारियों का जुडिशियल साइड में स्थानान्तरण

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) चालू वर्ष में एग्ज़िक्युटिव साइड के कितने ऑफिसरों का तबादला जुडिशियल विभाग में किया गया?

(ख) उक्त ऑफिसरों के नाम व योग्यता और लेंग्थ ऑफ सर्विस कितनी है?

(ग) उक्त बतादलों के क्या कारण हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—

(क) तीन।

(ख) उनके नाम-श्री सम्पतराय माथुर बी. ए., एल एल. बी., सेवाकाल १३ वर्ष ५ माह २८ दिन।

श्री द्वारकादास बजाज बी. ए., एल एल. बी., सेवाकाल ७ वर्ष ५ महीने।

श्री हेमराज बाड़मेरा, बी. ए., एल एल. बी., सेवाकाल ५ वर्ष ८ महीने २५ दिन।

(ग) आर. जे. एस. केडर के ऑफिसरों की कमी को दूर करने के लिए उन आर. ए. एस. ऑफिसरों को, जो कि आर. जे. एस. में भी चुने गये थे, फिर एक बार आर. जे. एस. के लिये चुनाव रिऑप्ट करने का अवसर दिया गया। उपरोक्त आर. ए. एस. ऑफिसरों को, उनके द्वारा आर. जे. एस. को रिऑप्ट करने पर, जुडिशियल विभाग में तब्दील किया गया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या इन अधिकारियों ने स्वयं आर. जे. एस. में बैठने के लिये और जुडिशियल विभाग में ट्रान्सफर करने के लिये इच्छा प्रकट की थी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी हां, ऐसा ही मानना चाहिये।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जुडिशियल ऑफिसरों की कमी नहीं थी। उनकी संख्या कुछ अधिक ही थी? क्या इसी दृष्टि से जुडिशियरी के कुछ आधिकारियों को एग्ज़िक्युटिव साइड में ट्रान्सफर किया गया?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपके आर. जे. एस. से आर. ए. एस. में कितने व्यक्तियों का ट्रान्सफर किया, इसका जवाब मैं दे चुका हूं।

श्री चान्दमल मेहता—मेरा प्रश्न यह है कि आपने आर. ए. एस. में जितने ऑफिसर्स आर. जे. एस. से लिये यह तो बता दिया, लेकिन आर. जे. एस. से भी आर. ए. एस में कोई लिया गया क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरी जानकारी में इस वक्त यह बात नहीं है।

प्रश्न संख्या १५१

राजस्थान में फिजिक्स केमिस्ट्री इत्यादि विषयों में रिसर्च-सुविधाओं की उपलब्धि

श्री जवानसिंह—Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) Is it a fact that there are no research facilities provided for Physics, Chemistry and other subjects in Rajasthan ?

(b) Is the Government contemplating to provide this facility to deserving students in Rajasthan ?

(c) If so, when and in what subjects ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल (उप मंत्रिणी)—

(a) No.

(b) The question does not arise since research facilities exist in some of the Collages.

(c) The question does not arise.

श्री जवानसिंह—In which colleges these facilities are available ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—The following are the Colleges in which these facilities exist in Rajasthan :—

College	Subjects
(1) Jaswant College, Jodhpur. (2) Birla College, Pilani.	Botany; Zoology and Chemistry.
(3) Maharaja's College, Jaipur. (4) Birla College, Pilani.	Physics.
(5) Maharana Bhupal College, Udaipur. (6) University Department of Geology C/o. Maharana Bhupal College, Udaipur.	Geology.

Page No.4

श्री जवानसिंह—It there any College where these facilities do not exist ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—Other than those just mentioned by me.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—Rest of the Colleges.

प्रश्न संख्या १५२

राजस्थान में बहुमुखी स्कूल योजनाओं का निर्माण

श्री जवानसिंह—Will the Minister for Education be pleased to answer:—

(a) Is the Government contemplating to introduce 'Multi-purpose Schools' Scheme in Rajasthan ?

(b) If so, when will this scheme materialise ?

(c) How many ordinary schools are to be changed into Multi-purpose schools at the first instance and how many in Sirohi District and at what places ?

(d) What lifferent purposes does the Government contemplate to serve through these schools ?

(e) What additional expenses has the Government in mind to incur in this direction ?

(f) How much amount has been sanctioned by the Central Government and what is the contribution of Rajasthan Covernment for this purpose ?

श्रीमती कुमारी बेनीवाल (उप मंत्रिणी)—

(ए) हां।

(बी) इस स्कीम को आगामी वर्ष में चालू करने की योजना है।

(सी) २५ संस्थाओं को मल्टी-पर्पज़ हाई स्कूलों में परिवर्तित करने की योजना है। सिरोही जिले में किसी संस्था को परिवर्तित नहीं किया जा रहा है।

(डी) इन संस्थाओं में सरकार की योजना कुछ एक टेक्निकल विषय प्रारम्भ करने की है, जिससे विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् रोजी कमाने के लायक बन सकें।

(ई) इस कार्य के लिये ४६,८२,५०० रुपये की रकम खर्च करने की स्वीकृति हुई है।

(एफ) इस स्कीम को लागू करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा ३०,९०,४५० रुपये व राजस्थान सरकार द्वारा १५,९२,०५० रुपये मंजूर हुए हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—राजस्थान में उन स्कूलों को कायम करने के लिए किन किन विशेष मुद्दों का खयाल रखा गया है ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—उस इलाके में स्कूलों की आवश्यकता और स्कूलों की वहां की आज तक की जो प्रगति और बच्चों की स्टेंग्थ एवं प्रवृत्ति देखते हुए।

श्री कंवरलाल जेलिया—मेरी मंशा यह थी कि अलग-अलग तहसीलों में बंटवारा किन विशेषताओं को देखते हुए रखा जावेगा, इसका खुलासा करिये।

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—मैंने आपको बताया अभी कि अलग अलग स्कूलों की स्ट्रेंग्थ, उनकी आवश्यकता और जो उनकी अब तक की चली आ रही प्रगति है, उसको देखते हुए किया गया है।

श्री कंवरलाल जेलिया—ऐसी कौन-कौन सी कितनी स्कूलें हैं, कृपया उनकी सूची देने की कृपा करें।

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—यह अलग प्रश्न है। सूची मांगी जावेगी तो सदन की मेज पर रख दी जावेगी।

श्री कंवरलाल जेलिया—सरकार-पहले से जहां अच्छी प्रगति है और सुविधाएं हैं, वहां तो ये स्कूलें खोलकर और प्रगति की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रही है, पर जहां ऐसी सुविधाएं नहीं हैं; वहां के लिए सरकार क्या कोई ख्याल नहीं रखना चाहती ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—मल्टी-पर्पज़ हाई स्कूल की सुविधा और कहीं नहीं है। यह पहली ही शुरूआत है।

श्री जवानसिंह—तो क्या यह समझा जावे कि सिरोही जिले में ऐसी कोई एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन नहीं है, जहां मल्टी-पर्पज़ स्कूल की स्कीम ली जावे ?

श्रमती कमला कुमारी बेनीवाल—वहां इन्टर कॉलेज है।

श्री जवानसिंह—यह मल्टी-पर्पज़ स्कूल्स कहां कहां खोली जावेंगी और इसका आधार क्या है, कृपया यह बताइये ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—यह तो गजट में निकल गई है सूची।

श्री जवानसिंह—आधार नहीं बतलाया आपने ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—अभी एक उत्तर के जवाब में मैं यह भी बता चुकी हूं।

श्री कंवरलाल जेलिया—वह तो टालने जैसा जवाब था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह टालने का है या समझने का है, यह तो आपके देखने का है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १५३

जिला जयपुर के राजस्व विभाग में भूतपूर्व राजस्थान के सीनियर क्लर्कों को जूनियर क्लर्की में फिक्स करना

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर डिस्ट्रिक्ट के राजस्व विभाग में ऐसे कौन-कौन क्लर्क हैं, जिन्हें भूतपूर्व राजस्थान में यु० डी० सी० ग्रेड की तनख्वाह मिल रही थी, लेकिन राजस्थान के निर्माण के बाद उन्हें एल० डी० सी० ग्रेड में फिक्स किया गया है?

(२) उक्त व्यक्तियों के नाम, योग्यताएं और लेंग्थ ऑफ सर्विस कितनी है और कितनी-कितनी तनख्वाहें मिल रही हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—(१) जयपुर जिले में ऐसा केवल एक व्यक्ति है।

(२) उनका नाम श्री विष्णुदत्त बोहरा, योग्यता इन्टरमीजिएट और सेवाकाल १-१-५० को ६ वर्ष ६ महीने और वेतन ८५ रुपया मासिक मिल रहा है।

श्री चांदमल मेहता—तो फिर क्या यह सिलेक्शन कर लिया गया?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां, इसकी लिस्ट भी प्रकाशित हो चुकी है। आप चाहेंगे तो इसकी लिस्ट सदन की मेज पर रख दी जावेगी।

श्री चांदमल मेहता—इस व्यक्ति को अपर डिविजन में नहीं रखने का क्या कारण है?

श्री दामोदरलाल व्यास—यु० डी० सी० में आने के लिए यु० डी० सी० की तनख्वाह के अतिरिक्त पांच साल की सर्विस भी होनी आवश्यक है। उसकी नियुक्ति के बाद १-१-५० को पांच साल की सर्विस होती नहीं थी।

श्री चांदमल मेहता—यह क्राइटेरिया किसने मुकर्रर किया था पांच साल का?

श्री दामोदरलाल व्यास—राजस्थान सरकार ने।

श्री चांदमल मेहता—क्या इन्टिग्रेशन विभाग ने अपनी ओर से क्राइटेरिया जो मुकर्रर किया वह तो नहीं है?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

Page No.7

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ऐसी बात है कि माननीय मन्त्री महोदय को अगर जानकारी नहीं है तो उनको जानकारी लेकर उसकी तैयारी करके आना चाहिये था।

श्री दामोदरलाल व्यास—सरकार की ओर से यह विज्ञप्ति निकल गई।

श्री अध्यक्ष—If the Hon'ble Member has any grievance against the inadequacy of the reply, he can table a motion for half-an-hour discussion.

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि यह क्राइटेरिया मुकर्रर होने के पहले भूतपूर्व राजस्थान सरकार के जितने भी यु० डी० सी० क्लर्क थे, उनको यु० डी० सी० की ग्रेड में रखने की सिफारिश की गई थी?

श्री दामोदर लाल व्यास—जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—अगर माननीय मन्त्री महोदय के समक्ष इस तरह की जानकारी दी जावे, जिसमें इन्टिग्रेशन के आदेश के बाद में इस तरह की सिफारिश की गई है तो क्या माननीय मन्त्री महोदय उनको यु० डी० सी० में रखने को तैयार हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—इन्डिविजुअल केस पर मेरिट्स पर विचार किया जावेगा।

श्री चांदमल मेहता—जिन व्यक्तियों को कलेक्टर जयपुर ने यु० डी० सी० में लिया, उनमें मिडिल ग्रेड के आदमी भी आते हैं और वे व्यक्ति भी आते हैं, जिन्हें ३० और ३५ रुपया तनख्वाह मिलती है?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं, नहीं आते हैं। वे ही लिये गये हैं जिनको पांच साल का अनुभव था।

श्री चांदमल मेहता—पर क्या इस तरह की सूचना अगर माननीय मन्त्री महोदय की सेवा में दी जाय कि जिनका पांच साल का अनुभव नहीं है पर फिर भी उनको यु० डी० सी० में ले लिया गया है तो क्या उनको वापिस एल० डी० सी० में करने की कार्यवाही करने का सरकार का विचार है?

श्री दामोदरलाल व्यास—अगर इस तरह की मिसाल आप ध्यान में लावेंगे तो अवश्य कार्यवाही की जावेगी।

प्रश्न संख्या १५४

राजस्थान में राजस्व-निरीक्षकों का चुनाव

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

Page No.8

[श्री चांदमल मेहता]

(१) राजस्थान में क्या रेवेन्यु इन्सपेक्टर्स का सिलेक्शन हो चुका है ?

(२) यदि हां, तो उनका सिलेक्शन किस आधार पर किया गया है ?

(३) जयपुर डिस्ट्रिक्ट के ऐसे कितने रेवेन्यु इन्सपेक्टर्स हैं, जो इस सिलेक्शन में नह आ सके हैं ?

(४) उक्त इन्सपेक्टर्स के नाम, योग्यताएं. लेंग्थ ऑफ सर्विस और मौजूदा तनख्वाहें क्या हैं ?

(५) उक्त इन्सपेक्टर्स में से कितनों ने रिप्रेजेन्टेशन्स कर रखा है ?

(६) क्या यह सही है कि अभी तक उन रिप्रेजेन्टेशन्स का फैसला नहीं किया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(१) जी नहीं। चुनाव कार्य कमिश्नरों द्वारा किया जा रहा है ।

(२) इनके चुनाव के नियम राजस्थान राजपत्र दिनांक ११।२।५४ में प्रकाशित किये जा चुके हैं।

(३) नौ।

(४) इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(५) लगभग सब ही ने कर रखा है।

(६) चूंकि नियमों में संशोधन किया जा रहा है इसलिए इन प्रार्थना-पत्रों पर पुनर्विचार किया जावेगा।

श्री चांदमल मेहता—यह कब तक कर दिया जावेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जल्दी।

श्री अध्यक्ष—सूची मिल गई आपको ?

श्री चांदमल मेहता—जी, मिल गई।

श्री कंवरलाल जेलिया—रिप्रेजेन्टेशन्स हुए, इसका कारण क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह तो आप करने वालों से पूछिये।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १५५

गंगानगर जिले में एक वर्ष से अधिक समय के लिये एक मुरब्बे से अधिक भूमि का दिया जाना

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या राजस्व-मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) गंगानगर जिले में एक साल से अधिक समय के लिये कितने लोगों को १ मुरब्बे से अधिक भूमि मिली हुई है और वह किस नियम के अनुसार है ?

(ख) क्या सरकार इसे केन्सिल करके भूमिहीन किसानों को भूमि देगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) यदि ऐसी कोई सूचना दी जाय तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या कोई ऐसा कानून है कि एक साल से ज्यादा अर्से के लिए किसी को जमीन दी जा सकती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास--किस इलाके के लिए आप पूछ रहे हैं ?

अगर आप गंगानगर के लिए कहते हैं तो उस नहरी इलाके में जमीन का टेम्परेरी अलॉटमेन्ट इयर टू इयर होता है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—तो अगर कोई ऐसा वाकया सरकार के ध्यान में लाया जावेगा कि जिसको एक साल से अधिक समय के लिए जमीन अलॉट की गई है तो क्या उसकी जमीन केन्सिल कर दी जावेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जरूर।

श्री अध्यक्ष--डेफीनिट सवाल पूछिये। कॉन्टिन्जेन्सी की बात क्यों करते हैं ?
नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या १५६

वर्तमान वर्ष गंग केनाल के रकबों का नियतन

श्री धर्मपाल पंवार--क्या राजस्व मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे:—

जिला गंगानगर में गंग केनाल का रकबा जिसका इस वर्ष (१६५५ में) परमेनेन्ट अलॉटमेन्ट किया जा रहा है, वह कितना है ? कृपया तहसीलवार बताने का कष्ट करें।

(अ) तहसीलवार कुल कितने प्रार्थना-पत्र इस रकबे को हासिल करने के लिए आये हैं और उनमें से हरिजनों के कितने प्रतिशत हैं ?

[श्री धर्मपाल पंवार]

(आ) किन अधिनियमों के अंतर्गत यह भूमि अलॉट की जा रही है ?

(इ) क्या इन नियमों के अंतर्गत वहां के हरिजनों को जो प्रतिशत बताया गया है, उसके मुताबिक उन्हें भूमि मिल जायगी ? यदि नहीं तो क्या सरकार इन अधिनियमों में संशोधन करने का इरादा रखती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सन् १९५४-५५ में जिला गंगानगर में गंग के नाल क्षेत्र में मुस्तकिल अलॉटमेन्ट के लिए कुल रकबा इस प्रकार है:—

नहरी १,१४,८१० बीघा

बारानीं १,०९,६७५ बीघा

तहसीलवार ब्यौरा प्राप्त नहीं हो सका। इसमें से इस वर्ष आरजी कांश्त पर निम्न रकबा दे दिया है:—

नहरी १,०६,६५७ बीघा

बारानी ८२,६६३ बीघा

(अ) सूचना प्राप्त नहीं हो सकी।

(आ) इसके नियम राजस्थान राजपत्र दिनांक-२२ जनवरी, १९५५ में प्रकाशित हो चुके हैं।

(इ) जी हां, संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री धर्मपाल पंवार—राजपत्र में जो नियम प्रकाशित हुए हैं, उनके आधार पर हरिजनों को क्या प्राथमिकता दी जावेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—लैंडलैस को प्राथमिकता दी जावेगी, इनमें अगर हरिजन भी हैं तो उनको भी दी जावेगी।

श्री कंवरलाल जेलिया—भूमि का अलॉटमेन्ट करते समय हरिजनों के लिए कुछ प्रतिशत रखा गया था, क्या यह सही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अगर लैंडलैस होंगे तो उनके लिए कुछ रिज़र्वेशन कर रखा है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या उस भूमि की कीमत वसूल करते वक्त वहां की आमदनी का ख्याल रखा जायगा जो कि सालाना वहां होती है ?

Page No.11

श्री दामोदरलाल व्यास—किसकी आमदनी ?

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—उस भूमि की कीमत वसूल करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जायगा कि उस जमीन से कितनी आमदनी होती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—प्राइसेज़ फिक्स कर दी गई हैं, वह कुछ न कुछ इन्स्टालमेंट में वसूल किया जायगा।

श्रीगुरुदयालसिंह सन्धु—क्या आप मुनासिब समझते हैं कि वे लोग कीमत दे सकते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह सब ध्यान में रखकर ही प्राइसेज़ फिक्स की गई हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—यह साबित हो जाय कि वे इतनी कीमतें नहीं दे सकते हैं, उस हालत में सरकार क्या करेगी ?

श्री अध्यक्ष—साबित तो करिये आप।

श्री धर्मपाल पंवार—हरिजनों को वहां कोई जमीन दी गई है ?

श्री कंवरलाल जेलिया—जिस अनुपात में इन भूमिहीन किसानों की वहां आबादी है; उस अनुपात को देखते हुए जो प्रतिशत रखा है, क्या वह पर्याप्त है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—बल्कि ज्यादा है।

श्री कंवरलाल जेलिया—१० प्रतिशत कैसे ज्यादा है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या १२७

वर्तमान वर्ष में कुटीर उद्योगों के लिये शासकीय अर्थ-सहायता

श्री चान्दमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये चालू वर्ष में सरकार द्वारा कितने रुपये सहायतार्थ दिये गये हैं ?

(२) उक्त रुपये किस-किस को, किस उद्योग के लिये व किन शर्तों पर दिये गये हैं ?

(३) जिन उद्योगों को रकम सहायतार्थ दी गई, उनकी इस वक्त क्या हालत है ?

(४) भारत सरकार द्वारा कितने रुपये इस वर्ष कुटीर उद्योगों के लिए मिले हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मन्त्री)—(१) १०,००० रु० खादी भण्डार, जोधपुर को खादी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये......।

श्री चान्दमल मेहता—आवाज नहीं आ रही है।

श्री भोगीलाल पंड्या—आ जायगी।

(१) १०,००० रुपये खादी भंडार, जोधपुर को खादी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये इस शर्त पर दिये गये हैं कि वे यह रुपया इसी काम पर खर्च करेंगे। इस रकम का पूरा हिसाब इस विभाग को देंगे।

(२) ५,००० रु० ग्रामोद्योग समिति बांसवाड़ा को, ग्रामोद्योग विलेज इन्स्ट्रीज़ की उन्नति के लिये, ऊपर लिखी शर्त पर दिये गये।

(३) दोनों का काम ठीक चल रहा है।

(४) भारत सरकार द्वारा इस वर्ष हाथ-करघा उद्योग की उन्नति के लिये ४,०६,७४० रुपये और कुटीर उद्योग के लिये १,७०,००० रुपये। कुल ५,७६,७४० रुपये मिलने की सूचना प्राप्त हुई है।

प्रश्न संख्या १५८

राजस्थान में वुलन मिल खोलने की स्वीकृति

श्री चान्दमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर में वुलन मिल खोलने की सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई है ?

(२) यदि हां, तो उक्त स्वीकृति कब, किसको और किन शर्तों पर दी गई है ?

(३) वुलन-मिल लगाने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हो चुकी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(१) नहीं।

(२) और (३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चान्दमल मेहता—क्या यह सही है कि पिछले सेशन में यह बतलाया गया था कि जयपुर में एक वुलन मिल खोलने की कोई इजाजत दी गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं, मेरे ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री चान्दमल मेहता—क्या राजस्थान में कहीं भी वुलन मिल खोलने की इजाजत दी गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इजाजत नहीं दी गई है। प्रार्थनापत्र जरूर आये हैं।

श्री चान्दमल मेहता—किसके प्रार्थनापत्र आये हैं और कहां के लिए हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—एक तो मेसर्स साहिबचन्द सुराणा ब्यावर वालों का है। वह सेंदड़ा में वुलन मिल खोलना चाहते हैं। दूसरा मेसर्स बी० मुरारका, ७ लायन्स रेन्ज, कलकत्ता का भी आया है फैज केप बनाने के लिए। इस तरह और एक-दो एप्लीकेशन हैं। मि० एम० एस० सोढ़ानी की भी आई।

श्री चान्दमल मेहता—ये प्रार्थनापत्र कब से विचाराधीन हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जब से आये, तब से।

श्री चान्दमल मेहता—कोई बताने की स्थिति में हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अलग-अलग तारीखें हैं। जिस दिन से प्रार्थनापत्र आये हैं; उन पर उचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री चान्दमल मेहता—वह उचित कार्यवाही क्या है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—उन्होंने कुछ सुविधाएं चाही हैं। जो सुविधाएं सरकार दे सकती थी, वे उनको दी गईं। इसके बाद भी और सुविधाएं चाहते हैं, उनकी चर्चाएं चल रही हैं।

श्री चान्दमल मेहता—ये चर्चाएं कब तक खत्म हो जायंगीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—कुछ सुविधाएं मांगी हैं, वे उनको मिल जायगीं तो उनको सन्तोष हो जायगा। उस दिन वह खत्म हो जायगी।

श्री चान्दमल मेहता—ये सुविधाएं कौन-सी हैं, जिनके बारे में सरकार और उनके बीच में मतभेद है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार से आर्थिक सहायता मांगी और सरकार आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझती।

प्रश्न संख्या १५६

राजस्थान में दिसम्बर १९५४ तक जागीरदारों के खुदकाश्त भूमि के लिए आवेदन-पत्र

श्री जगतसिंह झाला—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

Page No.14

[श्री जगतसिंह झाला]

(अ) राजस्थान के किस-किस डिविजन से कितने-कितने जागीरदारों के ३१ दिसम्बर, १९५४ तक खुदकाश्त भूमि दिलाई जाने के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ?

(आ) उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(इ) क्या अब तक कुछ जागीरदारों को भूमि दिलाई भी गई है ?

(ई) यदि हां, तो किन-किन को व कहां-कहां पर ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(अ) ३१ दिसम्बर, १९५४ तक खुदकाश्त भूमि प्राप्ति के लिये जो प्रार्थना-पत्र आये हैं, उनकी संख्या डिविजनवार इस प्रकार है :—

जयपुर	उदयपुर	बीकानेर	कोटा	जोधपुर
११०७	१०९	२८	१५	४५

(आ) इन आवेदन-पत्रों को सम्बन्धित कलेक्टरों के पास जांच और तस्दीक के लिये भेजा जा चुका है, जिनकी तस्दीक की जा चुकी है। उनको खुदकाश्त के हेतु भूमि दी जाने की आज्ञा दी जा चुकी है।

(इ) जी हां।

(ई) आमेर के २८ भोमियान को बीड खांतीपुरा, तहसील जयपुर में भूमि दी गई है। अन्य २९४ जागीरदारों को भी भाखरा योजना में भूमि देने की आज्ञा प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जिला बांसवाड़ा में भी दो जागीरदारों को खुदकाश्त के लिये भूमि देने की आज्ञा दी जा चुकी है।

श्री जगतसिंह झाला—क्या गोचर भूमि को छोड़ने का निश्चय हो जाने के बाद यह भूमि दी जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जहां इस प्रकार का प्रश्न उससे जुड़ा हुआ होगा वहां।

प्रश्न संख्या १६०

आगामी पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला गंगानगर में किये जाने वाले कार्य

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या योजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

आगामी पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्थान सरकार जिला गंगानगर के नहरी क्षेत्र में क्या-क्या कार्य करना चाहती है ?

Page No.15

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—आगामी पञ्चवर्षीय योजना में कराये जाने वाले कार्यों के विषय में अभी तक विचार हो रहा है। इस बात के अन्तिम निर्णय का अभी प्रश्न खड़ा नहीं होता।

प्रश्न संख्या १६१

मुख्य मंत्री की कुछ अधिकारियों के साथ कलकत्ता-यात्रा

श्री जगतसिंह झाला—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि अभी हाल में ही मुख्य मंत्री कलकत्ता गये थे ?

(ख) आपके साथ में और कौन-कौन मंत्री व अन्य सरकारी व गैर सरकारी लोग थे ?

(ग) क्या यह टूर सरकारी थी या व्यक्तिगत ?

(घ) अगर यह टूर सरकारी थी तो क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां पर राजस्थान के हित के लिये क्या-क्या काम किये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—
(क) हां।

(ख) मंत्री, रसद विभाग व मुख्य मंत्री के निजी सचिव एवं सहायक साथ गये थे।

(ग) सफर सरकारी था।

(घ) राजस्थान वित्त निगम, अल्प बचत योजना, रूरल वाटर सप्लाई एवं राजस्थान के औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में वहां बातचीत की गई।

श्री जगतसिंह झाला—इसमें कितना सरफा हुआ सरकारी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसमें आने-जाने का जो खर्चा था, वह हुआ।

श्री जगतसिंह झाला—निश्चित रकम नहीं बताई जा सकती है क्या ? इस टूर में क्या खर्चा हुआ, यह बताया जाना चाहिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—निश्चित रकम के लिए अलग से पूछे जाने पर मैं बता सकता हूं। अभी याद नहीं।

Page No.16

प्रश्न संख्या १६२

जिला बूंदी में सन १९४८ के पश्चात् इस वर्ष रसूम पटेलान न मिलना

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि जिला बूंदी में १९४८ के बाद जागीर इलाके में रसूम पटेलान नहीं मिली है ?

(ख) क्या सरकार तहसीलवार यह ब्यौरा देगी कि किस-किस जागीर के ग्राम में रसूम पटेलाई इस साल तक दे दी है और किस ग्राम में बाकी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कुछ जागीर के गांवों में रसूम पटेलान दे दी गई है और कुछ में नहीं, जिनकी सूची इस प्रकार है ; माननीय सदस्य को कॉपी मिल गई हो तो सूची को नहीं पढ़ूं ।

महाराज श्री केसरीसिंह—मिल गई है ।

श्री दामोदरलाल व्यास—इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट '३' देखिये)

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि सन् ५२-५३ के पहले व ५३-५४ के बाद में तहसील नेनवा के अन्दर रसूम पटेलान दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जागीर के रिजम्पशन के पहले पटेलों को जागीरदार रसूम पटेलान दिया करते थे । जब जागीरों का इन्तजाम सरकार ने ले लिया तो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ सरकार लेती थी; उसमें रसूम पटेलान देने के लिए आदेश दे दिया है । कुछ पटेलों की नियुक्ति नहीं हुई और कुछ पटेलों ने दिलचस्पी नहीं ली काम में तो उनको नहीं मिला । जिनकी नियुक्ति हो गई है और जिन्होंने काम अन्जाम दिया उनको रसूम पटेलान दी गई है ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—यह कौन-सी रकम है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह रसूम पटेलान है ; पटेलाई का काम करने के लिए दी जाती है ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या जागीरदारों के जो पटेल थे लेकिन जब जागीरें जा रही थीं तो पटेलाई दूसरों को दे दी ।

श्री दामोदरलाल व्यास—ऐसी कोई सूचना नहीं है कि एक को हटाकर दूसरे को बनाया गया । अब कोई सूचना दी गई है तो अलग से प्रश्न कर सकते हैं ।

Page No.17

महाराज श्री केसरीसिंह—किन पटेलों ने दिलचस्पी नहीं ली ?

श्री दामोदरलाल व्यास—उसकी सूची रख दी गई है।

उसके अलावा जहां कुछ रह गये हैं, वहां कुछ गांवों में पटेलों की नियुक्तियां नहीं हुई हैं और कुछ गांव ऐसे हैं जहां कि पटेलों ने काम नहीं किया।

महाराज श्री केसरीसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि तहसील तालेरा के अन्दर ४८ से ५४ तक की रसूम पटेलान दी गई है, लेकिन तहसील नेनवा में सन् ५२ से ५४ तक दी जा चुकी है, तो क्या कारण है कि सन् ५२ से पहले की नहीं दी गई है ?

श्री ईश्वरीसिंह—ऐसे ही सीकर जिले में २ साल से...

(हंसी)

श्री कपिलदेव अग्रवाल—अभी एक तहसील को तो ले लेने दो।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या माननीय मंत्रीजी यह बतलायेंगे कि तहसील तालेरा में जो बूंदी जिला में है, सन् ४८ से ५४ तक रसूम पटेलान दी गई है और नेनवा में ५२ से ५४ तक दी गई, ऐसा स्टेटमेन्ट से मालूम होता है तो क्या कारण है कि नेनवा में सन् ५२ से पहले नहीं दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह कहां बताया है कि पहले की नहीं दी गई। इस सूची में जिस साल तक दी जा चुकी है वह दर्ज है। पिछले सालों के बारे में अलग प्रश्न पूछेंगे तो बताया जायगा।

महाराज श्री केसरीसिंह—माननीय अध्यक्ष, इस सूची में यह बताया है कि सन् ५२ से दी गई है।

श्री अध्यक्ष—और आपने सवाल ४८ से पूछा है ?

महाराज श्री केसरीसिंह—जी हां। इन्होंने ५२, ५३ और ५४ के बारे में बताया है।

श्री अध्यक्ष—४८ के बाद ४९, ५० और ५१ भी आते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—मेरे पास इनके बारे में सूचना नहीं है।

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

महाराज श्री केसरीसिंह—माननीय अध्यक्ष, मुझे प्रश्न पूछने का अधिकार पहले मिलना चाहिये क्योंकि मेरा प्रश्न है।

सन् ४९ के लिये सरकार को क्या कहना है ?

Page No.18

श्री अध्यक्ष--सन् ४६, ५० और ५१ की सालों के लिये क्या कहना है ?

श्री दामोदरलाल व्यास--अलग-अलग सालों के बारे में स्टेटमेन्ट में दर्ज है।

महाराज श्री केसरीसिंह--स्टेटमेन्ट बिलकुल स्पष्ट है और मेरा प्रश्न भी ठीक है। इसका जवाब दिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास--तहसील नेनवा की अलग सूची नहीं है। जो गांव जागीर के थे, उनमें जिन-जिन पटेलों को रसूम पटेलान मिल चुकी है उसकी सूचना इसमें दर्ज है।

महाराज श्री केसरीसिंह--मैं कुछ गांवों के लिये नहीं पूछ रहा हूं। नेनवा तहसील में सन् ४८ से ५२ तक यह रसूम दी गई है या नहीं, इसकी सूचना पूछ रहा हूं ?

श्री दामोदरलाल व्यास--मैंने अर्ज किया कि नेनवा में सन् ५२, ५३ और ५४ में दी जा चुकी है। सन् ५२ से पहले कुछ पटेलों की नियुक्ति नहीं हुई थी, इसलिये उनको रसूम पटेलान मिलने का हक नहीं दिया गया।

महाराज श्री केसरीसिंह--क्या सारी तहसील में काम नहीं किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास--ऐसा ही मालूम होता है।

महाराज श्री केसरीसिंह--क्या आधार है सरकार के पास यह बात कहने का ?

श्री दामोदरलाल व्यास--ऐसी सूचना आई है।

(श्री कंवरलाल जेलिया बोलने के लिये खड़े हुए)

महाराज श्री केसरीसिंह--अध्यक्ष महोदय, मुझे मौका दीजिये।

पटेलों ने काम नहीं किया तो काम किसने किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास--तहसीलदार ने काम किसी से कराया होगा, इसके लिये आप अलग सूचना पूछ सकते हैं।

महाराज श्री केसरीसिंह--एक जिले में २ तहसीलें हैं, उनको बार-बार छोड़ दिया गया; बूंदी और पाटन में से एक को भी नहीं मिला।

श्री दामोदरलाल व्यास--जिनको नहीं मिला, उसके दो कारण हैं--एक तो यह कि किसी की नियुक्ति ही नहीं हुई हो और दूसरा यह कि उन्होंने काम नहीं किया हो।

Page No.19

महाराज श्री केसरीसिंह--मुझे बड़ा आश्चर्य है कि पूरी दो तहसीलों में काम नहीं हुआ और एक कौड़ी भी वसूल नहीं हुई। एक या दो गांव तो रह सकते हैं ; लेकिन पूरी तहसीलें ही कैसे गायब हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह आपकी दलील है। मैंने स्थिति बता दी है।

श्री कपिलदेव—सवाल यह है कि लगान की वसूली भी हुई या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—बराबर वसूली हुई। तहसीलदार ने वसूली कराई है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—बिना पटेल की नियुक्ति के किसके मार्फत हुई वसूली ?

श्री दामोदरलाल व्यास—तहसीलदार की मार्फत।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—किस एजेन्सी के द्वारा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—तहसीलदार के द्वारा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा--बूंदी के बारे में कुछ जानकारी मैं भी देना चाहता हूं। सेटलमेन्ट हो जाने के बाद रसूम पटेलान का कम रिवाज रहा गया और बहुत कम गांवों में यह रिवाज रह गया है। सेटलमेन्ट से पहले इसका रिवाज था। बाद में जिनको पटेलाई मिली थी उनके पास या तो माफी की जमीन थी या उनसे उनकी जमीन का लगान कम लिया जाता था।

महाराज श्री केसरीसिंह—मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बूंदी से आने वाले मंत्रीजी ने बिलकुल गलत स्टेटमेन्ट दिया है।

श्री अध्यक्ष--ये सिरोंज से आये हुए मंत्रीजी हैं।

महाराज श्री केसरीसिंह—सिरोंज के मानिये, लेकिन पहले बूंदी के हैं।

श्री अध्यक्ष—सवाल करिये या स्विच ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।

महाराज श्री केसरीसिंह—माननीय मंत्रीजी क्या यह बतायेंगे कि बूंदी में रसूम पटेलान जमीन से दी गई है या नकदी में ?

श्री दामोदरलाल व्यास—नकदी से दी जाने का आदेश है।

महाराज श्री केसरीसिंह—फिर माननीय मंत्रीजी ने कैसे फरमाया कि उनको जमीन माफी में दी गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास—कुछ जगह जब बन्दोबस्त नहीं था तब लगान की छूट थी।

महाराज श्री केसरीसिंह—बन्दोबस्त कब हुआ था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सूचना के लिये अलग से पूछ सकते हैं।

महाराज श्री केसरीसिंह—लिख कैसे दिया गया जबकि मैं अलग पूछूं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। अलग से मालूम करके बता सकता हूं।

प्रश्न संख्या १६३

अनाज के गिरते हुए भाव तथा चमड़ा, कपड़ा इत्यादि वस्तुओं के भावों में भी कमी

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या वाणिज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) गिरते हुए अनाज के भावों को सरकार किस प्रकार रोकने का विचार रखती है ?

(२) क्या सरकार चमड़ा, कपड़ा और रोजमर्रा काम आने वाली चीजों की दरों में भी कमी करने का विचार रखती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(१) भारत सरकार की ओर से जयपुर, टोंक, गंगापुर, बारां, कोटा, रामगंज मंडी इत्यादि मंडियों के ज्वार ५ रु० ८ आ० प्रति मन के भाव पर सीधे किसानों से खरीदने की राजस्थान सरकार ने व्यवस्था की है।

(२) अनाज के भाव सरकार ने सस्ते नहीं किये हैं अपितु वे स्वाभाविक रूप से अपने आप गिरे हैं। सरकार के सामने वर्तमान स्थिति में चमड़ा, कपड़ा व दैनिक आवश्यकता की चीजों के भावों में गिरावट लाने की कोई योजना नहीं है और न इन चीजों पर उसका नियंत्रण है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि यह योजना व्यवहार में नहीं आई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं समझ नहीं पाया।

श्री कंवरलाल जेलिया—माल खरीदने की जो भी व्यवस्था आपने की है, वह व्यवहार में आई है या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—व्यवहार में आई है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या जितना भी माल आयगा, वह सीधा किसानों से खरीद लिया जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसी हिदायत कर दी गई है कि सीधा ही लिया जाय।

श्री हिम्मतसिंह—कब से लिया जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—लिया जाना शुरू हो गया है।

श्री हिम्मतसिंह—कौनसी तारीख से ?

Page No.21

श्री भोगीलाल पंड्या—१८ तारीख से।

श्री हिम्मतसिंह—कितना गल्ला काश्तकारों ने पहले बेच दिया है?

श्री भोगीलाल पंड्या—हो सकता है, उनको जरूरत हुई हो तो पहले बेच दिया हो।

श्री हिम्मतसिंह—क्या मंत्रीजी को मालूम है कि ऐसी गाड़ियां कम आती हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या—काफी आती हैं।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या ऐसी व्यवस्था बूंदी में भी की गई है?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं। वहां अभी तक इसकी आवश्यकता अनुभव नहीं की गई है। जब आवश्यकता होगी तो मंडी खोली जायगी।

महाराज श्री केसरीसिंह—आवश्यकता का आधार क्या है?

श्री भोगीलाल पंड्या—जो अनाज बाहर से आता है, उसकी संख्या देखी जाती है कि रोज कितनी गाड़ियां आती हैं।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या सरकार को मालूम है कि २॥ रुपया मन ज्वार बिकती है?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार के पास ऐसी सूचना नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—सरकार के पास सूचना प्राप्त करने का साधन हैं या नहीं?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां, बराबर हैं तभी तो व्यवस्था करते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस दिशा में पूर्णतया असफल रहने से चंद स्थानों में यह कार्यवाही नहीं हो सकी है?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसी बात नहीं है। सरकार के पास बराबर सूचना आती है। लेकिन उसको रुपयों की भी व्यवस्था करनी होती है, तब खरीदा जा सकता है। यह बात नहीं है कि आज ही सूचना आई और आज ही व्यवस्था हो गई।

श्री चांदमल मेहता—क्या जयपुर में इसकी आवश्यकता नहीं है?

श्री भोगीलाल पंड्या—जयपुर में सस्ते दाम से अनाज नहीं मिल रहा है, इसलिये ऐसा करना शुरू नहीं किया। जब यह मालूम होगा, तब किया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—अब तक कुल कितना माल खरीद लिया है?

श्री भोगीलाल पंड्या—कोटा में १६२४ बोरी, बारां में ५७६ बोरी, टोंक में ६४० बोरी। इस तरह जितनी बोरियां रोज आती हैं, रोज खरीद ली जाती हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि काश्तकारों का जितना गल्ला बाजार में आता है, उतना नहीं खरीदा जाता है, बल्कि लिमिटेड तादाद में खरीदा जाता है।

श्री भोगीलाल पंड्या—एक बार फिर फरमावें।

श्री अध्यक्ष—क्या जितना गल्ला बाजार में आता है उतना नहीं खरीदा जाता, लिमिटेड खरीदा जाता है?

श्री भोगीलाल पंड्या—१८-१६ तारीख से खरीदना शुरू किया है। जितना आयगा सब खरीदा जायगा।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या मंत्रीजी जांच करेंगे कि बारां में ऐसा नहीं हुआ है?

श्री भोगीलाल पंड्या—बारां में मैंने इसके लिये स्पेशल ऑफिसर भेजा था। वहां ऐसी व्यवस्था है कि सब का सामान खरीदा जाता है; किसी की गाड़ी वापिस नहीं गई है।

आपजी श्री रघुराजसिंह—जो गल्ला काश्तकारों से खरीदते है, उनका लगान जितना होता है उतनी ही कीमत का खरीदते हैं और ज्यादा नहीं खरीदते।

श्री भोगीलाल पंड्या— कृपा करके ऐसा प्रचार मत कीजिये। ऐसा नहीं है। जितना अनाज आयगा, उतना खरीदा जायगा।

श्री कंवरलाल जेलिया—सरकार ने जो मौजूदा व्यवस्था की है, उससे क्या यह सही है कि इसका ज्यादा फायदा व्यापारियों को होगा क्योंकि काश्तकारों के पास इतना गल्ला नहीं है।

श्री भोगीलाल पंड्या—यदि इस प्रकार का प्रचार किया गया तो हो सकता है कि व्यापारी भी नाज़ायज फायदा उठाने की कोशिश करें। किसानों के पास काफी गल्ला है। किसानों के पास गल्ला नहीं है–इस प्रकार का प्रचार कृपया न कीजिये।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि सरकार ने जो यह व्यवस्था की है, उससे पहले व्यापारियों ने इस प्रकार की व्यवस्था की?

श्री भोगीलाल पंड्या—अगर व्यापारियो ने ऐसा किया है तो उनको नुकसान होगा।

श्री लाल बहादुर—क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि किसान स्टोर को तोलना चाहे तो सारा गल्ला ले लिया जायगा या......

Page No.23

श्री अध्यक्ष—अभी बताया न कि सारा ले लिया जायगा।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—गंगानगर जिले में भी क्या इस प्रकार की व्यवस्था की गई है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १६४

५०० रुपयों से कम आय वाले जागीरदारों से १/१६ लगान वसूली

श्री खेतसिंह—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार उन जागीरदारों से भी जिनकी आय सालाना ५०० रुपये से कम है, १/१६ हिस्सा लगान के रूप में वसूल करेगी ?

(ख) जिन इलाकों की पैमायश पूरी नहीं हुई है और न जमीन की किस्म के माफिक बीघोड़ी ही तय हुई है, उनमें जो फ्लेट रेट तीन आना मुकर्रर करके जागीरदारों से सरकारी लगान १/८ हिस्सा वसूल करने के जो आदेश जारी हुए हैं ये किस बिनाय पर तय किये गये हैं ?

(ग) क्या सरकार ऐसे इलाकों के जागीरदारों से लगान उस समय तक वसूल न करने का आदेश देगी, जब तक कि उनकी पूरी पैमायश हो जाय और बीघोड़ी मुकर्रर हो जावे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—(क) जी नहीं।

(ख) समीपवर्ती इलाकों के रेट के आधार पर, जो सेटलमेन्ट विभाग द्वारा स्वीकृत हुई है, यह फ्लेट रेट निश्चित किया गया है।

(ग) जी नहीं।

श्री खेतसिंह—क्या सरकार को यह मालूम है कि तहसील शेरगढ़ में तीन पैसे से लेकर ३ आने तक की बीघोड़ी है, वहां सेटलमेन्ट से ३ आना से फ्लेट रेट लगाई गई है; वह ज्यादा है। क्या सरकार इसके ऊपर विचार करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अगर इसका पूरा केस बना कर रिप्रेज़ेन्ट किया जाएगा तो सरकार इस पर जरूर विचार करेगी।

प्रश्न संख्या १६५

राजस्थान में विभिन्न हरिजन विद्यालय

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?—

Page No.24

(क) राजस्थान में कितने और कहां कहां हरिजन विद्यालय हैं ?

(ख) क्या कारण है कि हरिजनों के लिये अलग से विद्यालय खोले गये हैं ?

(ग) क्या हाल ही में सरकार द्वारा बीकानेर के हरिजन विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति की गई है ?

(घ) क्या यह विद्यालय सरकारी है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उपमन्त्रिणी, शिक्षा विभाग)—

(क) राजस्थान में इस समय कोई भी हरिजन विद्यालय–जिसमें केवल हरिजन छात्र ही पढ़ते हों, नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) बीकानेर में हरिजन विद्यालय नामक कोई संस्था नहीं है और न ही ऐसी किसी संस्था में अध्यापकों की नियुक्ति की गई है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सवाई माधोपुर हरिजन बस्ती में एक हरिजन विद्यालय है, जिसमें केवल चमार हरिजनों के बच्चे पढ़ते हैं ?

श्री अध्यक्ष—Order Please ! One Gentleman at a time.

श्री श्रीदास गोयल—पूछता हूं। क्या सवाई माधोपुर में ऐसा स्कूल है ?

श्री कमलाकुमारी बेनीवाल—सरकार का कोई ऐसा स्कूल नहीं, यह उत्तर में बता दिया गया है। अगर होगा तो कोई प्राइवेट होगा।

श्री कपिलदेव—क्या इस स्कूल में महाजनों के बच्चे भी पढ़ते हैं ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १९६

ग्राम तलवास, तहसील नेनवा की माध्यमिक पाठशाला के भवन का जीर्णोद्धार

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या शिक्षा-मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) ग्राम तलवास, तहसील नेनवा, जिला बूंदी के मिडिल स्कूल की इमारत के लिये रकम कौन सी तारीख को दी गई थी ?

[महाराज श्री केसरीसिंह]

(ख) अभी स्कूल की इमारत की कैसी हालत है ?

(ग) क्या सरकार इमारत को गिरने से बचाने के लिये जल्दी ही कोई रकम प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कितनी और कब तक ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—(क) गत वर्ष कुल २,००० रुपया,—२०० रुपया ६–३–५४ को, ८०० रुपया ८–३–५४ को, ५०० रुपया १६–३–५४ को और ५०० रुपया १७–३–५४ को दिये गये थे। इसके अतिरिक्त १०० रुपया इस वर्ष १९५४–५५ के बजट में भी मरम्मत के लिये दिये गये हैं।

(ख) इमारत की हालत अभी पूर्ण संतोषजनक नहीं है। तीन कमरे छात्रों के बैठने के काम आ रहे हैं।

(ग) भवन की मरम्मत के लिये विकास विभाग से २,००० रुपये देने की सिफारिश की गई थी किन्तु अभी तक यह रकम प्राप्त नहीं हुई है। सरकार इस दिशा में जागरूक एवं क्रियाशील है।

महाराज श्री केसरीसिंह—यह रकम शुरू में किस तारीख से दी गई ? इसका उत्तर नहीं दिया है।

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—ऊपर वाली रकम या नीचे वाली रकम ?

महाराज श्री केसरीसिंह—कोई भी।

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—ऊपर वाली रकम की तारीख बता दी है, नीचे वाली रकम की तारीख का मुझे ज्ञान नहीं है। अगर आप चाहें तो मालूम करके बता सकती हूं।

महाराज श्री केसरीसिंह—रकम कब तक मिल जायगी नीचे वाली ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—आप पूछेंगे तब ही मिल जायगी।

महाराज श्री केसरीसिंह—मैं पूछ ही रहा हूं।

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—जल्दी ही मिल जायगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १६७

राजस्थान सरकार की शार्दूल टेक्सटाइल मिल को ३० लाख रुपया देने की सिफारिश

(प्रश्नकर्त्ता श्री एच. के. व्यास की अनुपस्थिति में यह प्रश्न श्री वेदपाल त्यागी ने प्रश्न पूछा)

श्री वेदपाल त्यागी—Will the Minister for Industries be pleased to answer :—

Page No.26

[श्री वेदपाल त्यागी]

(a) Did the Rajasthan Government recommend the case of the Sardul Textiles Mills for a loan of Rs. 30 lacs to the Industrial Finance Corporation, India ?

(b) If so, please state the date of such decision ?

(c) Is it a fact that the Government agreed to the proposition of the machinery and assets of the concern being mortgaged to the Industrial Finance Corporation, against the loan that this Mill sought to secure from the IFC ?

(d) What is the extent of shares and other interest held by the Government in this concern ?

(e) In view of the huge interests that the State Government has in this concern, what were the grounds for its agreeing to letting its machinery and assets being mortgaged to a third party ?

(f) What was the total amount due from this concern at that time in respect of the electric energy supplied to it from the Govrnment Power House at Ganganagar ?

(g) Was this question raised before agreeing to the above mortgage and recommending their case ? If not, why not ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग तथा व्यवसाय मंत्री)—

(ए) नहीं।

(बी) प्रश्न नहीं उठता।

(सी) कम्पनी को ठेके के अन्तर्गत बीकानेर सरकार द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों को कर्ज लेने के लिये इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉर्पोरेशन के पक्ष में स्थानान्तरित करने की स्वीकृति दि० १६-४-५३ को प्रदान की गई।

(डी) राजस्थान सरकार के हिस्से इस प्रकार हैं :—

५६,००० साधारण	रु० ५,६०,०००	हिस्से १० रुपये वाले।
५,६०० विशेष हिस्से	रु० ५,६०,०००	१०० रुपये वाले।
कुल रकम	११,२०,००० रुपया।	

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(ई) कर्ज के लिये कम्पनी ने स्वयं ही अपनी कार्य-क्षमता के विस्तार हेतु सेंट्रल फाइनेन्स कॉर्पोरेशन से प्रबन्ध किया। सरकार ने उद्योग व देश के हितों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त स्वीकृति दी।

(एफ) कम्पनी के विरुद्ध बिजली की बकाया रकम दिनांक ३०-५-५३ को ३,८३,७६४ रु० १ आ० थी।

(जी) उस समय प्रश्न नहीं उठाया गया ; परन्तु बाद में जब कम्पनी ने इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉर्पोरेशन के पक्ष में कम्पनी के कर्ज न देने की स्थिति में कम्पनी की सम्पत्ति को बेचने सम्बन्धी अधिकारों को मान्यता देने की प्रार्थना की तब यह प्रश्न उठाया गया। कम्पनी द्वारा आवेदन-पत्र व नोटिस देने के बाद भी सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस विषय में समझौते के लिये बात-चीत चालू है।

प्रश्न संख्या १६८

गंगानगर शुगर मिल को दूसरे वर्ष भी सरकार द्वारा लीज़ पर रखना

(श्री एच. के. व्यास की अनुपस्थिति के कारण श्री वेदपाल त्यागी ने प्रश्न पूछा)

श्री वेदपाल त्यागी—Will the Minister for Industries be pleased to state :—

(a) Is it a fact that the Government took over the Sugar Mill at Ganganagar on lease for an initial period of one year with option to renew it by another year ?

(b) Has the Government exercised this option and renewed the lease by another year ? If so, when was this decision taken ?

(c) Has the Government finalised the profit and loss position of this concern in respect of the previous year when the Government was running it ? If so, when was it finalised and what is the position revealed ?

(d) Has the other party accepted the lease conditions ? Has a proper deed been signed by the Government and that party ?

(e) What are the reasons for the Government to renew the lease even before the profit and loss position was finalised and even before a proper lease agreement had been signed by the party ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मंत्री)—

(ए) हां।

(बी) हां, सरकार ने ठेके को एक साल के लिये बढ़ाया है। यह निर्णय २२-१०-५४ को लिया गया।

(सी) नफे-नुक्सान का अस्थायी हिसाब (Provisional Accounts) बना लिये गये हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं। इन हिसाबों को पूर्ण रूप से तय इसलिये नहीं किया जा सका क्योंकि बीकानेर इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ने कुछ सामग्रियों के बिल बहुत देरी से भेजे थे।

जो हिसाब अभी तक बनाये गये हैं, उनसे प्रतीत होता है कि पिछले साल में लगभग एक या डेढ़ लाख रुपयों का नफा सरकार को होगा।

(डी) ठेके की सब शर्तें बात-चीत द्वारा तय कर ली गई हैं। प्रस्तावित शर्तनामा बीकानेर इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के पास स्वीकृति के लिये भेजा गया है और तुरन्त ही इस पर हस्ताक्षर होने की आशा है।

(ई) गंगानगर जिले के कृषकों के हितों व गन्ने की खेती के विकास को दृष्टिकोण में रखते हुए सरकार ने ठेके की मियाद को एक साल और बढ़ाने का निश्चय किया। इसके अतिरिक्त पिछले साल फैक्ट्री के संतोषजनक रूप से चलने और इस साल पहले से भी अधिक फायदा होने की आशा का भी मियाद बढ़ाने का निर्णय लेते समय ध्यान रखा गया था—जैसी कि आशा थी। इस साल फैक्ट्री बहुत ही संतोषजनक रूप से चल रही है। १६-३-५५ तक ११,७०,००० मन से अधिक गन्ना पेला जा चुका है और लगभग ३६,००० बोरी शकर तैयार की जा चुकी है।

प्रश्न संख्या १६६

सवाई माधोपुर जिले में चुकारा सेंटरों पर वेतन लेने आने वाले अध्यापकों को यात्रा-व्यय

श्री श्रीदास गोयल—क्या-शिक्षा-मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सवाई माधोपुर जिले में चुकारा सेंटरों पर वेतन लेने आने वाले अध्यापकों को यात्रा-व्यय नहीं मिलता ?

(ख) यदि हां, तो उस व्यय को न देने का क्या कारण है ?

(ग) क्या अब सरकार उपरोक्त अध्यापकों को यात्रा-व्यय देने की व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप मंत्रिणी)—

(क) पांच मील से कम की यात्रा पर नहीं मिलता।

[श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल]

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार ने अध्यापकों की इस विषय में असुविधा को दूर करने के लिये आदेश भी जारी कर दिये हैं।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि चुकारा सेंटरों पर ५ मील से अधिक दूरी पर जो अध्यापक वेतन लेने आते हैं, उनको कोई व्यय नहीं मिलता है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—पांच मील से कम वालों को नहीं मिलता है, ज्यादा दूरी वालों को मिलता है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सरकार के ध्यान में है कि जो व्यक्ति १० या १५ मील से आते हैं, उनको अभी तक व्यय बिलकुल नहीं मिला है, उनको दिलाने का प्रयत्न करेगी।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मिलना जरूर चाहिये, अगर नहीं मिला है तो देख लेंगे।

श्री श्रीदास गोयल—क्या उन लोगों को भी दिलाने का प्रयत्न करेंगे जिनको कई वर्षों से ऐसा व्यय नहीं मिला है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आम तौर से हैड मास्टर ही तनख्वाह लेने के लिये ट्रेजरी को जाता है और बाकी सब मास्टरों की तनख्वाह लाकर बांट देता है। हर एक मास्टर को वहां जाने की आवश्यकता नहीं रहती......।

श्री श्रीदास गोयल—जाता तो हैड मास्टर ही है, मगर हैड मास्टर को आने का व्यय मिलना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—५ मील से ज्यादा के एरिया का जरूर मिला होगा।

प्रश्न संख्या १७०

श्री अध्यक्ष—श्री त्रिवेणीश्याम शर्मा।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री खेतसिंह।

प्रश्न संख्या १७१

जोधपुर शहर में देवस्थान विभाग के आधीन भवनों का किराया

श्री खेतसिंह—क्या मन्त्री, देवस्थान-विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

[श्री खेतसिंह]

(क) जोधपुर शहर में देवस्थान विभाग के अन्तर्गत ऐसे कितने भवन हैं, जिनसे इस विभाग को किराया मिलता है ?

(ख) जसवन्त बोर्डिङ्ग, जोधपुर, में ऐसे कितने किरायेदार हैं, जिन्होंने अपने किराये लिये हुए मकानात बिना इस विभाग की इजाजत के सब-लैट कर रखे हैं ?

(ग) क्या सरकार ऐसे किरायेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठावेगी और उनसे वे मकानात खाली करा कर अन्य किरायेदारों को दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास (मंत्री, देवस्थान विभाग)—(क) देवस्थान विभाग, जोधपुर का निम्न-लिखित भवनों का किराया वसूल करता है :—

(१) श्री रसिक विहारी जी, भुवनेश्वरजी व चंडी देवी जी के मन्दिरों की दुकान व मकानात।

(२) देवस्थान दफ्तर की दुकानें।

(३) जसवन्त सराय की दुकानें व मकानात।

(ख-ग) जसवन्त बोर्डिङ्ग के नाम का कोई भवन नहीं है। अलबत्ता जसवन्त सराय के १८ किरायेदार ऐसे हैं जिन्होंने मकान या दुकान अपने रिश्तेदार व दूसरों को दे रक्खे हैं, उनमें से २ के खिलाफ मुकदमा चल रहा है और दूसरों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री खेतसिंह।

प्रश्न संख्या १७२

देवस्थान विभाग में ६० वर्ष से अधिक अवस्था के कर्मचारियों को अवकाश

श्री खेतसिंह—क्या मन्त्री, देवस्थान विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) देवस्थान डिपार्टमेन्ट में ६० साल की आयु से ऊपर की आयु के कितने कर्मचारी हैं ?

(ख) क्या सरकार बढ़ती हुई बेकारी को देख कर ऐसे वृद्ध कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी हटाने की कृपा करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास (मंत्री, देवस्थान विभाग)—(क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री खेतसिंह—अगर सरकार के सामने ऐसे दृष्टान्त लाये जावें कि ६० साल से ज्यादा उम्र वाले नौकर हैं, तो क्या सरकार उनको हटाने का प्रबन्ध करेगी।

Page No.31

श्री दामोदरलाल व्यास —जरूर । कोई ऐसी मिसाल आप सरकार के सामने लावेंगे, तो जरूर कार्यवाही की जावेगी ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री गुलाबचन्द कासलीवाल ।

प्रश्न संख्या १७३

माप-तोल अधिनियम के प्रावधानों को प्रभाव में लाने हेतु शासकीय कदम

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Will the Minister for Industries and Commerce be pleased to states :—

(a) What steps has been taken so far for enforcing the provisions of the Weights and Measures Act ?

(b) When would the weights and measures be available to the public ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मंत्री)—

(ए) राजस्थान माप-तोल अधिनियम १९५४, अभी तक प्रचलित नहीं हुआ है । अधिनियम के अन्तर्गत नियम सरकार के विचाराधीन है ।

(बी) उपरोक्त नियम बन जाने पर माप-तोल जनता को उपलब्ध हो जावेंगे ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १७४

झालावाड़ में कंजर जाति के लोगों का सुधार

श्री भगवानसिंह तरंगी—क्या मंत्री, दलित-वर्ग विभाग, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) झालावाड़ जिले में कंजर जाति के लोग कहां-कहां आबाद हैं और उनकी कितनी जन-संख्या है ?

(ख) क्या यह जाति जरायम-पेशा है ?

(ग) इनके सुधारने के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

(घ) क्या यह सही है कि पुलिस इन्हें बिला वजह परेशान करती रहती है, झूठे मामलों में फंसा देती है और रिश्वतें मिलने पर छोड़ दिया करती है ।

श्री भोगीलाल पंड्या (दलित-वर्ग उत्थान मंत्री)—

(क) झालावाड़ जिले में कंजर जाति की संख्या सन् १९५१ की गणना के अनुसार ७५१ है। कहां-कहां आबाद है, इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी उपलब्ध की जा रही है।

(ख) हां, पहले यह जाति जरायम-पेशा में गिनी जाती थी।

(ग) झालावाड़ जिले के लिए पृथक् कोई योजना स्वीकृत नहीं हुई है। सरकार ने सम्पूर्ण राजस्थान में रहने वाली विभक्त जातियों के लिये—जिनमें कंजर जाति भी शामिल है, पुनर्वास, शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक आदि उत्थान-कार्य के लिये इस वर्ष ४,६५,००० रुपये की योजनायें स्वीकृत की हैं।

(घ) इस तरह की शिकायत आई थी, जिसके लिये उचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री भगवानसिंह तरंगी—क्या यह सही है कि सरकार ने इनके सुधार के लिये पहले भी एक जांच कमेटी बनाई थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जांच के लिये एक योजना जरूर तैयार कराई गई है।

श्री भगवानसिंह तरंगी—इस योजना के अन्तर्गत सरकार ने कंजर जाति के लिये क्या किया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इनके लिये २ जगह छात्रालय और ८ जगह स्कूल और इसके साथ ही इनके लिये कुए बनाए और दूसरे जो भी सिंचाई के साधन उपलब्ध करने की कोशिश की और जिनके मकान नहीं है, उनको पुनर्वास के लिये भी प्रयत्न किया है।

श्री भगवानसिंह तरंगी—दो छात्रालय किन-किन स्थानों पर हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—एक चित्तौड़गढ़ में और दूसरा बूंदी में।

श्री भगवानसिंह तरंगी—सब से ज्यादा कंजरों की आबादी कहां पर है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—खंडेर में।

श्री भगवानसिंह तरंगी—जब सब से बड़ी कंजरों की बस्ती खंडेर में है तो फिर चित्तौड़गढ़ और बूंदी में छात्रावास क्यों खोले गये ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जहां पर सेन्टर होता है वहीं पर छात्रावास खोला जाता है। खंडेर में स्कूल है और वहां पर इतने लड़के नहीं हैं कि वहां पर छात्रालय चलाया जावे। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ बीच में पड़ता है और वहां पर हाई स्कूल भी है।

श्री भगवानसिंह तरंगी—क्या यह सही है कि मध्य-भारत और राजस्थान की पुलिस उनको झूठे मुकदमों में फंसा कर और रिश्वतें लेकर छोड़ देती है।

श्री भोगीलाल पंड्या—इस तरह की कोई जानकारी नहीं है।

एक सदस्य—क्या बूंदी में छात्रालय खोला गया है, इसका यह अर्थ है कि वहां पर कंजरों की संख्या ज्यादा है और वहां पर कंजरों की संख्या को ध्यान में रखकर खोला गया है?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १७५

तहसील डग (जिला झालावाड़) के हरिजनों पर सवर्णों का अत्याचार

श्री भगवानसिंह तरंगी—क्या मन्त्री, दलित-वर्ग विभाग, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार को विदित है कि झालावाड़ जिले की डग तहसील के बिभिन्न स्थानों में सवर्ण जाति के लोग हरिजनों पर भयंकर अत्याचार कर रहे हैं?

(ख) क्या यह सही है कि डग पुलिस के ए. एस. आई. व चार कॉन्सटेबलों ने मध्य-भारत से आई हुई एक हरिजनों की बरात पर अत्याचार किया?

(ग) डग तहसील के बरड़िया, दुधलाई आदि गांवों के सवर्णों के अत्याचार से हरिजनों को बचाने के लिये क्या कदम स्थानीय अधिकारियों द्वारा उटाये गये हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या (मंत्री, दलित-वर्ग उत्थान विभाग)—

(क) नहीं।

(ख) बरातियों में से एक आदमी ने किसी शख्स का बटुआ चुरा लिया था, अतः उसको पुलिस ने पकड़ लिया और बाद में उसके पास बटुआ बरामद हो गया। इसका चालान कोर्ट में कर दिया गया है। अन्य किसी बराती के साथ कोई पुलिस ने ज्यादती की हो, ऐसा मालूम नहीं हुआ।

(ग) ऐसे अत्याचारों की सरकार के पास कोई इत्तिला नहीं है।

श्री भगवानसिंह तरंगी—बटुआ चुराया नहीं गया था, लेकिन पुलिस ने वहां रख लिया था। क्या इसकी जांच सरकार कराने को तैयार है?

श्री भोगीलाल पंड्या--अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई उससे यह मालूम होता है कि बटुआ चुराया गया और अब जो आप सूचना दे रहे हैं; अगर उसमें तथ्य होगा तो जांच की जावेगी।

एक सदस्य--बटुआ पान का था या पैसों का।

श्री भोगीलाल पंड्या--पान का नहीं था, पैसों का था।

श्री कंवरलाल जेलिया--क्या यह सही है कि असली घटना को छिपाने के लिये पुलिस ने ऐसा किया?

श्री भोगीलाल पंड्या--मुझे इस बात का पता नहीं।

श्री श्रीदास गोयल--जब मामला सबजुडिस कहा जाता है तो यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १७६

राजस्थान को मल्टी-पर्पज़ स्कूलों के लिये केन्द्रीय सरकार से प्राप्त धन-राशि

श्री रामदयाल उपाध्याय--क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) मल्टी-पर्पज़ स्कूलों के लिये केन्द्रीय सरकार से कितनी धन-राशि राजस्थान को मिली है?

(ख) इन स्कूलों के संचालन में या इस राशि के समुचित सदुपयोग करने के सिलसिले में अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

(ग) क्या यह सच है कि इस रकम के लैप्स हो जाने की संभावना है।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल--

(क) मल्टी-पर्पज़ स्कूलों के लिये केन्द्रीय सरकार से ३०,६०,४५० रुपये की धनराशि राजस्थान के लिये स्वीकृत हुई है।

(ख) मल्टी-पर्पज स्कूलों की इमारतों के सिलसिले में चीफ इन्जीनियर, पी. डब्ल्यू. डी. को उचित कार्यवाही के लिये लिख दिया गया है। सरकार का आदेश है कि यह कार्य जून, १९५५ तक समाप्त हो जाना चाहिये। मल्टी-पर्पज़ स्कूलों के लिये सामान खरीदने के लिये हाई पॉवर कमेटी नियुक्त हो चुकी है। वह इस सिलसिले में उचित कार्यवाही कर रही है।

[श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल]

(ग) नहीं। इस रकम के लैप्स होने का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि यह रकम अगले साल भी खर्च करने के लिये मिल सकेगी।

श्री रामदयाल उपाध्याय—इस हाई पॉवर कमेटी के कौन-कौन सदस्य हैं?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इस हाई पॉवर कमेटी के निम्नलिखित सदस्य हैं :—

१. श्री गंगासहाय, फाइनेन्स सेक्रेट्री।

२. श्री जगन्नाथ, शिक्षा-सचिव।

३. श्री किशोरीलाल, चीफ इंजीनियर।

४. श्री गजराजसिंह, डाइरेक्टर, शिक्षा-विभाग।

५. श्री वी. पी. सूद, शिक्षा-सचिव।

प्रश्न संख्या १७७

महाराजा कॉलेज जयपुर के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से शुल्क

श्री लल्लूराम—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या महाराजा कॉलेज, जयपुर, में शिड्यूल्ड कॉस्ट के विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस ली जाती है?

(ख) यदि हां, तो किस-किस क्लास में कितनी-कितनी?

(ग) सन् ५३-५४ सेशन में कितने शिड्यूल्ड कॉस्ट के किस-किस कक्षा के विद्यार्थियों से पूरी ट्यूशन फीस व कितनों से आधी फीस ली गई है एवं कितनों की पूरी ट्यूशन फीस माफ की गई?

(घ) राजस्थान के कौन कौन से कॉलेज और स्कूलों में शिड्यूल्ड कॉस्ट के विद्यार्थियों से सन् ५३-५४ में कितनी-कितनी ट्यूशन फीस ली गई?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप-मंत्रिणी, शिक्षा-विभाग)—

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) किसी से भी नहीं।

[श्री लल्लूराम]

(घ) किसी से भी नहीं।

श्री लल्लूराम—अगर किसी विद्यार्थी से फीस ली गई होगी तो वापिस देने का प्रबन्ध करेंगी ?

श्री अध्यक्ष—'अगर' का प्रश्न पैदा नहीं होता।

प्रश्न संख्या १७८

टोंक जिले की विभिन्न तहसीलों के विकास-कार्य के लिये धन-राशि

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या विकास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) टोंक जिले में प्रत्येक तहसील में विकास-कार्य के लिये इस वर्ष कितनी-कितनी धन राशि स्वीकृत हुई है ?

(ख) स्वीकृति के अनुसार कहां-कहां और क्या-क्या और कितनी-कितनी लागत के का सम्पूर्ण हो चुके हैं और कहां-कहां, क्या-क्या कार्य अभी चालू हैं ?

(ग) क्या टोंक जिले में तहसील व डिस्ट्रिक्ट विकास-समिति स्थापित है ?

(घ) अगर हां, तो कब से है और अब तक उनकी कितनी बैठकें हुई हैं ?

(ङ) इन समितियों के कितने-कितने और कौन-कौन सदस्य हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—

(क) स्थानीय विकास-कार्यों के लिये तहसीलवार स्वीकृत राशि इस प्रकार है :—

तहसील	राशि
टोंक	६,१५० रुपये
मालपुरा	११,२०० रुपये
उनियारा	४,०५० रुपये
निवाई	३,००० रुपये
दूनी	१३,०५० रुपये
टोडा रायसिंह	७,०५० रुपये

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(ख) प्रायः सभी कार्य प्रगति पर हैं और शीघ्र ही उनके पूर्ण होने की संभावना है। विस्तृत विवरण एकत्रित किया जा रहा है।

(ग) हां।

(घ) तहसीलवार जितनी विकास-समितियों की बैठकें हुई, वे इस प्रकार हैं :—

नं० शुमार	तहसील	किस समय में समिति स्थापित हुई	बैठकों की संख्या
१.	टोंक	अक्टूबर १६५४	५
२.	निवाई	सितम्बर १६५४	६
३.	उनियारा	नवम्बर १६५४	४
४.	दूनी	सितम्बर १६५४	६
५.	मालपुरा	अक्टूबर १६५४	५
६.	टोडा रायसिंह	नवम्बर १६५४	४

(ङ) जिला विकास-समिति के ३७ सदस्य हैं, जिनकी तहसीलवार संख्या इस प्रकार है :—

टोंक	तहसील में विकास-समिति के सदस्य संख्या	१६
निवाई	,,	६
उनियारा	,,	१५
टोडा रायसिंह	,,	१४
मालपुरा	,,	३६
दूनी	,,	२२

इन तहसीलों की राशि की स्वीकृति जन-संख्या, आवश्यकता और जनता द्वारा प्राप्त सुझावों के आधार पर होती है।

प्रश्न संख्या १७६

तहसील बनेडा के बिना नाम खालसा भूमि के कीमती वृक्षों को ठिकाने में देना

श्री कस्तूरचन्द—क्या राजस्व मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे:—

(१) क्या जिला भीलवाड़ा की तहसील बनेड़ा में बिना नाम खालसा जमीन में आम, इमली, शीशम आदि कीमती दरख्तों को सरकार ने ठिकाने के पक्ष में दे रखा है ?

(२) क्या वहां के उदयसागर तालाब की पाल को ठिकाने वालों ने अपने कब्जे में कर रखा है ?

(३) क्या उस पाल पर के बबूल, आम के पेड़, घास वगैरह ठिकाने वालों ने अपने तौर से नीलाम कर दिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास(राजस्व मंत्री):—

(१) तहसील बनेड़ा में बिला नाम खालसा जमीन में वृक्ष ठिकाने के पक्ष में नहीं दिये हैं। जागीरदार ने निजी सम्पत्ति की सूची में कई दरख्तों को सम्मिलित कर दिया है जो अभी भूमि-सुधार व जागीर-पुनर्ग्रहण अधिनियम, १९५२, के अनुसार जिलाधीश के विचाराधीन है।

(२) जी हां।

(३) जी हां। यह आज्ञा प्रचलित कर दी गई है कि जब तक निर्णय न हो जावे तब तक न तो नीलाम की जाय और यदि कर दी गई तो रोक दी जाय।

श्री कस्तूरचन्द—इस पाल को जो ठिकाना बनेड़ा ने नीलाम कर दिया, उसके लिये सरकार ने क्या एक्शन लिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—उसके लिये यह ऑर्डर्स दिये गये हैं कि अगर नीलाम कर दी गई है तो उसे रोक दिया जाय।

श्री श्रीदास गोयल—क्या कुछ दरख्त भी काट लिये गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है। अगर काट लिए गये होंगे तो कानूनी कार्यवाही की जायगी।

श्री श्रीदास गोयल—क्या उनके खिलाफ ट्रीज़ प्रोटेक्शन ऑर्डिनेन्स के तहत कार्यवाही की जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अभी तक तो ऐसी सूचना ही नहीं है कि ट्रीज़ काटे गये हैं।

Page No.39

श्री श्रीदास गोयल—जानकारी के बाद अगर यह पता चले कि वाकई पेड़ काटे गये हैं तो क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कानून की अवहेलना हुई होगी तो कार्यवाही की जायगी।

श्री कस्तूरचन्द—पाल को नीलाम किया गया—उसकी जो रकम आई है, वह कहां जमा कराई गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—नीलाम यदि कर दी गई है तो उसको रोकने के लिए आर्डर्स दे दिये गये हैं।

श्री कस्तूरचन्द—नीलाम कर दी गई है, अब क्या कार्यवाही होगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—नीलाम कर दी है ऐसी सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—जो यह पाल नीलाम हुई है उसके पैसे वसूल हुए या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—नीलाम होने की सूचना हमारे पास नहीं है तो फिर पैसे की वसूली का सवाल ही नहीं पैदा होता।

श्री श्री दास गोयल—अगर किसी ने वृक्ष काटे होंगे तो क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायगी ?

श्री अध्यक्ष—"अगर मगर" का कोई सवाल नहीं, आप डेफिनिट इनफार्मेशन मांग सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—अगर काटे होंगे तो कानूनी कार्यवाही होगी।

श्री कस्तूरचन्द—मैं आपको तसल्ली दिलाता हूं कि वह पाल नीलाम कर दी गई है और तहसीलदार ने उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री दामोदरलाल व्यास—ऐसा हुआ होगा तो आवश्यक और उचित कार्यवाही जल्दी ही की जायगी।

प्रश्न संख्या १८०

राजस्थान की विभिन्न बालिका-विद्यालयों व संस्थाओं को शासकीय अर्थ-सहायता

श्री महादेवप्रसाद—क्या शिक्षा-मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में किन-किन बालिका-विद्यालयों व संस्थाओं को कितनी-कितनी सहायता मिलती है ?

Page No.40

[श्री महादेवप्रसाद]

(ख) क्या किसी संस्था को पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भवन-निर्माण के लिए कोई रकम सहायतार्थ दी गई है ?

(ग) यदि हां, तो किन-किन संस्थाओं को और कितनी-कितनी ?

(घ) क्या वनस्थली-विद्यापीठ बालिका-भवन के लिए भी कुछ रकम सहायतार्थ दी गई है ?

(ङ) यदि हां, तो कितनी ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उपमंत्रिणी, शिक्षा विभाग):—

(क) राजस्थान में जिन बालिका-विद्यालयों व संस्थाओं को जो सहायता दी जाती है, उस तालिका की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

(ख) नहीं। राजस्थान सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किसी संस्था को भवन-निर्माण के लिए कोई सहायता नहीं दी गई ।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(घ) नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री महादेवप्रसाद—जिन-जिन संस्थाओं को सहायता दी गई है वह किस आधार पर दी गई है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—आवश्यकता और खर्चे के आधार पर दी गई है ।

श्री महादेवप्रसाद—सहायता देने के बारे में भी कुछ रूल्स हैं क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ग्रान्ट इन एड के रूल्स बने हुए हैं उन्हीं के आधार पर दी जाती है ।

प्रश्न संख्या १८१

संस्कृत कॉलेजों के अध्यापकों के ग्रेड्स

श्री महादेवप्रसाद बंका—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

Page No.41

[श्री महादेवप्रसाद बंका]

(क) संस्कृत कॉलेज के अध्यापकों के ग्रेड्स क्या-क्या हैं ?

(ख) ये ग्रेड्स कब से लागू किये गये हैं ?

(ग) यदि नहीं किये गये तो बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल--(क) सदस्य महोदय की जानकारी के लिए इस सम्बन्ध की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

(ख) अभी तक नहीं, किन्तु अन्य शिक्षण-संस्थाओं की भांति इसके ग्रेड्स भी १-४-५० से ही लागू होंगे।

(ग) इन कॉलेजों के स्ट्रेंग्थ के प्रश्न पर सरकार पहले से विचार कर रही है।

श्री महादेवप्रसाद--क्या इनकी स्ट्रेंग्थ पर भी विचार किया जायगा ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल--मैंने बताया कि स्ट्रेंग्थ पर सरकार विचार कर रही है।

श्री महादेवप्रसाद बंका--यह विचार कब तक पूरा हो जायगा ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल--जल्दी ही कर दिया जायगा।

श्री महादेवप्रसाद बंका--"जल्दी" से क्या मतलब ?

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १८२

श्री भोगीलाल पंड्या--चूंकि यह प्रश्न शिक्षा-विभाग से संबन्धित है; अतः शिक्षा मंत्री अपनी आगामी टर्न पर इसका जवाब देंगे।

प्रश्न संख्या १८३

अनुसूचित जातियों, आदिवासियों तथा दलित वर्ग के विद्यार्थियों को सन् १९५४ में छात्रवृत्तियां

श्री धर्मपाल पंवार--क्या हरिजन-कल्याण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:--

(अ) सन् १९५४ में जिलेवार कितने शिड्यूल्ड कॉस्ट, आदिवासी तथा बैकवर्ड क्लास के विद्यार्थियों को कितनी-कितनी रकम छात्रवृत्तियों के रूप में दी गई है ?

[श्री धर्मपाल पंवार]

(आ) हरिजन विद्यार्थियों की ओर से छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिये कितने आवेदन-पत्र जिलेवार प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितने किन कारणों से नामन्जूर हुए हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(अ) जिलेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अलग-अलग स्कीमों में डिविजनवार जो धनराशि स्वीकृत की गई है वह इस प्रकार है :—

जयपुर डिविजन	४३,००० रुपया
कोटा डिविजन	६,५०० रुपया
बीकानेर डिविजन	१३,००० रुपये
जोधपुर डिविजन	१३,५०० रुपये
उदयपुर डिविजन	२४,००० रुपये
कुल योग	१,००,००० रुपये

भारत सरकार की सहायता से चलने वाली स्कीमों में से :

भील तथा अलाइड ट्राइव्ज़ के लिये—

कोटा	बीकानेर	जोधपुर	उदयपुर
५०० रुपया,	७०० रुपया,	८०० रुपया,	५,००० रुपया
		कुल योग	७,००० रुपया

एक्स-क्रिमिनल ट्राइव्ज़ के लिये—

जयपुर	कोटा	बीकानेर	जोधपुर	उदयपुर
२,५०० रुपया,	५०० रुपया,	६०० रुपया,	७०० रुपया,	७०० रुपया
			कुल योग	५,००० रुपया

स्टेट के अतिरिक्त बजट से :

शीड्युल्ड कॉस्ट के लिये—

जयपुर	कोटा	जोधपुर	बीकानेर	उदयपुर
३८,००० रुपया,	२,००० रुपया,	९,००० रुपया,	१०,००० रुपया,	१,००० रुपया
			कुल योग	६०,००० रुपया

[श्री भोगीलाल पंड्या]

एक्स-क्रिमिनल ट्राइब्ज के लिये—

जयपुर	कोटा	जोधपुर	बीकानेर	उदयपुर
२,५०० रुपया,	५०० रुपया,	५०० रुपया	५०० रुपया,	१,००० रुपया
			कुल योग	५,००० रुपया

दूसरी पिछड़ी जातियों के लिये—

जयपुर	कोटा	जोधपुर	बीकानेर	उदयपुर
१८,६०० रुपया,	५,००० रुपया,	१२,००० रुपया,	६,००० रुपया,	८,००० रुपया
			कुल योग	४६,६०० रुपये

कुल योग डिविजनवार इस प्रकार है :—

१. जयपुर डिविजन	१,०४,६०० रुपये
१. कोटा डिविजन	१५,००० रुपये
३. बीकानेर डिविजन	३०,८०० रुपये
४. जोधपुर डिविजन	३६,५०० रुपये
५. उदयपुर डिविजन	३९,७०० रुपये
कुल योग	२,२६,६०० रुपये

(आ) अभी आवेदन-पत्रों की जांच जारी है

प्रश्न संख्या १८४

सन् १९५४ में हरिजनों के जल-कष्ट निवारणार्थ कुओं-तालाबों का जीर्णोद्धार

श्री धर्मपाल पंवार—क्या हरिजन कल्याण विभाग के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) १९५४ में हरिजनों वे जल-कष्ट निवारणार्थ जिलेवार कितने कुए-तालाब आदि की मरम्मत करवाई गई है ? उन पर कितनो रकम खर्च की गई ?

(२) नये कुए हरिजनों के लिये किन-किन जिलों में बनाये गये हैं और कितनी रकम खर्च की गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (मंत्री, दलितवर्ग उत्थान विभाग)—हरिजनों के जल-कष्ट निवारणार्थ कुओं की मरम्मत एवं नवीन कुओं के निर्माण की जिलेवार सूची इस प्रकार है :—

गांव नाम	जिला	संख्या	रकम मन्जूर की गई
दांता	बूंदी	१	५००
डीग	भरतपुर	१	५००
पारसवाड़ा	,,	१	५००
टांडा	,,	१	५००
आकोला	उदयपुर	१	२००
सनवाड़	,,	१	५००
बबराना	भीलवाड़ा	१	५००

श्री अध्यक्ष—कितने नाम हैं, ज्यादा हैं तो सदन की मेज पर रख दीजिये। पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री भोगीलाल पंड्या—२३ नाम हैं, मैं इसको सदन की मेज पर रख देता हूं, इसको आप देख सकते हैं।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

प्रश्न संख्या १८५

तहसील बनेड़ा में भील, आदिवासियों, अनुसूचित जातियों की जन-संख्या

श्री कस्तूरचन्द—क्या मंत्री, बेकवर्ड क्लास विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला भीलवाड़ा, तहसील बनेड़ा में भील, आदिवासी, जरायम-पेशा व शिड्यूल्ड कास्ट की जनसंख्या क्या है ?

(२) इसके लिये सरकार ने ५४-५५ में सहायता की तौर पर किन-किन मदों से रकम दी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (मन्त्री, दलित-वर्ग कल्याण विभाग)—(१) तहसील बनेड़ा की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जिला भीलवाड़े, जिसमें तहसील बनेड़ा भी शामिल है, की जनगणना सन् १९५१ के अनुसार निम्न प्रकार है :—

[श्री भोगीलाल पंड्या]

शिड्यूल्ड कास्ट	अन्य पिछड़ी जातियां
६१,३६३	१,७५,००२,

(२) तहसील बनेड़ा में निम्नलिखित मुद्दों पर सन् १९५४-५५ में अब तक रकम दी गई है :

(१) कृषि के कुओं के लिये

(२) पानी पीने के कुओं के लिये

(३) छात्रवृत्ति के लिये और

(४) आग-पीड़ितों की सहायता।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या जिला भीलवाड़ा में इस समाज की देख-रेख के लिये कोई दफ्तर नियुक्त है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—तहसील में तो नहीं है, किन्तु जिला भीलवाडा में कार्यकर्ता रखे गये हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—जिला भीलवाड़े के लिये नहीं पूछ रहा हूं, तहसील बनेडा में है क्या ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या इन लोगों के मकानात आदि के लिये भी कुछ सरकार की तरफ से सहायता दी गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं।

श्री कस्तूरचन्द—तो इन लोगों के धन्धे आदि के लिये क्या सरकार की तरफ से सहायता दी गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—बैकवर्ड क्लासेज़ में भील लोग हैं उनके लिये ४,१०० रुपये कुओं के लिये मन्जूर किये जा चुके हैं।

छात्रवृत्ति के लिये २४० रुपये दिये गये हैं। ५०० रुपये पानी पीने के कुओं के लिये। १५० रुपये जिनके मकान जल गये, उनको दिये गये।

श्री रामदयाल उपाध्याय—माननीय मन्त्री ने जो बताया कि ४, १०० रुपया भीलों को कुआ खोदने के लिये दिये गये, क्या आप इसको पर्याप्त समझते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वहां के भीलों की संख्या ही नगण्य है। जिस किसी ने प्रार्थना-पत्र दिये हैं, उन सबको सहायता दी गई है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—जो रकम दी गई, वह खर्च भी हुई या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जो रकम बताई गई है वह खर्च हुई ही होगी, क्योंकि यहां से रकम मन्जूर होकर चली गई है और वह वहां पर खर्च हुई होगी ?

श्री रामदयाल उपाध्याय—मैं तो डेफिनिट इस बात की जानकारी चाहता हूं कि जो रुपया ४ हजार के करीब भीलों को कुओं के लिये दिया गया, क्या वह तमाम खर्च हो गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं इस बारे में पहले भी बता चुका था कि ८ फीट जब कुआ खोदते हैं तब उनको ५० रुपया दिया जाता है, ७ फीट खोदते है तो उसके बाद ५० रुपये दिये जाते हैं, फिर पांच फीट कुआ खोदते हैं तब १०० रुपये दिये जाते हैं; इस प्रकार काम करने के बाद रुपया उनको दिया जाता है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—मैं यह जानना चाहता हूं कि भीलों ने इस तरह से सात-आठ फीट पर कुए खोदे हैं या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—तहसीलदार की सिफारिश के बाद ही रुपया मन्जूर किया जाता है और बराबर इसकी जांच करने के बाद किया गया है। इसलिए यह तो प्रश्न ही नही पैदा होता कि वहां कुए नहीं खोदे गये हों।

श्री कस्तूरचन्द—तहसील बनेड़ा में सांसी, भील, कन्जर इस तरह की छोटी कौमें हैं, उनके मकान आदि की व्यवस्था के लिए क्या सरकार कुछ रकम देने की सोच रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं कल भी बातचीत इस बारे में कर चुका था और थोड़ी देर पहले भी उत्तर दे चुका हूं कि नहीं।

श्री कस्तूरचन्द—तो क्या डूंगरपुर के लिए रुपया देना आप उचित समझते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वहां भारत सरकार की तरफ से मिलता है, इसलिये उनको मिलता है।

प्रश्न संख्या १४०

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। (श्री चांदमल से) सप्लीमेन्टरी पूछिये तारांकित प्रश्न संख्या १४० के।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो क्राइटेरियां बताया गया है, वह केवल जयपुर जिले के लिए है। सारे राजस्थान के लिए नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—सारे राजस्थान के लिए है।

श्री चांदमल मेहता--क्या यह सही है कि जो क्राइटेरिया अर्ज किया गया है, उसके खिलाफ भी लोगों को एल. डी. सी. बनाया गया है। इस तरह की मिसालें आपके नोटिस में लाई जावेंगी तो आवश्यक कार्यवाही करेंगे आप ?

श्री दामोदर लाल व्यास--अवश्य।

श्री चांदमल मेहता--क्या यह सही है कि आपके दिये हुए स्टेटमेन्ट में नन्दकिशोर का नाम दर्ज है, वह ४८ से मुलाजिम है और ५० में वह यू. डी. सी. बना दिया गया है; जब कि पांच साल का समय नहीं हुआ है। लिस्ट में नम्बर १० पर है।

श्री दामोदर लाल व्यास--मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री चांदमल मेहता--क्या यह सही है कि इस क्राइटेरिया में इस तरह की बात भी दर्ज है कि जिस अहलमद को और रीडर को दस साल का अनुभव होगा उसको यू. डी. सी. बनाया जावेगा। लेकिन इस शर्त के खिलाफ यू. डी. सी. लोगों को बनाया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास--आप इसमें भी स्पेसिफिक नाम बता दीजिये।

श्री चांदमल मेहता--श्री भूरामल नाम का व्यक्ति नाजिर था, अहलमद और रीडर भी नहीं था। फिर भी उसको यू. डी. सी. बना दिया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास--इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी हासिल करके बता सकता हूं।

श्री चांदमल मेहता--क्या यह सही है कि जो सूची दी गई है, वह अपूर्ण है और इसमें कइयों के नाम छोड़ दिये गये हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास--इन दो का बताया, इसकी जानकारी करूंगा।

श्री चांदमल मेहता--क्या यह सही है कि जो तनख्वाह की ग्रेड इस स्टेटमेन्ट में दी गई है--६५, ६४ और ६२ वह गलत है और ३० से ५० की ग्रेड उनको मिली है।

श्री दामोदरलाल व्यास--नहीं, जो स्टेटमेन्ट में ग्रेडें दी गई हैं, वे सही हैं।

श्री चान्दमल मेहता--क्या इस बात की आप जांच करने की कृपा करेंगे कि गैरवाजिब तरीके से एल० डी० सी० यू० डी० सी० बनाये गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास--मैंने आपको बताया कि जो आप मिसालें देंगे, तो उन पर अवश्य कार्यवाही की जावेगी।

श्री चान्दमल मेहता--यदि राजस्थान से भिन्न, जयपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई अलग क्राइटेरिया बनाया गया है, तो राजस्थान के माफिक ही क्राइटेरिया बनाने के लिए क्या सरकार तैयार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं अर्ज कर दूँ कि फॉर्मर जयपुर युनिट में तनख्वाह में काफी फर्क था। यहां लोगों को उस वक्त कम तनख्वाह मिलती थी, हालां कि लोग यू० डी० सी० की जगह काम करते थे; इसलिये उनके लिए अलग क्राइटेरिया रक्खा गया था।

श्री चान्दमल मेहता—मैं यह जानना चाहता हूं कि तनख्वाह अधिक मिलती थी, उनको सुविधा नहीं देने से ८०।८५ ही मिले और जो इन्टरमीजिएट हैं उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रक्खा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—क्राइटेरिया रक्खा है उनके लिए। युनिट के अन्दर अगर वे यू० डी० सी० का वेतन पाते थे और उनको पांच साल का अनुभव था तो उनको नये ग्रेड में लेकर यू० डी० सी० बनाया गया है।

श्री चान्दमल मेहता—पर जो यू० डी० सी० का वेतन नहीं पाते थे, उनको यू० डी० सी० क्यों बनाया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने बताया कि जयपुर युनिट में यू० डी० सी० की तनख्वाह कम थी। वर्ना काम करने की दृष्टि से वे वास्तव में यू० डी० सी० थे।

श्री चान्दमल मेहता—वे जयपुर स्टेट के वक्त में यू० डी० सी० न हों, तो आप क्या करियेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसका भी क्राइटेरिया देखेंगे। दो-तीन नम्बर में आये हैं, उनको रक्खा गया है। नम्बर दो में रीडर और अहलमद दिये गये हैं।

श्री चान्दमल मेहता—पर जो अहलमद और रीडर नहीं हैं, उनको लेने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कोई मिसाल आपके ध्यान में हो तो बताइये, आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। पर एक बात आप ध्यान में रक्खें कि अहलमद और नाजिर की पोस्ट इक्वल हैं।

श्री चान्दमल मेहता—क्या यह सही है कि ऐसे व्यक्ति भी हैं—जिनको यू० डी० सी० में जबर्दस्ती फिट कर दिया और उन व्यक्तियों ने स्वयं ने यह मांग की है कि हम कम्पीटेन्ट नहीं हैं, हमें वापिस एल० डी० सी० में बदल दिया जावे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि अगर कोई इन्टान्स आप बतावेंगे, तो अवश्य गौर किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष—Now the Question-hour is over. Next.

विधायी कार्य

राजस्थान दहेज निवारण विधेयक, १९५२ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति हेतु समय में वृद्धि

श्री कपिलदेव—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान......

श्री जवानसिंह—On a point of order, Sir, ...

I beg to request you to refer to our Article 19 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajasthan Legislative Assembly which is as follow :—

"On days allotted for the transaction of Government business, that business shall have precedence and the Secretary shall arrange the business in such order as the Speaker in consultation with the Leader of the House may determine."

I beg to submit that this day was allotted to Government business and because the Hon'ble Member is moving for extension of time as a private member for a private member's Bill, I beg to object to it and submit to you for a ruling on this point.

श्री अध्यक्ष—Rule 19 of the rules of procedure ?

श्री कपिलदेव—माननीय अध्यक्ष, जिस रोज नॉन ऑफिशियल डे था उस रोज भी यह रक्खा गया था, पर चूंकि सवाल रह गया था और सिर्फ रिपोर्ट पेश की गई है; इसलिए आपकी अगर आज्ञा हो तो पेश कर दूं।

श्री अध्यक्ष—I allow the objection.

Next, Shri Bhogilal Pandya.

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड विधेयक, १९५५ (पुरःस्थापन)

श्री भोगीलाल पंड्या—माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड विधेयक, १९५५, को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड विधेयक, १९५५, को पुनःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड विधेयक, १९५५, को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष—So now the fourth item, Budget.

मांग संख्या ११-सामान्य प्रशासन (पूर्व क्रम से)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि अनुदान के लिए मांग संख्या ११–मेजर हैड २५–सामान्य प्रशासन उपशीर्षक ङ, च और छ के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त, श्रीमन् राजप्रमुख को १,२१,८३,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।"

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री अवनिकुमार।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—माननीय अध्यक्ष, मेरा कट-मोशन इस प्रकार है :—

"That the Demand for Grant No. XI, Major Head No. 25—General Administration Sub-Head E—Commissioners be reduced by Rs. 100/- (to discuss the question of the abolition of the office of Commissioners.)"

माननीय अध्यक्ष, इस कट-मोशन के रखने से मेरा आशय यह था कि पिछले साल की एस्टीमेट्स कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी की क्या राय है, यह मालूम कर लूं। यही मालूम करने के लिए यह कट-मोशन रखा है।

यह सदन को अच्छी तरह से पता है कि पिछले साल सदन के अन्दर जो एस्टीमेन्ट कमेटी बनी थी, उन्होंने खर्चे में कमी करने के लिए सरकार के सामने कई सुझाव रखे थे। उनमें से एक सुझाव यह भी था कि कमिश्नर्स की जो पोस्ट्स हैं, वे खत्म कर दी जाय और उनसे काफी बचत राजस्थान सरकार को हो सकती है। उन्होंने यह सजेशन (Suggction) रखते समय चार बातें अपने ध्यान में रखी थीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कुछ जोर से बोलिये।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मैं तो जोर से बोल रहा हूं। शायद माइक्रोफोन की वजह से सुनाई नहीं दे रहा होगा।

(स्थान परिवर्तित करने के पश्चात्)

कमिश्नर की पोस्ट को खत्म करने के लिए उन्होंने जो सुझाव सदन के सामने रखे, उसके लिए चार प्रधान कारण हैं, पहली बात तो यह थी कि हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर कई पार्ट 'ए' स्टेट्स के

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

अन्दर कमिश्नर के नाम की कोई पोस्ट नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिन पार्ट 'ए' स्टेट्स में कमिश्नर की पोस्ट्स थीं, वहां बदलती हुई परिस्थिति को देखते हुए कमिश्नर की पोस्ट्स को खत्म किया जा रहा है और कुछ प्रदेशों के अन्दर तो एक्सपेरीमेन्टल बेसिस (Experimental basis) पर कमिश्नर्स की पोस्ट्स खत्म की जा रही हैं।

दूसरी वजह यह थी कि राजस्थान जब शुरू-शुरू में बना था, तो राजस्थान के अन्दर की एडमिनिस्ट्रेटिव इन्स्टेबिलिटी (Administrative Instability) को ध्यान में रखते हुए शुरू के सालों में कमिश्नरों की पोस्ट्स को रखना वाजिब था। आज राजस्थान को बने हुए ६ साल हो चुके हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव इन्स्टेबिलिटी (Administrative Instability) थी, वह भी आज खत्म होने को आई है। इसलिए ऐसी सूरत में कमिश्नर की पोस्ट्स को रखने से राजस्थान को कोई फायदा नहीं है।

तीसरे राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स (District Officers) जो हैं, वे सफिशिएन्टली (Sufficiently) क्वॉलिफाइड (Qualified) हैं। आई० ए० एस० की कैडर के कई आफिसर्स राजस्थान में उपलब्ध हैं। वह लोग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इसलिए जब हमारे पास रिक्वायर्ड क्वॉलिफिकेशन (Required Qualification) के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मौजूद हैं, तो ऐसी हालत में हमारी समझ में नहीं आता कि कमिश्नर की पोस्ट को क्यों रखा जावे ?

चौथी बात यह थी कि कमिश्नर्स कोई खास काम नहीं करते और एक तरह से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जो काम करते हैं, उनके और सरकार के बीच में कमिश्नर्स बफर (Buffer) की तरह से काम करते हैं।

इन तमाम बातों मद्देनजर रखते हुए एस्टीमेट्स कमेटी ने यह सुझाव सदन के सामने रखा था कि अब राजस्थान के अन्दर एडमिनिस्ट्रेटिव इन्स्टेबिलिटी खत्म हो चुकी है। हमारे पास रिक्वायर्ड क्वॉलिफिकेशन्स (Required Qualifications) के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मौजूद हैं और कमिश्नर्स जो हैं, वे कोई खास काम नहीं करते हैं; इसलिए ऐसी हालत में कमिश्नर्स की पोस्ट को क्यों रखा जाय ? एक बात और मैं इस सिलसिले में आपके सामने रख दूँ और वह यह है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स (District Officers) को अगर हम गवर्नमेन्ट के डाइरेक्ट कान्टेक्ट (Direct Contact) में ले आयें तो मैं समझता हूं कि वह एडमिनिस्ट्रेशन के हक में अच्छा होगा। उनके ऊपर जो पाबन्दियां हैं वे अगर हटा दी जायं, तो मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन (District Administration) और भी ज्यादा एफिशियेन्टली (Efficiently) काम कर सकता है। इसलिए इन्हीं बातों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने यह कट-मोशन रखा है। मुझे इस सम्बन्ध में और नहीं कहना है। बस; इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री चान्दमल मेहता, सीरियल नं० ५ लिस्ट नं० १।

श्री चान्दमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, मेरा एमेन्डमेन्ट इस प्रकार है :—

[श्री चांदमल मेहता]

"That the Demand for Grant No. XI, Major Head 25—General Administration Sub-Head F—District Administration be reduced by Rs. 100/- (to discuss the failure of the Government to re-organise Districts.)"

अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट के निर्माण के सिलसिले में जिन महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान रखना चाहिए, उनमें से दो बातों को मानता हूं—एक तो डिस्ट्रिक्ट की दृष्टि से सब लोगों को समान सुविधा प्राप्त हो और दूसरी बात यह है कि उसमें आर्थिक बोझ कमती से कमती पड़े। जहां तक राजस्थान के जिलों का सम्बन्ध है, कुल मिलाकर यहां २५ जिले हैं। इन जिलों में से कुछ की जनसंख्या ढाई लाख, ३ लाख, ५ लाख, कुछ की १० लाख है और कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां की जनसंख्या १७ लाख है। कुछ जिले ऐसे भी हैं, जिनका क्षेत्रफल बहुत कम है और कुछ जिले ऐसे हैं कि जिनके क्षेत्रफल और जनसंख्या कुछ डिविज़न के बराबर हैं। तो इस प्रकार राजस्थान में जिसकी कुल आबादी डेढ़ करोड़ है, उसके अन्दर २५ जिलों का होना हमारी आर्थिक स्थिति के ऊपर बहुत भारी प्रभाव डालने वाला है। इसलिए इस बात की ओर देखें कि इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हमारा कितना खर्चा पड़ता है। तो जो आंकड़े इसी वॉल्यूम नं० ३ में दर्ज हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर होते हैं, वे हैं–१,१५,४३,००० रुपया, जो कि हमारी लेन्ड रेवेन्यु की कुल जितनी आमदनी है, उसका १।५ हिस्सा है। तो इस तरह से बहुत बड़ी तादाद में जिलों के होने की वजह से उन जिलों पर बहुत बड़ा खर्चा होता है।

जब इन जिलों का निर्माण किया गया था तब राजस्थान सरकार की नजर में, यह बात मैं मान कर चलता हूं कि उस वक्त यह धारणा थी कि कमती से कमती दूसरे राज्यों के क्षेत्र एक दूसरे में जांय, और उससे कमती से कमती असुविधा पैदा हो, इस बात को दृष्टिगोचर रख कर इतनी बड़ी तादाद के जिले बना दिये गये थे। यही वजह है कि यहां डूंगरपुर जैसा छोटा जिला मौजूद है, बांसवाड़े जैसा छोटा जिला मौजूद है और बूंदी जैसा छोटा जिला मौजूद है। अगर कोई बात रखी गई मद्दे नजर तो वह यह रखी गई कि उन रियासतों की हद्दें दूसरी रियासत में न मिलने पायें; उनकी युनिट्स कायम रखी जायं। थोड़ी बहुत कहीं जोड़-तोड़ की गई। चार-पांच रियासतों को दूसरी रियासतों के साथ मिलाया गया। अध्यक्ष महोदय, जहां आर्थिक दृष्टि से इसका इतना असर पड़ता है, वहां अन्य बातों का भी असर जरूर पड़ता है। वह दूसरा असर यह पड़ता है कि वहां के लोगों को जो समान अधिकार मिलने चाहिए, समान सुविधाएं जो सबको मिलनी चाहिए, वे नहीं मिल पा रहीं हैं। अगर कुछ छोटे डिस्ट्रिक्ट को ले लें तो ३ लाख की आबादी का डिस्ट्रिक्ट है तो उस आबादी के लिए वहां कलेक्टर का हैड क्वार्टर है, असिस्टेन्ट कलेक्टर का हैड क्वार्टर है, ट्रेजरी ऑफिसर का हैड क्वार्टर है और दूसरी तरह की सुविधाएं भी होती हैं। यही नहीं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर है, इस दृष्टि से दूसरे डिपार्टमेंट्स की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे भी वहां मिल जाती हैं। वह पुलिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट का हैड क्वार्टर हो जाता है, मेडिकल ऑफिसर का हैड क्वार्टर हो जाता है। इस तरह से और तरह की सुविधाएं भी उनको मिल जाती हैं। तो इस तरह से एक छोटा-सा डिस्ट्रिक्ट है, वहां प्रत्येक व्यक्ति पर शासन का जो खर्चा है, उससे अधिक फायदा मिलता है, और जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उनको कम मिलता है। पुलिस, मेडिकल व अन्य विभागों पर डिस्ट्रिक्ट पर जो खर्चा पड़ता है, उसको अगर रखते हुए भी राजस्व-

[श्री चांदमल मेहता]

विभाग के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रति व्यक्ति जो खर्चा सरकार करती है, उसका हिसाब लगायें तो पता चलेगा कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रति व्यक्ति आठ आने खर्च होते हैं, जब कि डूंगरपुर पर सरकार खर्च करती है प्रति व्यक्ति ३ रु०। यह है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात। इसके अलावा मेडिकल, पुलिस और दूसरे डिपार्टमेन्ट्स के खर्चे का जहां तक सवाल है वहां तक और भी अधिक फायदा छोटे डिस्ट्रिक्ट्स को मिलेगा। जिस तरह का डिस्ट्रिक्ट्स का ढांचा तैयार किया गया है, उसी तरह की वहां की जनता की कठिनाइयां बढ़ी हैं। जयपुर डिस्ट्रिक्ट की आबादी १७ लाख है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कई गांव ऐसे हैं, जिनकी दूरी डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर से १३० या १५० मील तक है। इसका प्रभाव यह होता है कि जनता को अपने काम-काज में बड़ी कठिनाई पड़ती है और कई वर्षों तक उनके कागज नहीं निकल पाते हैं। यदि कागज निकलते भी हैं तो पैसों के जरिये से, भ्रष्टाचार के जरिये से निकलते हैं। इस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ाना होता है। राजस्व-मंत्रीजी ने एक प्रश्न के उत्तर में आज बताया था कि सस्पेन्शन के केसेज़ में ६ साल पुराने केसेज़ भी हैं, जिनमें सस्पेन्शन पीरियड की तनख्वाह देनी पड़ी है। ६ साल तक केसेज़ पेन्डिंग रहें और उनको तनख्वाह देनी पड़े, इससे एक ओर तो लोगों को तकलीफ होती है और दूसरी ओर सरकार पर यह प्रभाव पड़ा कि उसको खर्चा अधिक करना पड़ा।

तो जिस डिस्ट्रिक्ट में १७ तहसीलें हों, जिनका क्षेत्रफल बीकानेर डिविज़न के बराबर है और जिसकी आबादी कोटा डिविजन के बराबर है, उसको छोटा करना चाहिये। यह बात सभी लोग महसूस करते हैं। इसके साथ-साथ यह भी देखना पड़ेगा कि जनता की क्या मांग है और जनता क्या चाहती है? अधिकांश लोग यह चाहते हैं कि चूंकि जयपुर डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा हो गया है, इसलिये इसको तोड़ना चाहिये और उसके हिस्से अलग-अलग करने चाहिये। परबतसर के लोगों की यह मांग है कि उनको नागौर डिस्ट्रिक्ट में रहने से असुविधा है, क्योंकि उनको नागौर तक पहुँचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहां के आवागमन के साधन भी ठीक नहीं हैं। उसी तरह से नावां के लोग भी नागौर डिस्ट्रिक्ट में रहना पसन्द नहीं करते। फुलेरा के लोगों ने भी इसी तरह की मांग की है। इसलिये इन सब को मिला कर एक नये डिस्ट्रिक्ट का निर्माण करना चाहिये। इसके लिये हस्ताक्षर आन्दोलन भी चला है और किसान-सभा, बार-एसोसियेशन आदि ने प्रस्ताव भी पास किये हैं। वे लोग चाहते हैं कि किशनगढ़, परबतसर, नावां, फुलेरा आदि को मिला कर एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहिये और जयपुर डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, उसको छोटा बनाया जाय और जनता की असुविधाओं को खत्म किया जाय। इस सम्बन्ध में मैंने समय-समय पर प्रश्न सरकार से पूछे हैं। मैं जब पहली बार चुनाव लड़ कर यहां आया था, तब भी मैंने इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछे थे और त्याग-पत्र देने के बाद जब मैं दुबारा फिर चुनाव लड़ कर आया तब फिर मैंने इस बारे में प्रश्न पूछे तो मुझे जवाब दिया गया कि मामला विचाराधीन है, अंडर एक्टिव कंसीड्रेशन है और जल्दी ही फैसला होने वाला है। उसको भी १ वर्ष होने आया है लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ है। मैं नहीं समझ सका कि सरकार इस प्रश्न को खटाई में क्यों डालना चाहती है? जब कि छोटे डिस्ट्रिक्ट रख कर अच्छी तरह से काम किया जा सकता है तो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स रखकर जनता को क्यों असुविधा पहुँचाई जाती है और राज्य का खर्चा किया जाता है।

[श्री चांदमल मेहता]

मैं यह बताना बताना चाहता हूं कि हाल ही में सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की है कि पुरानी रियासतों की राजधानियों का महत्व कायम रखने के लिए वहां कई डिपार्टमेंट्स के हैड क्वार्टर्स भेजने की तजबीज की है। सरकार का यह निर्णय वाजिब और सराहनीय है। बड़ी-बड़ी रियासतों की राजधानियों की ओर आपका ध्यान गया है तो छोटी-छोटी रियासतों की राजधानियों की ओर भी आपको ध्यान रखना चाहिये। जो स्थान पहले छोटी रियासतों की राजधानियां थीं–वे आज डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स भी नहीं है, यह ठीक बात नहीं है। कम से कम डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर तो इन स्थानों को बनाना ही चाहिये। डिस्ट्रिक्ट निर्माण के संबन्ध में पहले एक तरह का आन्दोलन चला था और किशनगढ़ उसका अगुआ था और वहां के लोगों ने इसके लिए हड़ताल भी की थी और यह मांग की थी कि इसको डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर बनाया जाय। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि किशनगढ़ न केवल डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर बनने के काबिल है, बल्कि वह राजस्थान की राजधानी बनाने के भी उपयुक्त है। जब राजस्थान की राजधानी बनाने का सवाल चला था, तब एक तरफ तो अजमेर का नाम था और दूसरी तरफ जयपुर का था। उस झगड़े को निपटाने के लिए भूतपूर्व राजस्थान की सरकार के नेताओं ने यहां तक कहा था कि हम किशनगढ़ को राजस्थान की राजधानी बनाने के लिए तैयार हैं। मैं भूतपूर्व राजस्थान के उन मंत्रीजी को–जो आज हमारे मुख्य मंत्री जी हैं, यह कहूंगा कि किशनगढ़ राजस्थान की राजधानी हो सकता था तो कोई वजह नहीं है कि वह डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर नहीं हो।

जब राजस्थान बना था, तब जिलों के निर्माण के संबंध में यह आज्ञा निकाली गई थी कि पुरानी रियासतों की राजधानियां–जो अब डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स नहीं रही हैं, वहां पर एस. डी. ओ. को एडीशनल कलेक्टर के पॉवर होंगे और सब फैसले वहीं कर दिये जायेंगे। ऐसे पांच स्थान रखे गये थे–जिनमें से धौलपुर, किशनगढ़, शाहपुरा आदि पुरानी राजधानियां थीं। लेकिन खेद के साथ निवेदन करना होगा कि आखिरकार हुकूमत से यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ और किशनगढ़ के एस. डी. ओ. को एडीशनल कलेक्टर के पॉवर भी नहीं रहे। इस बारे में विधान सभा में जब प्रश्न पूछा गया तो कहा गया कि वहां के एस. डी. ओ को एडीशनल कलेक्टर के पॉवर्स हैं। जब मैंने वापिस पूछा कि अगर ये पॉवर्स उनको नहीं है तो क्या आप दे देंगे तो जवाब मिला कि यह सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उसको एडीशनल कलेक्टर के पॉवर्स हैं। मैंने फिर दुबारा प्रश्न पूछा कि एडिशनल कलेक्टर के पॉवर्स किशनगढ़ के एस. डी. ओ. को किस तारीख को दिये गये थे तो जवाब दिया गया कि इस तरह के पॉवर्स नहीं दिये गये। मेरी समझ में नहीं आया कि एक तरफ चुप रहने के लिए एक बात कह दी जाती है और दूसरी बार उसके विपरीत दूसरी बात कह दी जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब पहले जवाब को गलत बताने का प्रश्न आया तो विरोधी दल के नेता ने पूछा कि एक स्टेटमेन्ट सरकार देती है और दूसरा मि० मेहता देते हैं तो सही कौन-सा है, तो कहा गया कि सरकार ने जो बात कही है, वह सही है। इस तरह की बातें हमारे यहां चलती हैं। इससे जनता की असुविधाएं बढ़ी हैं और राज्य को आर्थिक हानि हुई है। सारी चीजों को जब सोचते हैं तो इसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि जिलों का पुनर्निमाण जल्दी से जल्दी किया जाय। मुझे एक बार यह भी कहा गया कि अभी बाउन्डरी कमिशन का मामला हमारे सामने है; इसलिये अभी इसको तय नहीं कर रहे हैं। पिछले प्रश्न के उत्तर में कहा

[श्री चांदमल मेहता]

गया था कि बाउन्डरी कमिशन के फैसले की इन्तजारी नहीं की जायगी। यदि आप सभी जिलों के पुनर्निर्माण का मामला अभी अपने हाथ में न लें तो कम से कम जयपुर डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, उसके तो दो डिस्ट्रिक्ट्स कर देने चाहिये और दूसरे हिस्से जो उनसे मिलते हैं, उनको मिलाकर एक अलग जिला बना देना चाहिये। सरकार ने जैसलमेर का जिला शुरू में बनाया था, फिर तोड़ा और अब फिर बनाया। सभी जिलों के पुनर्निर्माण का प्रश्न अभी नहीं ले सकते तो जयपुर जिले के बारे में तो माननीय मंत्रीजी अवश्य कोई निर्णय लेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

श्री किशनलाल शाह—अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये में खड़ा हुआ हूं। जब राजस्थान बना था, उस वक्त वहां के देशी नरेशों ने कॉवेनेन्ट में एक शर्त रखवाई थी कि राजस्थान का प्रशासकीय एकीकरण संपूर्ण कर दिया जाय। लेकिन उनकी जो इंटिग्रिटी है, एरिया है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जायगा और चूंकि राजस्थान का शासन संभालने वाले इससे पहले विभिन्न क्षेत्रों को अपने प्रशासन में, अपने हाथ में ले चुके थे, इसलिये इस वक्त ऐसा महसूस होता है कि उस कॉवेनेन्ट के कारण और कुछ क्षेत्रीय भावना के कारण क्षेत्रीय भावना से उपर नहीं उटकर कमिश्नरियां बनाकर उनके अंदर जिलों और तहसीलों का पुनर्गठन किया गया। उसके बाद जिलों का निर्माण किया गया। उसमें भी, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण से गठन किया गया और जनता के अभाव-अभियोग और उनकी असुविधाओं का कोई ध्यान नहीं रखा गया। इसके बाद उनके एकीकरण का प्रश्न आया और राजस्थान सरकार के जितने भी मंत्री-मंडल बने उन्होंने यही स्वीकार किया कि आज तक का जो पुनर्गठन है, वह अवांछनीय है और जनता की भावना से पूर्ण नहीं है। साथ ही यह आश्वासन दिया कि उन पर पुनर्विचार किया जायगा और पुनर्विचार के बाद जनता की भावनाओं के आधार पर इस प्रश्न को सुलझाया जायगा, यह आश्वासन रहा और हमें ऐसा महसूस हुआ कि इस वर्गीकरण में कुछ राजनैतिक दृष्टिकोण के साथ-साथ व्यक्तियों का दृष्टिकोण भी आता है, जैसा कि अभी नावां और परबतसर के प्रश्न का रेफेरेंस माननीय सदस्य ने दिया। मेड़ता न्याय के लिहाज से और नागौर प्रशासन के लिहाज से बहुत अधिक खर्चीला है और दुगुना-तिगुना समय लगता है जो नहीं लगना चाहिये और गरीब आदमियोंको जो न्याय मिलना चाहिये, वह नहीं मिलता। इसका कारण यह भी होता है कि वहां जाने से सारे कर्मचारी, नीचे के मातहत कोर्ट्स हैं, ऑफिसेज़ हैं, वहां कुछ गड़बड़ी हो जाती है। कोई हाथों-हाथ मिलने वाले हों, या एक ही वकील जाकर केस रखे तो फायदा मिल सकता है।

इन सब बातों को देखते हुए नावां और परबतसर का डिस्ट्रिक्ट-हैड क्वार्टर किशनगढ़ किया जाय; इस तरह की मांग, वहां की कांग्रेस ने, किसान सभा ने, बार-एसोसियेशन ने और वहां की सब जनता ने मिलकर की।

माननीय सदस्य ने किशनगढ़ का कहा, पर उस समय आन्दोलन चला था तो सांभर का भी स्थान था और किशनगढ़ का भी स्थान था। पर चन्द व्यक्ति हैं, जिनका असर है और नागौर और मेड़ता में इस प्रकार की रद्दोबदल की जाय तो उनकी निगाह से खतरा हो सकता है। वे व्यक्ति महसूस करते हैं कि ये तहसीलें हमारे यहां से हट गईं तो हमारा सारा काम बिगड़ जायगा। कुछ खास व्यक्तियों की

[श्री किशनलाल शाह]

इच्छा को पूरी करने के लिये जो यह किया जा रहा है। उसके बारे में प्रश्नोत्तर-काल में जो लीपा-पोती, झुंझलाहट, घबराहट होती है, उससे मैं यह कहने की हालत में हूं कि एक आदमी की राय से काम होता है। नागौर और मेड़ता का वकील-समुदाय उस व्यक्ति के साथ है, उनको प्रसन्न करने के लिए ऐसा किया जाता है।

मेडता में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है, नागौर में एडीशनल सेशन जज है; बाद में दिया गया है। नागौर से मेडता में पहले एडीशनल सेशन जज गया तो वहां की जनता ने रिप्रेजेंट किया, दो साल पहले एडजस्ट किया है कि वहां ज्यादा काम है। तो नागौर का काम इतना ज्यादा और एरिया इतना लम्बा-चौड़ा है कि ३६५ दिन में दूसरे स्थानों में नहीं पहुंच पाते, रोजाना काम चलता है और जो दूसरे काम होते हैं, वह कर लेता है और इन्टीरियर पार्ट में नहीं पहुँच पाता।

फिर यह कहा गया कि बाउन्डरी कमिशन नहीं बना है। माननीय अध्यक्ष, मैं कहता हूं कि बाउन्डरी कमिशन का इन्तजार किसने किया है, व्यक्तियों ने तो आपस में बांट कर तय कर लिये हैं कि तेरा यह स्थान है मेरा यह स्थान है। इस तरह व्यक्तियों के स्वार्थों और इच्छाओं के आधार पर यह होता है, यह ढांचा चलता है तो मैं सरकार से पूछना चाहूंगा और विशेष कर नवयुवक मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इस तरह से व्यक्तियों का लिहाज रख कर इस मामले में नीति बरती गई है, वह नीति कब तक बरती जायगी? प्रगति का मसला है बड़ा, हरएक मान गया है कि राजस्थान को बने हुए इतना अर्सा हो गया है, कब तक यह इसी तरह रहेगा?

मैं इन बातों पर स्पष्टीकरण चाहूंगा और उनकी मांग का समर्थन करते हुए कहूंगा कि अगर व्यक्तियों की इच्छाओं और लिहाज के आधार पर इस संबन्ध में नीति बरती गई तो फिर आन्दोलन होंगे। क्षेत्रीय आधार पर कदम उठाने की हालत में जो लीपा-पोती की जाती है, जो आज तक की गई है, यह ठीक नहीं है। यह भी समझ चुके हैं कि आज गरीबों की, किसानों की जो स्थिति है, उसके विरुद्ध जो ट्रेन्ड आता है उसको देखते हुए हम चाहते हैं कि इनका समाधान हो। मैं एक अवधि चाहता हूं कि इस अवधि तक यह काम हो जायगा। मैं समझता हूं कि मुख्य-मंत्री इस वर्गीकरण पर जरूर ध्यान देंगे और निश्चित अवधि में इसे ठीक करेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष,......

श्री अध्यक्ष—इसका तो जवाब देने दीजिये, आप दूसरे पर बोल लेना।

श्री मुक्तिलाल मोदी—इस बारे में मेरे ऊपर ज्यादती हुई है, इसलिये मैं इस विषय पर बोलूंगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—किसके कट-मोशन पर बोल रहे हैं?

श्री मुक्तिलाल मोदी—श्री चांदमल मेहता के।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया क्या कट-मोशन है?

श्री मुक्तिलाल मोदी—जिलों के बारे में है। माननीय अध्यक्ष, जो चांदमल जी मेहता ने कट-मोशन रखा है, उस कट-मोशन के समर्थन में मैं कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। यहां जिस वक्त जिलों का निर्माण हुआ, उस वक्त अलग-अलग लोगों ने सरकार को कहा और जनता ने अपने-अपने जिलों के बारे में मांगें रखीं। परन्तु सरकार ने जनता की मांगों के मुताबिक तो जिले किये नहीं और जिन-जिन लोगों ने सरकार के अधिकारियों पर, सरकार पर जोर डाला, दबाव डाला, वहां-वहां जिले किये गये और सब-डिविजन ऑफिस भी जनता की मांग के माफिक न करके व्यक्तियों के दबाव के माफिक किया गया। आज जिस-जिस तरीके पर सरकार बदलती जाती है और उसमें जिन-जिन खास व्यक्तियों का हाथ रहता है, उन्हीं की इच्छा के मुताबिक एस. डी. ओ., सब-डिविजन ऑफिस चेंज कर दिये जाते हैं और कुछ उनमें तहसीलें भी चेंज कर दी जाती हैं।

तो ऐसी हालत में जिलों का, सब-डिविजन ऑफिस का और तहसीलों का, जो कुछ करना है उसके बारे में मैं सरकार से यही प्रार्थना करूंगा कि उनका जल्दी से जल्दी जो कुछ भी हो, जल्दी से तय करें जिससे आज जनता को जो असुविधा दिखाई देती है, वह दिखाई नहीं दे। इसमें छोटे-छोटे जिले हैं या बड़े जिले हैं, उनकी तहसीलों को मिलाया जावे और कहीं-कहीं एक लाख की आबादी पर सब-डिविजन ऑफिस है, कहीं डेढ लाख की आबादी पर है, जब कि सरकार का ऐसा नियम बना हुआ है कि तीन साढे-तीन लाख की आबादी पर एक सब-डिविजन ऑफिस किया जायगा और इसमें तहसीलों को भी इसी तरह से कायम किया जावेगा तो बहुत सहूलियतें रहेंगी। इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि तहसीलों, सब-डिविजनों और जिलों का पुनर्निर्माण करना चाहिये ताकि पब्लिक को सुविधा मिल सके।

श्री अध्यक्ष—Reply please.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, जो कट-मोशन प्रस्तुत हुए हैं, उनमें एक में तो कमिश्नरों को एबोलिश करने के लिये और दूसरे में जिलों का निर्माण करने के संबन्ध में है। जहां तक कमिश्नरों की पोस्टों को न रखने का प्रश्न है, इस संबन्ध में मैं आपके द्वारा सदन को यह अर्ज करूंगा कि कई राज्यों में डेवलपमेन्ट कोऑर्डिनेशन और सुपरविज़न की एक्टीवीटीज़ बढ़ती जा रही हैं और इसके लिये पहले जितने कमिश्नर थे, उनसे ज्यादा बढ़ाये गये हैं और उन्होंने पोजिशन को इस संबन्ध में रिवाइज़ किया है। मद्रास में नये तौर से ये कायम किये गये हैं। यहां पर हम शुरूआत की स्टेज पर हैं, इसलिये हमें कुछ समय के लिये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल के लिये कमिश्नरों को रखना जरूरी होगा और जब हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी लेवल पर पहुँच जावेगा तब इस प्रश्न पर विचार करना होगा। यह आपने बताया कि इससे कुछ सेविंग हो सकती है लेकिन इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमें देखना है। इसलिये इन सारी बातों को देखते हुए आप मुझे क्षमा करेंगे कि इस कारण से कमिश्नर को समाप्त करने का विचार करने में मैं असमर्थ हूं।

दूसरी बात डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कही गई है। यह सच है कि इस बारे में काफी विचार कई बार किया गया और राजस्थान की स्थिति को देखते हुए यह अच्छा है कि इसका रिऑर्गेनाइज़ेशन हो। कुछ जिले बड़े हैं और कुछ तहसीलों को उन जिलों के साथ लगाया गया है,

Page No.58

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

जहां हो सकता है कि वे दूसरे जिले के साथ होने पर ज्यादा ठीक होते और कई जगह के क्षेत्र और आवागमन को देखते हुए उनका पुनः निर्माण होना चाहिए। इसके अलावा और भी कई दृष्टिकोण हैं, जिनको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन की सहूलियतों को भी ध्यान में रखना होगा। इसलिये, माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा सदन को सूचना देना चाहता हूं कि अभी हमने एक डिस्ट्रिक्ट रि-ऑर्गेनाइजेशन कमेटी मुकर्रर की है। यह कई आदमियों की कमेटी है। इसके अलावा मैं विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि जो यह कमेटी बनी है उसको यह कार्य भी सौंपा है कि वह सब बातों का ध्यान रखे जब वह जिलों का पुनर्निर्माण करे, क्योंकि तहसील और सब डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर ही यह सेट-अप नहीं होना चाहिए, बल्कि सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए; क्योंकि एक चीज की कमी रहती है तो यह सेट-अप पर्मानेन्ट नहीं बन पाता है। पहले तहसीलों और सब-डिविजनों का समावेश नहीं था। अब हम नीचे से ऊपर की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम यह भी चाहते हैं कि एक थाना एक एस. पी. के हल्के में है, लेकिन उसका सुपरविजन दूसरे एस. पी. के हाथ होता है। इस प्रकार इन सारी चीजों को रिवाइज़ करके ऐसा प्रबन्ध करना चाहते हैं कि होम और जुडिशियरी एक साथ चलें। इस तरह सेट-अप को ठीक करने का इरादा है और यह एक कम्पलीट पिक्चर हमारे ध्यान में है। इसमें मुख्य आधार सोचने का रहेगा–वह एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल होगा। इकॉनोमिक तो होना जरूरी है ही, लेकिन इसके साथ-साथ एफिशिएन्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट का कन्ट्रोल होना भी बहुत ही आवश्यक है। मैं मानता हूं कि जयपुर जिले का प्रश्न उठाया गया है। जयपुर जिला बहुत ही बड़ा जिला हो गया है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिवली कन्ट्रोल करना आसान नहीं है इसलिये रि-ऑर्गेनाइजेशन के बारे में विचार किया जा रहा है। इस संबन्ध में जहां तक कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देगी तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। हमने इस कमेटी से कहा है कि एक मुख्य आधार रि-ऑर्गेनाइजेशन का केवल यह होना चाहिये कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएन्सी के आधार पर जो जिला ठीक हो, उसके आधार पर उनका निर्माण होना चाहिये। इसलिये इस सम्बन्ध में मैं पहले से ही कोई बात कहूं, यह ठीक नहीं होगा। हमें इस कमेटी को फंक्शन करने देना चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि मई के आखिर तक हम इस योजना को पूरा कर देंगे। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो बातें मैंने कही हैं उनको देखते हुए माननीय सदस्य अपने कट-मोशन वापिस ले लेंगे।

कमिश्नर की बात पर मैं जरूर उनसे सहमत हूंगा, लेकिन हमें काफी सीनियर ऑफिसर इसलिये चाहिये कि वे एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छी तरह से देख-रेख करें और एडमिनिस्ट्रेशन को कायम रखें। इसलिये प्लानिंग में यह ध्यान रखा गया है कि अच्छी तरह से काम हो, इसके लिये सुपरविजन के लिये ज्यादा आदमी हों। इसके अलावा जब यह सुना कि रुटीन में जो कागज आते उनमें डिले होती है तो इस डिले को कम करने के लिये एक सजेशन यह भी है कि हम किसी चीज की रिपोर्ट तहसीलदार से चाहते हैं या एस. डी. ओ. से चाहते हैं तो सीधे कागजात सेक्रेटरिएट से तहसीदार या एस. डी. ओ. के पास पहुँच जाने चाहिये। ये कागज सीधे पहुंच जावेंगे। वह अपनी रिपोर्ट कलेक्टर के पास भेजेगा और फिर वह हमारे पास आवेगी। हमारा यह इरादा नहीं है कि वह कमिश्नर के मार्फत पास-अप हो, लेकिन हम यह चाहते हैं कि उसको भी सारी बातों की जानकारी हो,

Page No.59

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

जो डेवलपमेंन्ट को-ऑर्डिनेशन एन्ड सुपरविजन के लिये होना बहुत जरूरी है। हम यह चाहते है कि कमिश्नर डेवलपमेन्ट को-ऑर्डिनेशन एन्ड सुपरविजन एक्टीवीटीज़ पर गवर्नमेन्ट को समय समय पर जानकारी देता रहे। यह उनका रोल होगा। इन सारी बातों को देखते हुए उनका होना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि जो कट-मोशन आए हैं, आप उनको विधड्रा कर लेंगे और इस मांग को स्वीकार करेंगे।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—माननीय अध्यक्ष, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लूं इससे पहले दो शब्द कहना चाहता हूं।

अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि कमिश्नरों के मामले में दूसरे प्रान्तों ने विचार किया है और उन्होंने पोजिशन को रिवाइज़ किया है। इस सम्बन्ध में मैं उनके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि यहां पर इस वक्त कमिश्नरों की पोजिशन यह है कि वह रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (Revanue administration) की देख-भाल करते हैं और दूसरी बातों की देख-रेख करना उनके परव्यु (Purview) में नहीं है। अगर आप कमिश्नरों को रखना चाहते हैं तो उनके पॉवर्स (Powers) को एनलार्ज कीजिए। जब तक आप ऐसी स्थिति कायम नहीं करेंगे, तब तक कमिश्नरों को रखने से कोई फायदा नहीं होगा।

इस वक्त जैसी की स्थिति है, उसमें कमिश्नर्स को सिर्फ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (Revanue administration) के ही अधिकार दिये हुए हैं। अगर आप कमिश्नर की पोस्ट को ज्यादा यूज़फुल (Useful) बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिये कि डिविजन में डेवलपमेन्ट से सम्बन्धित जितने भी ऑफिसेज़ हों उनकी भी देख-रेख करने के अधिकार उनको दे देने चाहिये। जब इस डाइरेक्शन (Direction) में कदम उठाया जायगा तो जो बातें मुख्य मन्त्री के ध्यान में हैं वे पूरी हो सकती हैं। इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि मुझे अपना कट-मोशन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान करे।

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, मुख्य मन्त्री के आश्वासन के बाद मैं अपना कट-मोशन वापिस लेने के लिये सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की राय है कि इन दोनों कट-मोशन्स को वापिस लेने की आज्ञा दी जाय। (स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री चांदमल मेहता—मैं भी अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है, "कि अनुदान की मांग संख्या ११, मेजर हैड २०-सामान्य प्रशासन उपशीर्षक ङ, च और छ के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १,२१,८३,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या २३-उद्योग और प्रदाय

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग एवं व्यवसाय मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि, "अनुदान के लिये मांग संख्या २३-मेजर हैड ४३-उद्योग और प्रदाय के संबन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ६४,७६,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री खेतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री तेजमल बापना।

(अनुपस्थित)

श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, इस डिमान्ड पर मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं जो इस प्रकार हैं :—

"That the Demand for Grant No. XXIII, Major Head 43—Industries and Supply be reduced by Rs. 100/- (to discuss the failure of Government to abolish Royalty on certain industries.)"

"That the demand for grant No. XXIII, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Rs. 10^/- (to discuss the failure of the Government to abolish Royalty on the sale of cement in Kishangarh sub division.)"

"That the demand for grant No. XXIII, Major Head 43-Indusrties and Supplies be reduced by Rs. 100/- (to discuss the failure of the Government to develop small and large scale industries in Rajasthan.)"

माननीय अध्यक्ष, मैंने जो ये कटौती के प्रस्ताव रखे हैं, उसमें पहला कटौती प्रस्ताव रखने का मतलब यह है कि सरकार रॉयल्टी एबोलिश करने के बारे में कदम उठाये। अध्यक्ष महोदय, अगर किसी उद्योग पर कोई टेक्स लगाये जाते हैं तो यह आम तौर पर मान कर चलना चाहिये कि यह उस उद्योग की प्रगति में एक प्रकार की बाधा उपस्थित करना है। आज का युग कानून का युग है। आज वह राजाओं का या सामन्तों का युग नहीं, जिस युग में यह था कि एक उद्योग पर एक टेक्स

[श्री चांदमल मेहता]

लगाया जाय और दूसरे पर दूसरा। आज वह युग समाप्त हो चुका। अब यह युग है कि कानून के आधार पर टेक्स लगाया जाय। जहां तक रॉयल्टी का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करूंगा कि कोई कानून नहीं है जिसके अन्तर्गत रॉयल्टी उद्योगों पर लगाई जाय। कोई इस तरह का नियम नहीं है कि जिसके आधार पर यह सब उद्योगों पर समान रूप से लगाया जाय।

राजस्थान के निर्माण में कई छोटी और बड़ी रियासतों का मिश्रण हुआ है, जहां हरेक राज्य में रॉयल्टी के सम्बन्ध में हरेक राज्य के एग्रीमेन्ट होते थे, उन्हीं एग्रीमेन्ट्स के आधार पर यह रॉयल्टी ली जाती थी और आज भी जब कानून का युग है तो राजस्थान का निर्माण हुए पांच साल होने आये हैं फिर भी अभी तक वही रॉयल्टी उसी प्रकार कायम है। यह रॉयल्टी जिन लोगों से वसूल की जाती है, उनके पास एग्रीमेन्ट है। आज यह भी नहीं कि उनसे जब सेल्स-टेक्स, इनकम-टेक्स और सुपर-टेक्स लिया जाता है तो उनसे रॉयल्टी न ली जाय। राजस्थान के निर्माण के पूर्व उनको एग्रीमेन्ट में जिन टेक्सेज़ की सुविधायें थीं, जिनसे वे मुक्त थे आज उन पर सेल्स-टेक्स, सुपर-टेक्स इनकम-टेक्स लागू हो जाता है, लेकिन टेक्सेज़ का आज के युग में लागू नहीं होना चाहिये, उसी टेक्स को हमारी सरकार लागू रखना चाहती है। जो रॉयल्टी वसूल की जाती है उसकी कितनी रकम बकाया है; जब इस सम्बन्ध में मैंने प्रश्न किया था तो माननीय मंत्री ने उत्तर में फरमाया था कि ५ लाख और कुछ हजार रुपये बकाया हैं। उसके साथ में एक लम्बी-चौड़ी लिस्ट भी थी, जिसमें ३५ के ऊपर नाम थे, जिनके नाम के आगे रॉयल्टी की कितनी रकम बाकी है, वह लिखी हुई थी। उस समय यह भी बताया गया था कि कुछ लोगों ने इस सम्बन्ध में कोर्ट में रिट दाखिल कर रखी है और कुछ ने इण्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट से मांग की है कि एग्रीमेन्ट की शर्तों के मुताबिक उनसे अन्य टेक्सेज़ नहीं लिये जाने चाहिये। इस कारण से सरकार ने इसको पोस्टपोन कर रखा है। इसके मायने यह हुए कि जो व्यक्ति समर्थ थे उन्होंने तो हाई कोर्ट में रिट करके अपना बचाव का रास्ता निकाल लिया और कुछ व्यक्ति जो सरकारी अधिकारियों से सम्बन्ध रखते हैं, उन्होंने इण्डस्ट्रीज़ विभाग को लिख दिया है और इस तरह से उनका रुपया जो वसूली का है, वह बाकी पड़ा हुआ है। इनके अलावा जो व्यक्ति ऐसे हैं जो न तो समर्थ हैं और न जिनके पास अधिकारियों तक पहुंचने की सिफारिश ही है उनको इस रॉयल्टी का शिकार होना पड़ा रहा है। मेरा यह कहना है कि यह रॉयल्टी किसी भी सूरत में वाजिब नहीं है और वह नहीं ली जानी चाहिये। इसके अलावा उद्योगों को अधिक से अधिक सुविधायें दी जानी चाहिये। इसलिये मेरा यह नम्रतापूर्वक निवेदन है कि उद्योगों पर जो भी टेक्स हैं, उनमें से कम से कम रॉयल्टी का टेक्स तो उठ ही जाना चाहिये। रॉयल्टी सिर्फ उदयपुर डिविजन में ही चल रही है। दूसरे डिविजनों में राजस्थान के निर्माण के बाद जो नये उद्योग खुले हैं, उन पर लागू नहीं है।

उदयपुर डिविजन में ऐसा है कि राजस्थान के निर्माण से पहले और राजस्थान के निर्माण के बाद भी यह रॉयल्टी वहां चालू है। इस सम्बन्ध में जो सूची सदन के समक्ष रखी गई कि राजस्थान के निर्माण के बाद किस-किस उद्योग-धंधे पर रॉयल्टी ली गई है और वह कहां-कहां स्थित है तो मुझे बताया गया कि उदयपुर डिविजन को छोड़कर कहीं नहीं है। इस सम्बन्ध में जब हमने देखा तो कोटा डिविजन में भी चार उद्योग ऐसे हैं जिन पर रॉयल्टी है; जोधपुर के ४, जयपुर के

[श्री चांदमल मेहता]

४ और बाकी उद्योग हैं, जिन पर रॉयल्टी ली जाती है, वे सब उद्योग उदयपुर डिविजन में हैं। इस प्रकार यह कहना कि एक ही उद्योग पर भिन्न २ तरह की रॉयल्टी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऑइल मिल्स ऐसी हैं कई, जिन पर प्रोडक्शन के आधार पर रॉयल्टी ली जाती है। कहीं पर ऐसा है कि सेल्स के आधार पर रॉयल्टी ली जाती है; १ पैसा रुपया, २ पैसा रुपया और १ आना रुपया। कई ऑइल मिल्स ऐसी हैं जिन पर किसी प्रकार की रॉयल्टी नहीं है। तो यह मानी हुई बात है कि जिन ऑइल मिल्स पर रॉयल्टी नहीं है, वे कम्पीटिशन में उनसे जिन पर रॉयल्टी ली जाती है, आगे बढ़ेंगी। इसका नतीजा यह होगा कि जिन ऑइल मिल्स से रॉयल्टी ली जाती है उनको बन्द होना होगा। इस तरह से उद्योग-धंधों के ह्रास होने का मुख्य कारण रॉयल्टी का लागू होना भी है। इस दृष्टि से कि अगर यह बन्द हो जायेंगे तो सरकार को भी नुकसान होगा और जनता को भी। इसलिये माननीय मंत्रीजी से मेरा नम्र निवेदन है कि यह एक ऐसी चीज है जो किसी भी सूरत में आगे बढ़ने वाली नहीं है। इससे यदि किसी को फायदा हो सकता है तो वह केवल उद्योग विभाग के अधिकारियों को ही हो सकता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस रॉयल्टी को हटा दिया जाना चाहिये। इस संबन्ध में मैं अपनी वे बातें भी आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो मैंने सेल्स टेक्स के समय कही थीं। जिन उद्योगों पर ऑलरेडी टेक्सेज़ हैं, अगर उन पर सेल्स टेक्स लिया जायगा तो उन पर टेक्सेज़ का डबल भार होगा। जब कि हम एक तरफ कस्टम हटाने जा रहे हैं तो उस समय जो इस बिलका संचालन कर रहे थे, उन माननीय मन्त्री महोदय ने फरमाया कि हम इस टेक्स के जरिये एक सी व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो इस तरह की अलग-अलग व्यवस्था है उसके बारे में उद्योग-मन्त्रीजी सोचेंगे। इस तरह से यह रॉयल्टी जैसी चीज है, उसको लागू नहीं रखा जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि वास्तव में वे उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहते है तो रॉयल्टी खत्म की जानी चाहिये। आप यह कह सकते हैं कि यह तो हमारे आमदनी का जरिया है, हम इसको कैसे खत्म करें। लेकिन इसके खत्म करने से आपकी आमदनी बढ़ेगी और उद्योग-धंधे भी पनप सकेंगे। अगर उद्योग बन्द हुए तो न केवल आमदनी ही खत्म होगी; साथ ही हाथ बेकारी की समस्या भी बढ़ जायगी।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है—किशनगढ़ सब-डिविजन पर खास तौर से सरकार की कृपा है और इस कृपा के आधार पर किशनगढ़ सब-डिविजन में सीमेंट की बिक्री पर २ आना प्रति हन्डरवेट रॉयल्टी ली जाती है, उसके सम्बन्ध में।

सीमेन्ट के उद्योग पर रॉयल्टी लगे यह समझ में आ सकता है, पर बिक्री पर रॉयल्टी हो यह खास तौर से किशनगढ़ पर ही कृपा है। वहां जो सीमेन्ट की बिक्री होती है, उसमें प्रति हन्डरवेट २ आना रॉयल्टी का लिया जाता है सरकार के उद्योग विभाग द्वारा। इस सम्बन्ध में समय-समय पर प्रश्न भी पूछे गये और कहा यह गया कि वह टेक्स केवल किशनगढ़ में ही है और यह भी कहा गया कि यह किशनगढ़ स्टेट के वक्त से चला आ रहा है, इसलिये चालू रखा है।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अब राजस्थान है, किशनगढ़ स्टेट नहीं रह गई है, राजस्थान बनने पर सबको समान अधिकार है, सब पर समान टेक्स होने चाहिये। अगर कोई पहले

[श्री चांदमल मेहता]

से चला आ रहा है, गैर-वाजिब टेक्स था तो उसे समाप्त कर देना चाहिये। यह सवाल किया जा सकता है कि वहां कस्टम नहीं है, तो मैं निवेदन करूंगा कि जहां टेक्स लगाने का मौका आता है, तो जहां पहले से टेक्स हैं और दूसरी जगह नहीं हैं, तो फिर उनको नहीं लगाना चाहिये। इस दृष्टि से निवेदन करूंगा कि सीमेन्ट पर जो टेक्स लिया जाता है वह फौरन बन्द किया जावे।

तीसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है—छोटे-बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन देने के बारे में। इसमें यह सरकार असफल रही है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिये जितने साधन हैं, उनके लिए मैं कह सकता हूं कि सम्भवतः शायद ही ऐसा कोई दूसरा प्रान्त हो, जहां इतने साधन हों और साथ ही यह भी कहना पड़ेगा कि शायद ही कोई ऐसा दुर्भाग्यशाली प्रान्त भी होगा जो उद्योग के बारे में इतना पिछड़ा हुआ हो, जितने हम हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसके कई कारण हो सकते हैं, कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं कि पहले से राजा लोगों ने अपने वक्त से इस तरफ ध्यान न दिया हो, पर यह भी कहना पड़ेगा कि कुछ राजाओं का ध्यान इस ओर गया राजस्थान निर्माण के कुछ वर्षों पहले। उन्होंने देखा कि हमारे ही राजस्थान के निवासी अन्य-अन्य प्रान्तों में जाकर बड़े-बड़े उद्योगपति बन बैठे हैं और वहां के उद्योगों को काफी आगे बढ़ाया है, उन्नत किया है, समृद्धिशाली बनाया है; तो उन राजाओं ने देखा कि इनके जरिये हम भी क्यों नहीं अपने यहां अपने उद्योगों को पनपाएं। इसी का परिणाम है कि आज हमारे राजस्थान में उनके समय से चली आ रही ४-५ टेक्सटाइल मिलें हैं, सीमेन्ट फेक्ट्रियां हैं और और भी छोटी-बड़ी फेक्ट्रियां हैं और कल-कारखाने हैं। पर अगर हम इस बात को देखें कि राजस्थान के निर्माण के बाद क्या वृद्धि इनमें हुई तो यह मान कर हमें चलना पड़ेगा कि वृद्धि की बात तो हमें नहीं करनी चाहिये पर उस स्थिति में भी राजस्थान बनने के बाद कितना ह्रास हुआ है यह सोचना चाहिये। तो मैं इस ह्रास के बारे में कह सकता हूं। जहां तक बड़े उद्योगों की बात है उनकी कार्यक्षमता में कमी आई है और छोटे उद्योग कम हुए हैं। खरड़ का, गोटे का, हाथ-करघा उद्योग हैं; इसके १२० हैण्ड-लूम फेक्ट्रियां चलती थीं। राजस्थान के निर्माण के पश्चात् आज ये घट कर ४० रह गई हैं। खरड़ का उद्योग तो खत्म हो गया। और भी कई तरह के कारखानों का ह्रास हुआ और आज अगर कोई कदम इसकी वृद्धि की ओर सरकार ने उठाया है तो वह एक ही कदम है और वह औद्योगिक वित्त कार्पोरेशन की स्थापना और छोटे-मोटे उद्योगों को ऋण देने की योजना। पर मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की बातों से राजस्थान के उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं मिल सकता। ऐसे निगम दूसरे प्रान्तों में भी बने हुए हैं और आज से बहुत पहले वे बन चुके हैं। तो इस निगम की स्थापना करके तो सरकार ने जो पुरानी कमी थी उसे ही पूरा किया है। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र हो सकती है कि जो दूसरे प्रान्तों में बात थी वह इन्होंने भी कर दी। लेकिन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार को कुछ और बातें भी करनी होंगी और उन बातों की ओर सरकार को ध्यान देना होगा।

इन उद्योगों का हम तीन श्रेणी में विभाजन कर सकते हैं; बड़े उद्योग, छोटे उद्योग और मीडियम उद्योग।

[श्री चांदमल मेहता]

जहां तक बड़ों का सवाल है, उनके सम्बन्ध में आज हम देखें तो हिन्दुस्तान के सभी प्रान्तों में ये बड़े-बड़े उद्योग भारत सरकार ने स्थापित किये हैं या करवाये हैं। जैसे सिन्द्री का कारखाना, चितरञ्जन का इञ्जन का कारखाना, टेलीफोन का कारखाना, औजार बनाने का कारखाना और दूसरे-दूसरे किस्म के कारखाने। लेकिन राजस्थान में इतने साधन होते हुए भी राजस्थान की सरकार के प्रयत्नों से ऐसे कोई बड़े कारखाने खोले गये हों, ऐसा मैं नहीं जानता। हां, यह बात अखबारों में जरूर देखने को मिली कि सरकार का ध्यान फर्टिलाइज़र कारखाना यहां खुलवाने के लिए गया है। इसके लिए सरकार प्रयत्नशील भी मालूम पड़ती है। पर हाल में ही जो पत्रों में देखने को मिला, वह कारखाना भी भारत सरकार ने जो खोला है, वह पंजाब में पड़ता है। सम्भवतः अगर हमारी सरकार प्रयत्नशील होगी तो तीसरा कारखाना हमारे यहां होगा।

इसके अलावा और भी कई कारखाने हो सकते हैं, जिसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये था। मिसाल के तौर पर ऊन। प्रति वर्ष पौने तीन लाख मन ऊन का उत्पादन हमारे यहां होता है जो सारे हिन्दुस्तान की पैदावार का २/३ से अधिक और इसका भी ८० प्रतिशत हिस्सा राजस्थान के बाहर जाता है। अभी भी इसके सम्बन्ध में प्रश्न पूछा कि जयपुर में ऊन का कारखाना या मिल खोलने की इजाजत क्यों नहीं मिली? जब प्रश्न का उत्तर दिया गया कि नहीं दी गई तो यह तो विचार करके जवाब देना चाहिये कि, मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजप्रमुख के भाषण के दौरान में इस चीज का जिक्र आया है कि राजस्थान में वुलन मिल खोलने के बारे में योजना बनाई है। इसके बाद में यह कह दिया जावे कि इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई वुलन मिल खोलने की बात नहीं है, तो मैं कहूंगा कि सही माने में इस ओर ध्यान सरकार का नहीं है कि यह उद्योग पनपे और मैं यह देखता हूं कि कोई आंकड़े या जानकारी देने के बारे में सरकार दिलचस्पी नहीं लेती। हमारे यहां ऊन का कारखाना बन सकता है और ऐसे आदमी हैं, जिन्होंने मांग भी की है पर हम उनकी मांग पूरी नहीं कर सकते, ऐसा मन्त्री महोदय ने बताया। यह पुरानी बात है। उनकी मांग वाजिब है तो पूरा करिये और उस उद्योग को प्रोत्साहित करिये और अगर उनकी मांग गैर-वाजिब है तो भारत सरकार को कह कर ऐसा कोई कारखाना यहां खोला जावे, जिससे यहां के उत्पादन को यहीं पर काम में लिया जा सके और उससे कई गरीब आदमियों को भी रोजी मिल सके।

इसके अतिरिक्त चमड़ा, हड्डी का खाद, बांस की माचिस के कारखाने यहां हो सकते हैं और कई तरह के कारखाने हो सकते हैं; जिनके बारे में हमें दो बातें करनी होंगी—पहली यह कि जो यहां के आदमी अपनी पूंजी लगाकर कार्य कर सकें उसके लिए उन्हें मौका दिया जाय, जो वे नहीं कर सकें तो वहां लिमिटेड कन्सर्न बनाकर उनके बारे में हम भारत सरकार से प्रार्थना करें और उनकी मदद से वे चालू हों।

दूसरी ओर जो मीडियम कारखाने हैं, उनके बारे में सरकार अपनी ओर से एक निश्चित नीति निर्धारित करे और यह निश्चित नीति ही दूसरे उद्योगपतियों को आकर्षित कर सकती है। दूसरे-दूसरे प्रान्तों ने भी अपनी ओर से ऐसे नियम बनाये हैं और उन नियमों के अन्तर्गत दी गई

Page No.65

[श्री चांदमल मेहता]

सुविधाओं को देखकर दूसरे उद्योगपति आकर्षित हुए हैं। अगर राजस्थान में भी ऐसी ही सुविधाएं आप दो तो यहां भी वे आकर्षित किये जा सकते हैं। जैसे पहले की देशी रियासतों की सरकारों ने कई तरह की सुविधाएं दी थीं जिनमें एक यह भी थी कि उनसे पांच साल तक कस्टम नहीं लेंगे, कस्टम की माफी होगी। अब वह सुविधा नहीं रही। वह कस्टम हट गया है तो यहाँ उनके सामने कोई आकर्षण नहीं रहा। आज तो उनको और दूसरी सुविधाएं हमें देनी चाहिये। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि कुछ बातें अपनी ओर से सरकार करे और कहे कि हम अमुक उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये अमुक सीमा तक सेल्स-टेक्स–जो कस्टम के स्थान पर आया है, उसमें छूट देने को भी तैयार हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इससे पूंजीपति इधर आकर्षित होंगे। और भी ऐसी कई बातें हो सकती हैं जो कि दूसरे प्रान्तों ने दी हैं। उन बातों को हम भी मानकर उस तरह की सारी सुविधाएं उद्योग को प्रोत्साहन देने के हित में इन उद्योगपतियों को दे सकते हैं।

इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आशा करता हूं कि राजस्थान सरकार राजस्थान का औद्योगिक विकास हो, इसके लिये अपनी एक निश्चित नीति की घोषणा करेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—Yes, Shri H. K. Vyas.

(श्री खेतसिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—But the Hon'ble Member is not entitled to put forth his cutmotions.

श्री खेतसिंह—मैं इसके सपोर्ट में बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष—His cut-motions will not be taken to have been moved but the Hon'ble Member can speak on the cut-motions already moved.

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं जो परबतसर से आये हुए सदस्य ने कटौती प्रस्ताव रखा है उस पर अपने विचार प्रकट करूंगा।

वास्तव में राजस्थान सरकार स्माल, मीडियम और लार्ज स्केल इण्डस्ट्रीज़ की ओर सम्यक् और महत्वपूर्ण ध्यान नहीं दे रही है। इसकी वजह से कई इन्डस्ट्रीज़ लोस में रन कर रही हैं और यदि यही हालत रही तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान के अन्दर कोई इन्डस्ट्रीज़ पनप ही नहीं सकेंगी। मैं आपके सामने जोधपुर शहर के पास में जो मीडियम साइज़ उद्योग हैं, उनकी ओर ध्यान दिलाकर यह साबित करने का प्रयत्न करूंगा कि इन इन्डस्ट्रीज़ की ओर माकूल ध्यान नहीं दिया राजस्थान सरकार ने। जिसकी वजह से आज कई बन्द हो रही हैं, कई लोस में रन कर रही हैं, और यदि यही हालत रही तो कुछ समय में सारी की सारी इन्डस्ट्रीज़ बन्द हो जायेंगी। जोधपुर शहर के पास में रियासत के जमाने में महाराजा हनवन्तसिंह जी ने एक इन्डस्ट्रियल एरिया कायम

[श्री खेतसिंह]

करके कुछ इन्डस्ट्रीज़ वहां कायम की थीं। वहां पर उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देने का वायदा दिया था, लेकिन राजस्थान के फोर्मेशन हो जाने के बाद उन इन्डस्ट्रीज़ की तरफ तवज्जह नहीं दी गई। वहां पर जो मुख्य मुख्य इन्डस्ट्रीज़ अभी तक हैं, उनमें एक तो तेल क्रशिंग इन्डस्ट्री है, एक आॅइस फैक्ट्री है, एक साईकिल के स्पेयर पार्ट्स के बनाने की इन्डस्ट्री है, एक ग्लास फैक्ट्री है और एक बोन क्रशिंग फैक्ट्री है। इस प्रकार की कुछ फैक्ट्रीज़ हैं, और यह मीडियम साइज की इन्डस्ट्रीज़ वहां पर कार्य कर रही हैं। इनमें से एक बोन फैक्ट्री है जो कि कुछ जरूर प्रोफिट पर रन कर रही है, अन्यथा बाकी की सारी इन्डस्ट्रीज़ लोस पर वर्क कर रही हैं। इसका मुख्य कारण यह रहा कि राजस्थान के फोर्मेशन हो जाने के बाद इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इनको कोई लोन नहीं दिया गया। इन्होंने कई दरख्वास्तें समय समय पर पेश कीं, रिप्रेज़ेन्टेशन भी पेश किये। कई उद्योगपति स्वयं यहां आकर मिनिस्टर महोदय से मिले कि कोई आश्वासन बहुत बड़ा दें, लेकिन वहां से कोई माकूल सहायता नहीं की गई। उसकी वजह से वे सारी इन्डस्ट्रीज़ लोस में रन कर रही हैं। यहां तक कि ग्लास फैक्ट्री जिसने शुरूआत में बहुत अच्छे कई कांच के बरतन बनाये थे, वह फैक्ट्री आज लिक्विडेशन में जा रही है। मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि आपसे भी एक-दो बार बातचीत की तो आपने कहा कि जोधपुर को इन्डस्ट्रियल एरिया नहीं बना सकते। इसकी वजह यह बतलाई गई कि जोधपुर में पानी की बहुत कमी है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां इतनी पानी की कमी नहीं है और न वे इतनी बड़ी इन्डस्ट्रीज़ हैं कि जिनमें बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता हो। मन्डोर के पास में तीन इन्डस्ट्रीज़ आई हुई हैं। मन्डोर में पानी की कोई खास कमी नहीं है। यह फैक्ट्रीज़ बहुत अच्छी तरह रन कर सकती हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अपने जवाब में वे इन इन्डस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन देने का आश्वासन दें और स्वयं वहां जाकर हालत देखें और जो अपने यहां इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कार्पोरेशन हैं, उनसे भी यह कहें कि उनकी हालत देखते हुए माकूल सहायता दें, ताकि वह ठीक तरह से रन कर सकें।

इसके साथ साथ मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हाल में जैसलमेर के अन्दर श्री केशवदेव मालवीय, सेन्ट्रल के मिनिस्टर, आये थे। उन्होंने कहा कि वहां पेट्रोलियम निकालने के लिये शुरूआत की जायगी, वहां पेट्रोलियम निकाला जायगा। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि बहुत सारे एरिया के अन्दर और कई इलाकों में पेट्रोलियम जैसी कई अच्छी चीजें निकाली जा सकती हैं और प्राप्त हो सकती हैं, मसलन् पुलसंद में जिप्सम मिलता है। वहां गांव में एक पत्थर निकलता है उसमें कुछ मिला हुआ है धातु, जिससे कि वह पत्थर चमकता है। लेकिन हमारी सरकार सर्वे नहीं करा रही है और न उसको कहीं ऐसी जगह भेज कर मालूम कराया है कि इसमें क्या मिला हुआ है ? तो मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे और पूरे के पूरे एरिया-जिसमें बाडमेर का पूरा डिस्ट्रिक्ट, शेरगढ़ और फलौदी की तहसीलें और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट आता है, इसका पूरा सर्वे कराये। हमारे यहां इस पूरे एरिया में कहीं पेट्रोल, कहीं अच्छा पत्थर, और कहीं मिनरल्स निकलेंगे। यदि राजस्थान सरकार के साधन संतोषजनक नहीं हों तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार भारत सरकार अपनी ओर से जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में

[श्री खेतसिंह]

सर्वे करा रही है, तो वे भारत सरकार से यह निवेदन करें कि पूरे के पूरे एरिया की सर्वे उसी ग्रुप से करा ली जाय, ताकि इससे अपने को काफी लाभ हो सकता है।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

श्री तेजमल बापना—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है जो इस प्रकार है :—

"That the Demand for Grant No. XXIII Major Head 43—Industries be reduced by Rupee One (to discuss.......

श्री उपाध्यक्ष—शायद आप मौजूद नहीं थे, इसलिए अब कट-मोशन मूव करने का सवाल नहीं है, लेकिन इस बारे में कोई बात कहनी हो खास, तो वह कहें।

श्री तेजमल बापना—मैं अपने विचार ऐसे ही प्रकट कर दूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज यदि हम न केवल भारतवर्ष में ही, लेकिन दुनिया में जितने बड़े-बड़े राष्ट्र हैं, उनकी तरक्की की ओर ध्यान दें, तो हमें मालूम होगा कि जिन राष्ट्रों ने उन्नति की है, वे तभी इतने आगे बढ़ सके हैं, जब कि उन्होंने इन्डस्ट्री की ओर अपना ध्यान दिया है। आज भारतवर्ष में बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज़ कायम हो रही हैं। कई स्कीमें भारत सरकार ने इसके लिए लागू की हैं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान सरकार इस ओर कुछ विशेष ध्यान नहीं दे रही है। न तो पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज़ इन्डस्ट्रियल सर्वे हमारे यहां पर हुआ है कि कौन सी इन्डस्ट्री किस जिले में हो सकती है और न यह मालूम किया है कि किस प्रकार की इन्डस्ट्री को किस प्रकार की सुविधा दी जाय ताकि वह इन्डस्ट्री पनप सके। आज हमारे देश का यह नारा है कि हमको जितना धन अधिक पैदा हो सके उतना पैदा करना चाहिए, लेकिन यदि हम उचित ध्यान इन इन्डस्ट्रीज़ की ओर नहीं लगायेंगे, यानी जो कच्चा माल जिस जिले में पैदा होता है, उसको काम में लाने का यदि उसी जिले के अन्दर प्रबन्ध हो, उसको काम में लाने वाली कोई मशीन, इन्डस्ट्री नहीं लगायेंगे, तो किस प्रकार से इसमें सफलता मिल सकेगी, किस प्रकार से प्रोत्साहन मिल सकेगा।

मैं सबसे पहले यह बता देना चाहता हूं कि भीलवाड़े जिले में काफी गन्ना पैदा होता है, लेकिन अफसोस है कि गन्ने का उपयोग ठीक तरह से नहीं हो पाता है। गत वर्ष वहां के किसानों ने गन्ना दिया था, उसका रुपया करीब-करीब साल भर तक नहीं मिल सका है। इस साल भी गन्ने की फसल शुरू हो गई है। गन्ना काफी तादाद में वहां आ रहा है, लेकिन खरीदने का पूरा प्रबन्ध नहीं है। विजयनगर में एक शुगर फैक्ट्री है, वह भी बन्द पड़ी हुई है। केवल एक करेडा फैक्ट्री है, वह भी गन्ना खरीदने की व्यवस्था नहीं कर रही है। हजारों मन गन्ना बेकार जा रहा है। किसानों में बड़ी निराशा हो रही है। न समय पर गन्ना दिलाया जाता है और न समय पर पैसा मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इस ओर शीघ्र ही ध्यान देकर जो असुविधा है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे।

इसके साथ-साथ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं रॉयल्टी के प्रश्न पर, जिसके ऊपर मेरे

[श्री तेजमल बापना]

एक साथी ने काफी विस्तार से विवेचना की है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह रॉयल्टी का प्रश्न केवल कॉन्ट्रेक्टर्स के ऊपर लगाया गया है। जो भी नयी-नयी इन्डस्ट्रीज़ को इजाजत दी जाती है, उनके साथ स्पेशल कान्ट्रेक्ट किया जाता है और उनमें से किसी के साथ रॉयल्टी की शर्त लगाई जाती है और किसी के साथ यह शर्त नहीं लगाई जाती। कोई युनिफार्म पॉलिसी इसके लिये नहीं रखी गई है। इसनें पार्शियेलिटी का व्यवहार रखा गया है। किसी पर ४ आने और किसी पर २ आने के हिसाब से रखी गई है और किसी को छोड़ भी दिया है। आज जितने भी बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, यदि वे रॉयल्टी नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट नहीं लगाया जाता है, लेकिन यदि कोई साधारण उद्योगपति है, जिसके पास केवल ४ या ६ जिनिंग प्रेस हैं और उसके साथ कोई एग्रीमेन्ट नहीं है, तो भी पूरी रॉयल्टी उससे वसूल की जाती है और नहीं देता है तो पब्लिक डिमान्ड रिकवरी के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा कुचरा जिनिंग फैक्ट्री की ओर। यह भीलवाड़ा के पास है। इसके मालिक के साथ कोई स्पेशल एग्रीमेन्ट नहीं है गवर्नमेन्ट का। फिर भी इसके खिलाफ जबर्दस्ती से पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। उसने इसके लिये काफी कोशिश की कि जिस प्रकार सेठ रामनिवास माछर के जितने जिनिंग प्रेसेज़ हैं भीलवाड़ा में या उदयपुर में उनको रॉयल्टी नहीं देने की छूट दे रखी है, उसी तरह इसको भी दे दी जाय। उसने डिपार्टमेन्ट में एप्लीकेशन दी है कि सेठ माछर के फैक्ट्रीज़ के बारे में रॉयल्टी स्टे कर दी गई है, उसी तरह मेरी भी कर दी जाय। लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और आखिर में पी० डी० आर० एक्ट लागू कर दिया गया और उसको भी सिविल कोर्ट में जाना पड़ा। उसके साथ कोई स्पेशल एग्रीमेन्ट नहीं है, फिर भी उसको तंग किया जाता है। इसमें एक कॉन्स्टीट्युशनल पॉइन्ट भी इन्वोल्व्ड है। कान्स्टीट्युशन के आर्टिकल २६५ के अनुसार जब तक सरकार विधान सभा से कोई टेक्स पास नहीं करवा ले तब तक वह नहीं लागू किया जा सकता। मुझे उम्मीद है कि इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट ने लॉ डिपार्टमेन्ट से जरूर जानकारी हासिल की होगी कि आर्टिकल २६५ इसमें बाधा तो नहीं डालता है। यदि वास्तव में उक्त आर्टिकल बाधा डालने वाला है, तो गवर्नमेन्ट तय करेगी और युनिफॉर्म पॉलिसी एक-सी बरतने की कोशिश करेगी।

इसके साथ-साथ में, एक बेजाब्तगी और गैर-इन्साफ कहा जाय, वैसी बात आपके ध्यान में लाने की कोशिश करूंगा। यह हो सकता है कि यह बात आपके ध्यान में नहीं आई हो, लेकिन क्योंकि इण्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट का मसला है और इससे बड़ा अन्याय हुआ है इसलिए आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। एक आनन्द जिनिंग फैक्ट्री को स्थापना करने की इजाजत हुई थी—उसके अनुसार श्री दौलतसिंह ढाबड़ जो इसके प्रोप्राइटर थे, उन्होंने यह फैक्ट्री लगाई, उन्होंने साल-दो-साल तक गवर्नमेन्ट से डीलिंग किया। इस बीच में सेठ रामनारायण माछर ने डिपार्टमेन्ट के अधिकारियों से मिलकर, जो ओरिजिनल ग्रान्टी या प्रोप्रइटर था, उसे बिना दर्याफ्त किये ही उस फैक्ट्री का लाइसेन्स अपने नाम ट्रान्सफर करवा लिया और उसको साल-दो-साल तक कोई सूचना नहीं दी गई। जब उसको इस बात का पता चला तो उसने इण्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट में दरख्वास्त दी और इण्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट ने लॉ डिपार्टमेन्ट से जानकारी प्राप्त की और बाद में कहा कि वास्तव में

[श्री तेजमल बापना]

डिपार्टमेन्ट की गलती हो गई है और उसको सुधारा जाना चाहिए, लेकिन अब तक उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। गलती भी महसूस की जाती है, लेकिन उसको सुधारने की कोई कोशिश नहीं की जाती है। इसका मतलब यह है कि श्री दौलतसिंह साधन-सम्पन्न नहीं है और उसके पास ऐसे साधन नहीं हैं कि जिससे वह गवर्नमेन्ट के पास एप्रोच कर सके; इसलिये वह मारा-मारा भटकता है और कोई फैसला नहीं किया जा रहा है।

एक और उदाहरण अभी अभी का है, शायद मंत्रीजी के ध्यान में वह न हो–लादूलाल शंकरलालको जिनिंग फैक्ट्री लगाने की इजाजत मिली थी—उस संबन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। उसको डाइरेक्टर ऑफ इण्डस्ट्रीज के यहां से जिनिंग फैक्ट्री लगाने की इजाजत हुई। फैक्ट्री लगाने के लिये उसने हजारों रुपये खर्च किये। सीज़न चालू हुआ और कई हजार मन कपास उसके पास आया, लेकिन उसको फैक्ट्री चालू नहीं करने दी और उस पर रोक लगा दी। वह इण्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट के डाइरेक्टर के पास गया। उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर वह मन्त्री महोदय के पास गया। उन्होंने भी उसको दो या ढाई महीने तक यों ही टला दिया और काफी नुकसान उसको उठाना पड़ा। कई छोटी-छोटी इण्डस्ट्रीज़ छोटे-छोटे टाउन्स में इसलिये लगाई जाती हैं कि वहां पैदा होने वाला कच्चा माल वहीं खप जाय और जन-साधारण को कठिनाई नहीं हो और मुआवज़ा मिल जाय। इस प्रकार की सुविधा देना चाहते हैं। इण्डस्ट्रीज़ कायम की जाती हैं तो उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। उनको प्रोत्साहन देने का तो सवाल ही नहीं है उल्टे रोड़े अटकाये जाते हैं। इसलिये बहुत से लोग इण्डस्ट्रीज़ में लगने की कोशिश ही नहीं करते हैं या इस ओर इन्क्लाइन्ड ही नहीं होते है। यह सब डिपार्टमेन्ट की ढिलाई और जल्दी काम नहीं होने के कारण से होता है। यदि इसी प्रकार से हम चले तो ठीक नहीं है। हम इण्डस्ट्रीज़ को बढ़ाना चाहते हैं। भीलवाड़ा में कई इण्डस्ट्रीज़ कायम हो सकती हैं। वहां पर लोहा, तांबा और मोडल काफी तादाद में होता है, लेकिन इस संबन्ध में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिये उनको देने में डिपार्टमेन्ट सुस्ती कर रहा है। मैं इतना ही अर्ज करूंगा कि इण्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट की तरफ ध्यान दिया जाय और लोगों को सुविधा देने की कृपा की जाय।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष, जो श्री चांदमल मेहता ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। रॉयल्टी के बारे में श्री चांदमलजी ने और बापना साहब ने आपको बताया कि उदयपुर डिविजन में ही रॉयल्टी लगती है और राजस्थान में दूसरी जगह नहीं लगती है, इसलिये माननीय मन्त्रीजी इस बारे में तो सदन के सामने कुछ कह ही देंगे आज। और दूसरी बात यह है कि इन्डस्ट्रीज़ में राजाओं के वक्त के करोड़ों रुपये दूसरे लोगों में बाकी हैं, उन रुपयों के बारे में सरकार क्या सोच रही है ? इन रुपयों को वसूल करके दूसरी इण्डस्ट्रीज़ खोलें इस बारे में भी सरकार ने राजस्थान बनने के बाद आज तक कितना प्रयत्न किया, इसकी भी सदन के सामने सरकार की तरफ से रिपोर्ट पेश करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

सोडियम सल्फेट का बहुत बड़ा और अच्छा कारखाना आज राजस्थान में खोला जा सकता है। लेकिन आज सरकार का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं जाता। उनका ध्यान जाता है सिर्फ कागजों

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

पर दस्तखत कर देने की ओर। इधर-उधर कोई स्कीम बनाकर जनता के सामने गरीबी दूर करने के लिये नहीं रखी जाती, इस तरह की कोई स्कीम राजस्थान सरकार नहीं बना पाती है। एक सरकार बदल जाती है, दूसरी आ जाती है। दूसरी भी ६ महीनों के बाद या १२ महीनों बाद बदल जाती है, फिर तीसरी आ जाती है और वह भी बदल जाती है और चौथी आ जाती है, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि आज राजस्थान में इतनी गरीबी क्यों है? जो उद्योग-धन्धे राजाओं या जागीरदारों के वक्त में थे उनको आगे बढ़ाने के लिये, राजस्थान के राजाओं ने इस दिशा में कुछ नहीं किया था तो राजस्थान बनने के बाद सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से रुपये लाकर यहां की इण्डस्ट्रीज़ को बढ़ाया जाय, इस तरह का कोई काम सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। परन्तु राजस्थान बनने बाद आज एक भी राजस्थान में इण्डस्ट्री नहीं खुली है। श्री यादराम चतुर्वेदी ने एक रिपोर्ट राजस्थान सरकार के सामने रखी है, ऐसा मैंने सुना था और वह कास्टिक सोडा के बारे में थी—जो सांभर में तैयार किया जाता है और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को भेजा जाता है, उसकी बड़ी भारी इन्डस्ट्री हमारे राजस्थान में खोली जा सकती है। सोडियम सल्फेट, जो राजस्थान में नमक है; नमक के जरिये सोडियम सल्फेट का बड़ा भारी कारखाना राजस्थान में खोला जा सकता है।

जब दूसरे प्रान्तों में एशिया के लोगों ने आ कर बड़े-बड़े कारखाने खोले हैं और अमेरिका भी सहयोग देता है तो राजस्थान सरकार को चाहिये कि भारत सरकार को सुझावे कि हमारे यहां लोहा सबसे ज्यादा है और वह लोहा ६५-६६ परसेंट का लोहा है, इतने परसेंट का लोहा दूसरे प्रान्तों में कम है। जिन प्रान्तों में है वहां उन प्रान्तों में बड़े-बड़े कारखाने अभी मौजूद हैं। दूसरी सरकारें, मध्य प्रदेश में, ऐसा सुना गया है कि बहुत बड़ा कारखाना खोल रही है और इसके लिये सरकार इस लोहे को खरीद कर पांच साल तक इकठा करेगी और जो लोग उन लोहे की खानों को चलाते हैं वे उस कारखाने को आगे फैलायेंगे। पर वहां भी इतने परसेंट का लोहा नहीं है जितना कि राजस्थान में डिपोजिट है। राजस्थान में बड़ा कारखाना खुल सकता है। इसके लिये राजस्थान सरकार को चाहिये कि लोहा, नमक से तैयार होने वाले कास्टिक, सोडियम सल्फेट और सोडा एश; इनके बारे में राजस्थान सरकार सोचे और भारत सरकार से कहे कि हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाइये। राजस्थान के जो लोग हैं, वे दूसरे दूसरे प्रान्तों में जा कर पैसा लगाते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा पूंजीपति हैं और हिन्दुस्थान में उनके बड़े-बड़े कारखाने हैं। राजस्थान में इसलिये नहीं आना चाहते कि राजस्थान का जो कागजों का तरीका है वह साल में, दो साल में और तीन साल में भी पूरा नहीं होता। इस तरीके को जो दूसरे लोग हैं वे यह समझते हैं कि हम इस तरीके को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि कागजों के निबटारे का काम बहुत जल्दी होना चाहिये। यह जल्दी नहीं होता है, इसलिये इससे असन्तुष्ट होकर वे लोग बाहर चले जाते हैं।

खाद के कारखाने के बारे में राजस्थान सरकार साल, दो साल से पहले से सोचती तो राजस्थान में यह कारखाना अवश्य खुलता। परन्तु राजस्थान सरकार ने जब सब कुछ हो गया था तो बाद में सोचा और जब पांच-छः साल बाद नम्बर आयेगा तो आ जायेगा, नहीं आये तो न भी आये।

इन कारखानों के बारे में कहता हूं कि उद्योग बढ़ाने चाहियें ताकि जो गरीब मजदूर हैं तथा

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

उनके अलावा जो मेट्रिक पास व इन्टर पास और बी० ए०, एम० ए० हैं, वे सुबह से शाम तक दफ्तरों के पीछे फिरते हैं, अगर प्रेक्टिकल काम राजस्थान सरकार उनको सिखायेगी तो इससे राजस्थान की ज्यादा उन्नति होगी। सुबह से लेकर शाम तक एम० एल० एज़० और मिनिस्टरों की सिफारिशों को लिये हुए जो बेकार पढ़े-लिखे लोग फिरते हैं, इसकी बजाय तो यह अच्छा है कि उनको प्रेक्टिकल काम सिखायें ताकि वे अपना भी भरण-पोषण कर सकें और राजस्थान की भी तरक्की हो।

अतः मैं माननीय मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि वे इन कारखानों पर ध्यान दें।

श्री जगतसिंह झाला—मैं, जो माननीय श्री चांदमलजी द्वारा कट-मोशन प्रस्तुत किया गया है, उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

चित्तौड़ जिले में दो इण्डस्ट्रीज़ बहुत अच्छी तरह से चल सकती हैं। यहां पर एक तो गन्ने की पैदावार बहुत होती है, अतः चित्तौड़ की किसी तहसील में गन्ने की इण्डस्ट्री कायम की जाय। जिससे बड़ी सादड़ी, छोटी सादड़ी आदि में पैदा किया हुआ गन्ना भोपाल सागर को जाता है, इससे लोगों को बड़ा कष्ट और नुकसान उठाना पड़ता है, वह बच जाय।

एक इण्डस्ट्री बानसी या बड़ी सादड़ी में कागजों की खोली जा सकती है। पहले मेवाड़ सरकार ने विचार किया था, परन्तु उस समय यह नहीं खोली जा सकी।

अब लसाड़िया में यह इण्डस्ट्री खोलने के बाबत माननीय मुख्य मंत्री के पास मेमोरेन्डम पेश हुआ है, इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बानसी और बड़ी सादड़ी रेल्वे स्टेशन हैं, इनमें से किसी एक स्थान में यह कारखाना खोलना चाहिये। इस बारे में क्षेत्रीय भावनाओं की ओर ध्यान नहीं देना होगा। क्षेत्रीय भावनाओं से मेरा मतलब यह है कि जिस कॉन्स्टीट्यूएन्सी से कांग्रेस के एम०एल० एज़० चुन कर आये हुए हैं, वहीं पर सब काम किये जाते हैं और जहां से कोई कांग्रेसी नहीं आया हो, वहां पर कोई काम नहीं चालू किया जाता। बड़ी सादड़ी के लिये पूछा जाता है तो कहा जाता है कि जागीर एरिया है। पर इण्डस्ट्री के लिये कोई जागीर-खालसे का सवाल नहीं रखा जायगा, ऐसी मैं आशा करता हूं।

वहां बांस और घास इतना ज्यादा तादाद में पैदा होता है कि बेकार जाता है। इस जंगल में सागवान की लकड़ी भी बहुत ज्यादा तादाद में पैदा होती है; इसलिये दियासलाई का कारखाना यहां खोलने के बारे में भी सरकार विचार कर सकती है।

यह एरिया-शिड्युल ट्राइब्स का एरिया है, पर बद-किस्मती से शिड्युल ट्राइब्स में शुमार नहीं किया गया है। अतः इन लोगों को उद्योगों से कार्य दिलाने के लिये सरकार विशेष तौर से विचार करेगी। केवल इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

Page No.72

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, एक छोटी-सी कहानी आपको भरतपुर की सुनाना चाहता हूं। एक जमाना था कि भरतपुर राज्य इतना मालदार माना जाता था कि इसके मुकाबले में राजस्थान में तो कह ही नहीं सकते थे, शायद आस-पास में कोई इलाका मालदार नहीं था। इसका कारण था—वहां की नमक इण्डस्ट्री। वहां इतना अच्छा और इतनी ज्यादा तादाद में नमक पैदा होता था कि भरतपुर के निकले हुए नमक को यदि कोई बीमार आदमी खा ले तो ठीक हो जाय। बंगाल, यू० पी० और दूर-दूर तक यह नमक जाता था। भरतपुर की हजारों गाड़ियां नमक लेकर फिरती रहती थीं। इसके बाद अंग्रेजों का जमाना आया, साल्ट मॉनोपोली ली और भरतपुर राज्य से एग्रीमेन्ट किया और भरतपुर को १,५०,००० रुपया इसके बदले में दिया कि नमक के ऊपर जो कस्टम की एक्सपोर्ट ड्युटी लगती थी, हालांकि वह साधारण थी, फिर भी उस जमाने में उससे १,५०,००० रुपये की आमदनी होती थी, वह रकम सालाना और ५-६ हजार मन नमक फ्री उसके बदले में देकर यह इण्डस्ट्री बन्द करा दी।

इसका नतीजा यह हुआ कि इतनी बड़ी मिट्टी की वाल्स हैं कि अन्दर शहर बस सकते हैं, वह खाली हो गया। कुम्हेर जिसको कि मालदार होने के कारण पहले कुबेर के नाम से पुकारा जाता था, वह उजड़ गया और कस्बा रह गया। इसी तरह कामां, डीग वगैरह सब उजड़ से गये। जिस वक्त साल्ट की इण्डस्ट्री चलती थी, उस समय भरतपुर स्टेट की आबादी साढ़े दस लाख थी और इण्डस्ट्री बन्द होने के २० साल बाद वहां की आबादी ७ लाख रह गई। ३ लाख आदमी बाहर मजदूरी करने चले गये; वे लोग अहमदाबाद, बम्बई वगैरह में चले गये।

अभी पिछले ४-५ साल पहले जब मत्स्य राज्य बना था, उस वक्त मत्स्य गवर्नमेन्ट ने यह प्रयत्न किया था कि नमक का कार्य शुरू किया जाए। मगर केन्द्रीय सरकार ने नमक का कार्य छोटे पैमाने पर शुरू करने की आज्ञा दी, बड़े पैमाने पर करने की आज्ञा नहीं दी। इसके लिये कई बड़े-बड़े ठेकेदार बिहार वगैरह से आए और तीन-तीन लाख रुपये देने को मंजूर किया कि उनको ठेका नमक का दे दिया जावे। मगर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट इसके लिये रजामन्द नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कॉटेज इण्डस्ट्री के पैमाने पर यह काम किया जा सकता है। इसके लिये ५-७ आदमियों को इजाजत दी गई और उन्होंने क्यारे बनवाये, कुए खुदवाये, मगर वे सफल नहीं हुए क्योंकि बड़े पैमाने पर नमक सस्ता पड़ता है और कॉटेज इण्डस्ट्री के हिसाब से मंहगा पड़ा। उन्होंने क्यारें बनवा लिये क्योंकि उनको एक्स्पर्ट की राय नहीं थी। उन्होंने सीमैन्ट के क्यारे बनवाये, मगर फिर भी जमीन में पानी चला जाता था। पहले लोग मिट्टी की पालियों के क्यारे बनाया करते थे, न मालूम वे किस तरह से बनाते थे, जिससे न तो पानी जाता और न किसी प्रकार की नमक में बाधा होती। पत्थर की तरह क्यारियां बनती थीं। इसलिये मैं इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार इस काम को अपने हाथ में ले। अब तो राजस्थान सरकार स्वतन्त्र है, रियासतें भी नहीं हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट भी इजाजत दे सकती है कि लार्ज स्केल पर नमक तैयार किया जाए। यहां पर नमक की इण्डस्ट्री के न होने से लोगों में भुखमरी होने लगी है। इसके बाद बड़े-बड़े इन्जीनियर इस बात का पता चलाने के लिये मुकर्रर किये जावें कि पहले मिट्टी के क्यारे किस तरह से बनाये जाते थे। अगर ऐसा किया जावे तो वहां के लोगों की गरीबी मिट सकती है और मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में अवश्य ही प्रबन्ध करेगी।

श्री शम्भुसिंह—माननीय अध्यक्ष, राजस्थान एक कृषि-प्रधान देश समझा जाता है। प्रत्येक देश की उन्नति के लिये केवल कृषि की सुविधा देना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि जिन-जिन देशों ने उन्नति की है, उन्होंने कृषि के अलावा उद्योग और व्यवसाय में उन्नति करके अपने देश की उन्नति की है। क्योंकि राजस्थान में अभी तक औद्योगिक उन्नति पूर्ण रूप से नहीं पनप पाई है, इसके लिये अभी तक कोई व्यवस्था भी नहीं है, इसलिये यहां के उद्योग पर रॉयल्टी या इसी प्रकार के अन्य कर कदापि वांछनीय नहीं हैं। राजस्थान सरकार को चाहिये कि यहां के उद्योग के विकास के लिए जितना संभव हो ज्यादा से ज्यादा सहयोग देना चाहिये, न कि इसको रॉयल्टी और अन्य दूसरी कठिनाइयां उपस्थित करके यहां के उद्योग के विकास में बाधा उपस्थित करे। यह सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिये यह आवश्यक है कि उद्योग और इन्डस्ट्रीज़ के ऊपर जितनी भी रॉयल्टी का कर है बन्द कर दिया जाना चाहिये। इसके अलावा राजस्थान की एक बाकायदा साइन्टिफिक इन्डस्ट्रियल सर्वे होना बहुत आवश्यक है। जिसके लिए बराबर सदन में आवाज उठाई जा रही है और सदन में उसके उत्तर में कहा जा रहा है कि कदम उठाया जा रहा है, मगर इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है उसका पूरा विवरण नहीं मिलता है। मैं समझता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठा रही है। अगर उद्योग और व्यवसाय को व्यवस्थित रूप से चलाया जावे तो सबसे पहले औद्योगिक सर्वे होना आवश्यक है। सरकार आश्वासन देती रहती है, मगर सर्वे नहीं कराती। मैं समझता हूं भूतपूर्व राजस्थान में सर्वे का काम होना शुरू हुआ था, मगर वह वहां का वहां पड़ा रहा है। इसलिए औद्योगिक सर्वे जल्दी से जल्दी करा के जो उसकी रिपोर्ट पेश हो और उस पर अमल करें। राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए खनिज पदार्थ और भी अधिक मात्रा में निकलने की उम्मीद है। इसके अलावा यहां जानवरों से एनिमल प्रोड्यूस बहुत होती है। राजस्थान में दूसरी रियासतों के बनिस्बत यह बहुत ज्यादा है। इसके लिए पशुओं का बाहर जाना बन्द करने का कानून बना दिया जाना चाहिये। यहां से चमड़े के लिए पशु बाहर भेजे जाते हैं और वहां उनका चमड़ा उपयोग में लिया जाता है। वह महंगे दामों में बिकता है। यहां के पशुओं को बाहर जाने से रोकने के लिए यह भी आवश्यक है कि चमड़े की इन्डस्ट्री यहां पर लगाई जानी चाहिये। यहां एक से ज्यादा चमड़े की इन्डस्ट्री लगाई जा सकती है। यहां पशु ज़्यादा हैं। अगर यहां चमड़े की इन्डस्ट्री बनाई जावे तो पशुधन का बाहर जाना बन्द हो जावेगा और चमड़े का व्यवसाय बहुत अच्छी तरह से पनप सकेगा।

इसके अलावा यहां पर ऊन का कारखाना होना बहुत जरूरी है। यहां भेड़ें बहुत होती हैं और यहां से ऊन बाहर भेजी जाती है। इससे भेड़ों के पालने वालों को पूरा पैसा नहीं मिलता। उनसे सस्ती ऊन मोल ले ली जाती है। राजस्थान में ऊन के लिए बहुत स्कोप है, क्योंकि यहां ऊन बहुत होती है। इसलिये यहां ऊन की इन्डस्ट्री का होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा मेरा कहना यह है कि पशुओं का बाहर जाना बन्द होना बहुत आवश्यक है।

(घन्टी)

मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें सरकार को जल्दी से जल्दी इसके लिए कोशिश करनी चाहिये।

श्रीमती यशोदादेवी—माननीय अध्यक्ष, मैं भी इस पर दो शब्द बोलना चाहती हूं।

राजस्थान की बेकारी को दूर करने के लिए सबसे पहला कार्य आवश्यक है कि राजस्थान सरकार हर एक गांव में, हर एक जिले में और जहां जैसी पैदावार हो, जहां जिस जिले में जो उद्योग-धन्धे खुल सकते हों, उसमें बिना पक्षपात के, उसकी जांच करके गांव-गांव में छोटे २ उद्योग-धन्धे खोल दिये जावें। मैं जहां तक समझती हूं, माननीय अध्यक्ष, कि बेकारी के सरलता से दूर होने का यह एक उपाय है कि जिस एरिया में जो चीज हो, जैसे—बांसवाड़ा एरिया में एक टीबरू का पेड़ होता है उसके पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। उसके पत्तों का ठेका देकर सरकार उनको बाहर भेजती है। यदि उसको बाहर नहीं भेज कर ऐसा कोई छोटा कारखाना खोला जावे ताकि बीड़ी वगैरह का कार्य उस में हुआ करे। ऐसे ही दूसरी जगह जो चीज ज्यादा होती हो, उसको अगर उद्योग-धन्धों में काम लिया जावे तो उससे भी बेकारी हल हो सकती है। छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों से ही ज्यादा गरीब लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिये सरकार को इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये।

आज-कल बड़े उद्योगों को ज्यादा प्रोत्साहन मिलने के कारण बेकारी की समस्या ज्यादा बढ़ रही है और गरीबों को कोई धन्धा नहीं मिल रहा है। इसके कारण बे-रोजगार और बे-घरबार लोग दर-दर मारे-मारे भटकते हुए नजर आते हैं। इधर अनाज, जो कि किसानों के घर में पैदा होता है, उसके भाव रोज गिरते जा रहे हैं और जिन चीजों की किसानों को आवश्यकता होती है, उन चीजों के भाव वैसे के वैसे ही हैं। उनको उन चीजों के लिये शहरों पर आधारित रहना पड़ता है और ज्यादा दाम देकर वे चीजें लेनी पड़ती हैं। इसलिए मेरा, माननीय उपाध्यक्ष, यह निवेदन है कि छोटे-छोटे उद्योगों को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाय। छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों से ही चीन, जापान और अमेरिका ने इतनी तरक्की की है।

मिट्टी के बर्तनों का कारखाना भी देहात में खुल सकता है। देहात में चमड़े के उद्योग-धन्धे भी चालू किये जा सकते हैं। चमड़े की चीजें जो देहातों में होंगी, उससे चमड़े के उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। इस सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान उस भील इलाके की ओर आकर्षित करना चाहती हूं जहां पर यदि कोशिश की जाय तो ज्यादा से ज्यादा उद्योग-धन्धे पनप सकते हैं और उनकी आमदनी भी बढ़ सकती हैं। बस मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करती हूँ।

श्री धूलजी भाई भावसार—उपाध्यक्ष महोदय, उद्योगों के सिलसिले में जो प्रस्ताव श्री चांदमल मेहता ने रखा है उसके समर्थन में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। राजस्थान के अन्दर हमारे उद्योगों की बड़ी महत्ता है। हमारे राजस्थान के कृषि-प्रधान प्रान्त होते हुए भी यहां नाना प्रकार के उद्योग प्रचलित हैं, जो कि पुराने समय से चले आ रहे हैं। यदि इनकी ओर ध्यान दिया जाय तो इस मामले में राजस्थान काफी तरक्की कर सकता है और हमारे बेकार लोगों को काम मिल सकता है।

इसके साथ-साथ हमारे राजस्थान में अधिकतर किसानों की आबादी होने के नाते इस प्रकार की योजना बनाई जानी चाहिए कि जिससे ८० प्रतिशत किसानों की आबादी हमारे प्रान्त में है, जो साल में छः महीना काम करते हैं और छः महीना बेकारी में व्यतीत करते हैं, उनको काम मिले।

[श्री धूलजी भाई भावसार]

इसलिए राजस्थान सरकार को उद्योग-धन्धों के लिये ऐसी योजना बनानी चाहिए कि जिससे छः महीने जो किसान बेकार रहते हैं, वे उन बेकारी के दिनों में कुटीर उद्योगों को चालू करके स्वावलम्बी जीवन बिता सकें। जो किसान देहातों में रहते हैं, वहां ऐसे धन्धों की आवश्यकता है। अब हमें यह देखना है कि ऐसे कौन कौन से धन्धे हैं, जिनसे वे लोग स्वावलम्बी बन सकते हैं। किसान लोग अनाज तो अपने खेत में पैदा कर लेते हैं, इसके अलावा जिन वस्तुओं की उनको आवश्यकता होती है, उनके लिए उनको शहरों में जाना पड़ता है, शहरों का मुंह तांकना पड़ता है। वे शहर में जाकर अपने पहनने के लिये महंगे भाव से कपड़ा खरीद कर लाते हैं, जिससे उनको व्यापारियों का कर्जदार बनना पड़ता है। अगर किसानों को इस कर्जदारी से बचाना है तो गांवों में खादी-उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। खादी-उद्योग से ही किसान स्वावलम्बी बन सकते हैं। वे अपनी कपड़े की व्यवस्था खुद अपने आप कर सकते हैं। इससे जो पैसा किसानों का महाजनों में बरबाद होता है, उससे बच सकेंगे। इसलिए इस योजना की महान् आवश्यकता है। खादी-उद्योग जैसे धन्धों की राजस्थान के अन्दर बहुत आवश्यकता है। यह हमारा खादी-उद्योग कुछ जगहों पर चल रहा है। यह सिर्फ जयपुर डिविजन के सिवाय कहीं अच्छी तरह नहीं पनप पाया है। इसलिए यह विशेष रूप से आवश्यकता है कि इस उद्योग की ओर ध्यान देकर किसानों को वस्त्रों के मायने में स्वावलम्बी बनाया जाय।

इसके साथ-साथ हमारे जो अन्य छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे हैं उनको प्रोत्साहन देकर गांव के लोगों द्वारा बनाई गई चीजों के बिक्री-केन्द्र शहरों में होने चाहिए ताकि किसान अपनी वस्तुओं को उस बिक्री-केन्द्र में बेच सकें और उनको फायदा हो सके। आज इसके अलावा हालत यह हो रही है कि शहरों में चीजें बनकर देहातों में जाती हैं और देहात वाले उनको अधिक पैसा देकर खरीदते हैं और वे लोग बेकार रहते हैं। इसलिए हमारे उद्योग-धन्धे देहातों और गांवों में होने चाहिये और देहातों की बनी हुई चीजों की बिक्री के लिये बड़े-बड़े शहरों में बिक्री-केन्द्र होने चाहिये। इससे क्या होगा कि देहातों को वह पैसा मिलेगा और बड़े पूंजीपति—जो देहात के लोगों के बल पर पूंजीपति बने हुए हैं, उनको वह पैसा नहीं मिल सकेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि बड़े-बड़े कारखाने न खोलकर घरेलू उद्योगों को व्यापक बनाना है, ताकि हर गांव का व्यक्ति स्वावलम्बी बन सके। इसलिये गृह-उद्योग की बड़ी आवश्यकता है।

इसके बाद कुछ उद्योग ऐसे हैं जो जातीय उद्योग के रूप में होते हैं। उन उद्योगों के लिये चाहिए कि राजस्थान सरकार मदद दे। आज जो जातीय हुनर होते हैं वे दिन-प्रतिदिन खत्म होते जा रहे हैं, इनको किसी प्रकार की सहायता न मिलने की वजह से और इन चीजों की बिक्री अच्छी तरह से न होने के कारण ये एक प्रकार से मर चुके हैं। सरकार को चाहिए कि इन लोगों को पनाह देने के लिये, इनके हुनर को बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता दे ताकि ऐसे कार्य आगे बढ़ सकें।

इसके अलावा जो हमारी बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या राजस्थान में अधिकतर बढ़ी हुई है, उसका मुख्य कारण है—राजस्थान में इस प्रकार के उद्योगों की गिरती हुई हालत। राजस्थान सरकार को चाहिये कि गृह-उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये एक व्यापक योजना बना दे ताकि देहातों में उद्योग-धन्धे पनप सकें और उसके साथ उन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये यह भी

[श्री धूलजी भाई भावसार]

ज़रूरी है कि गांवों में बनी हुई चीजों की बिक्री केवल शहरों में होनी चाहिये। राजस्थान के हर डिविजन में इन चीजों की बिक्री का प्रबन्ध होना चाहिये ताकि यहां की चीजों की बिक्री हर प्रान्त में हो सके। इसके अलावा जो चीजें हमारे देहात में बनती है, उनका उपयोग सरकार को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिये; जैसे फर्नीचर को ले लीजिये। यह उद्योग बांसवाड़े में अच्छी तरह से पनप सकता है क्योंकि वहां बड़े-बड़े जंगल हैं, इससे वहां के लोगों को काम भी मिल सकता है। आज जब राजस्थान में फर्नीचर की आवश्यकता होती है तो वह दूसरे प्रान्तों से मंगाया जाता है; जो यहां बहुत महंगा पड़ता है। इस दृष्टि से यह योजना हमारे जिले में बनाई जाय तो सरकार को काफी फायदा हो सकता है। वन की अधिकता के कारण इस जिले में यह उद्योग अच्छा चल सकता है।

इसके अलावा वनों की बहुतायत होने के कारण वहां बांस का उद्योग, मुर्गी-पालन का उद्योग, मधु-मक्खी पालन का उद्योग भी अच्छी तरह से पनप सकते हैं। इस प्रकार से तरह-तरह के उद्योग वहां चल सकते हैं। इससे राजस्थान में जो बेकारी की समस्या है उसके हल करने में भी काफी सुविधा होगी। हमें ग्राम-उद्योगों, कुटीर-उद्योगों की विशेष मदद करके इनको ऊंचा उठाना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। राजस्थान सरकार की इन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये तीव्र भावना होनी चाहिये।

श्री ईश्वरीसिंह—अध्यक्ष महोदय, म्हारो मामूली सो उद्योग है। वो भी सिवाय चौमासा के मायने में फसल पैदा हो सके। बाकी का महिना फिजूल बीते हैं। आज म्हारा इलाका में भारत सेवक समाज है वो एक प्रकार रो टेक्स लगा दियो है। तमाकू पर जठे २४ रुपया मन टेक्स हो वठे ३१ रुपया मन कर दीनो है। या तो भारत सरकार ने आ चाहीजे थी कि वे इण तम्बाकू ने बिल्कुल ही बन्द कर देनी चाहिये थी। पर बन्द करने की बजाय इन पर ज़्यादा टेक्स लगा दीयो है। म्हारा इलाका में म्हारा लोगांरे एक ही खेती रो काम है जो भी चौमासा में ही कर सका हां, बाकी रा दिनां में फिजूल बैठ्या रेवा हां। इण वास्ते म्हारी सरकार से प्रार्थना है कि म्हां लोगां के वास्ते भी कोई उद्योग-धन्धो खोले जिणसू बेकार जो म्हे बैठ्या रेवा हां तो म्हां लोगां ने काम मिल सके।

तो दुनिया के अन्दर किसी भी हिस्से में कोई भी आदमी रहता हो उसे हक है—उद्योगों की मांग करने का। सरकार को चाहिये कि तमाम आदमियों के लिए उद्योग खोले। सरकार को यह मांग भी करनी चाहिये कि भारत सरकार यहां के तमाखू के टेक्स को हटा दे। तमाखू तो जवाहरलालजी तक पीते हैं। तो फिर यह टैक्स लगा देना कोई अच्छी बात नहीं है।

मैं ज्यादा नहीं कह कर अन्त में यही अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक हो सके सीकर के इलाके में भी कोई उद्योग जरूर खोलना चाहिये ताकि वहां के लोगों को काम-धन्धा मिले, रोटी मिले और भूखों नहीं मरें।

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग एवं रसद मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय मित्रों ने अभी-अभी बताया कि सरकार बड़े उद्योगों की तरफ ध्यान दे रही है, जिससे छोटे धन्धे खत्म हो

[श्री भंगीलाल पंड्या]

जावेंगे। मैं आपके द्वारा, माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार ऐसे बड़े उद्योग खोलने की व्यवस्था अवश्य कर रही है परन्तु इसके माने यह नहीं है कि यहां के छोटे उद्योग और धन्धों पर उनका असर पड़े और वे खत्म हो जावें। सरकार को जहां बड़े उद्योगों को पनपाना है, मध्यम श्रेणी के उद्योगों को पनपाना है, वहां छोटे उद्योगों की भी रक्षा करनी है और उनको भी पनपाना है और साथ ही जो ग्रामोद्योग हैं, उन पर तो विशेष ध्यान सरकार को देना है।

यह भी बताया गया है कि किसान साल भर में छः महीने, सात महीने काम करता है और चार-पांच महीने के लिए बेकार रहता है, इसलिये उनके लिए भी कोई ऐसी सुविधा होनी चाहिये जिससे उनको भी इस समय में धन्धा मिल सके। उन मित्र को मालूम हो कि जहां से वे आये हैं वहां से उन्होंने मांग की कि खादी को पनपाने के लिए कुछ रुपयों की सहायता मिल जानी चाहिये तो वहां तुरन्त ही सरकार ने सहायता दी। इसी तरह से किसानों में वस्त्र-स्वावलम्बन का प्रचार किया गया तो उनके लिए हर तरह की सहायता देने की व्यवस्था है। केवल कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता है जो कि उन किसानों में जाकर इसका प्रचार करें। अभी तक ऐसे कामों के लिए, खादी के काम के लिए, या जो छोटे ग्रामोद्योग के काम हैं उनके लिए जिस किसी ने सहायता मांगी, उन सब को सहायता या कार्य दिया गया है।

तीसरी बात बताई गई थी कि रॉयल्टी खत्म नहीं की गई और सरकार का जब तक कोई नियम नहीं हो, उसे रॉयल्टी लेने का अधिकार नहीं है–आदि-आदि बातें कही गई। पहले भी इस बारे में बताया गया था कि रॉयल्टी सरकार क्यों वहां लेती है और किन परिस्थितियों में लेती है। राजस्थान सरकार की यह प्रबल इच्छा है कि जो यहां के स्थानीय उद्योग हैं वे पनपें और उनको जितनी उचित सहायता और सहयोग दिया जा सके, दिया जाय।

२६५ का जो जिक्र किया गया, उस पर मैं पहले भी बता चुका हूं और फिर उसको दोहरा रहा हूं कि रॉयल्टी जिन पर ली जानी चाहिये उन पर तो ली जाती है और ली जावेगी किन्तु इस पर विचार किया जा रहा है कि कहां-कहां रॉयल्टी किन-किन चीजों पर ली जावे।

एक यह भी बताया गया कि रॉयल्टी की अलग-अलग दरें हैं, कहीं कम और कहीं ज्यादा ली जाती है। मेरे माननीय सदस्य जिन्होंने यह बताया वे भली-भांति स्वयं भी जानते हैं कि एक जगह तो किसी चीज़ का उत्पादन ज्यादा होता है, किसी जगह कम होता है। जैसा उन्होंने भीलवाड़े के लिए बतलाया कि वहां माइका एक जगह तो प्रचुर मात्रा में होती है, रेलवे स्टेशन और सड़क के पास से निकलती है और कहीं-कहीं दूर जगहों से निकलती है और बहुत थोड़ी निकलती है और घटिया किस्म की माइका निकलती है, इस पर नफा कम लिया जाता है तो उनको कम टैक्स देना पड़ता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इस रॉयल्टी में फर्क तो होगा ही। सब पर एक सरीखा तो नहीं लगाया जा सकता।

यह भी बताया गया कि किशनगढ़ में सीमेन्ट की बिक्री पर रॉयल्टी ली जाती है, यह ठीक है। पहले से वहां यह नियम चला आ रहा है। मेरे माननीय सदस्य ने प्रश्न भी पूछा था और मैंने उसका उत्तर भी दिया था। इसके साथ ही इन पुराने नियमों के अनुसार ही किशनगढ़ में कस्टम की

[श्री भोगीलाल पंड्या]

भी बहुत बड़ी छूट है। इसको वे भी अच्छी तरह से जानते हैं और वह छूट इसलिये है कि पुराने वक्त से यह रियायत उन्हें मिली हुई है। तो जहां ऐसी सुविधा मिली हुई है वहां जो छोटी-सी रॉयल्टी इस प्रकार की दी जाती है, वह बहुत नगण्य है। परन्तु फिर भी अब जब कि हम सेल्स टैक्स लगाने जा रहे हैं तो हो सकता है, सरकार इस पर पुनर्विचार करे।

यह भी बताया गया कि सेल्स टैक्स लगने वाला है तो उद्योगों का क्या होगा? सरकार ने बहुत से उद्योगों पर सेल्स टैक्स नहीं लगाने की व्यवस्था की है, और भी जो उनके ध्यान में बात आ रही है कि इसका उद्योगों पर असर पड़ेगा तो लगातार और भी इस पर विचार किया जा रहा है, यह मैं माननीय सदस्य को और बता दूं।

यह भी बताया गया कि छोटे उद्योगों को और ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ नहीं किया जाता। इसके लिये में निवेदन कर दूं कि आज ही सदन में खादी और ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये एक बोर्ड के नियमन की स्थापना के हेतु विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इसका मतलब यही है कि ऐसे उद्योगों को अधिक से अधिक सहायता मिले और उनके मार्ग में आने वाली कठिनाइयां नहीं रहें। ...

बड़े उद्योगों के लिये कुछ लोग आये भी हैं यहां पर। उन्होंने जो सहायता मांगी है, उनको देखते हुए गवर्नमेन्ट जिस तरह की सुविधाएं दे सकती है वह तो देगी, किन्तु उन्होंने कुछ नई ऐसी शर्तें भी रक्खी हैं जो कि सरकार के लिए पूरा करना कठिन है।

न मालूम यह कैसे बताया गया कि फर्टिलाइजर का जो कारखाना यहां खुलने की सम्भावना थी वह नहीं खोला जायगा, ऐसा निर्णय कर लिया गया है।

श्री चांदमल मेहता—यह मैंने कभी नहीं कहा। यह कहा कि तीसरा चान्स मिलने की सम्भावना है।

श्री भोगीलाल पंड्या (जारी)—मैं निवेदन कर दूं कि यह फर्टिलाइज़र का कारखाना राजस्थान में खुलने वाला है। इसका पंजाब से या भाखरा नांगल से किसी तरह का कोई सम्बन्ध नहीं है और इस तरह औरों से भी इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। फर्टिलाइज़र दोनों के अलग-अलग तरह के होंगे, इसलिये आपके समझने में यह भूल हो सकती है। पर ऐसी कोई बात नहीं है। राजस्थान सरकार ने अपनी ओर से बड़ा अच्छा केस बड़ी अच्छी तरह से भारत सरकार के सामने रखा है। अभी जो भारत सरकार का कमीशन आया था इस बात की जांच करने के लिए, वे भी हमारे मामले को रखने के ढंग से बड़े प्रभावित हुए हैं। हमारे यहां के और बाहर के बहुत से पत्रकार भी उनसे मिले थे, उनके समक्ष भी उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा ली जाने वाली दिलचस्पी की प्रशंसा की है और जो दलीलें हमने इस बारे में दी हैं उनकी भी उन्होंने बड़ी प्रशंसा की है और बड़ा अच्छा केस हमारा बताया है और उन्होंने मन्जूर किया है कि राजस्थान में फर्टिलाइज़र की फैक्टरी खोलने की काफी गुंजाइश है। इसलिये कोई अन्तिम निर्णय राजस्थान में नहीं खोलने का किया गया हो, ऐसी बात कतई नहीं है।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

आगे यह कहा गया कि सरकार ने वुलन मिल खोलने वालों को खोलने की इजाज़त नहीं दी। इस बारे में एक प्रश्न के उत्तर में भी मैंने कह दिया है। मैं समझता था कि मेरे उत्तर के बाद में तो प्रश्न नहीं करेंगे, पर फिर भी इस प्रश्न को लाया गया। न मालूम क्यों? मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी को स्वीकृति नहीं दी गई। अलबत्ता कई जगह जो ऊन के कारखाने हैं उनमें ऊन का अच्छे से अच्छा उपयोग हो; इसके लिए बातचीत की जा रही है। वैसे ही चमड़े की बात है। इसके लिए लोगों से बात की जा रही है। पर इसके लिए अन्तिम स्वीकृति किसी को नहीं दी गई है।

यह भी बतलाया गया है कि छोटे उद्योगों को पनपाने के लिए या सहयोग देने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। मैंने आज एक प्रश्न के उत्तर में ही बतलाया था कि हेन्डलूम आदि की सहायता के लिए २,१६,६२६ रुपया ऋण दिया जा चुका है। छोटे उद्योगों के लिये १,३०,००० रु० के देने की स्वीकृति की जा चुकी है। मीडियम श्रेणी के और दूसरे उद्योगों को सहायता देने के लिये राजस्थान के अन्दर इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉर्पोरेशन बना रहे हैं। इसी तरह से छोटे उद्योग और मीडियम उद्योगों के सिवाय जो बड़े उद्योग हैं उनको भी भारत सरकार से कर्जा दिलाया जाता है, सहायता दिलाई जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे छोटे उद्योगों को सहायता देने की व्यवस्था है, मीडियम श्रेणी के उद्योगों की व्यवस्था की जा रही है, वैसे ही बड़े उद्योगों को सहायता दिलाई जाती है।

मेरे एक मित्र ने यह भी बतलाया है कि जोधपुर में इन्डस्ट्रीज़ खोलने के बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है, और कोई सज्जन यहां पर आये थे सहायता लेने के लिए, उनको भी कोई सहायता नहीं दी गई, कोई आश्वासन नहीं दिया गया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जोधपुर के जो भाई आये थे, उन्होंने सहायता मांगी थी तो उनकी सहायता मन्जूर हो चुकी है और शायद मिल भी गई होगी। यह भी बतलाया गया है कि ग्लास फेक्ट्री व कई एक फेक्ट्रीज़ बन्द हैं। ये फेक्ट्रीज़ जो बन्द है तो उनमें अधिकांश इसलिये बन्द हैं कि जो उनके डाइरेक्टर्स हैं, उनमें आपस में काफी झगड़ा चल रहा है। एक दूसरे पर दावा भी उन लोगों ने कर दिया है। सरकार यह प्रयत्न अवश्य कर रही है कि उनमें आपस के झगड़े मिट जायं, कम हो जायं और यदि आर्थिक कठिनाई के कारण उद्योग बन्द हों तो आर्थिक सहायता देकर फिर से उन उद्योगों को पनपायें।

यह भी बताया गया है कि जोधपुर में इन्डस्ट्री के बारे में यह उत्तर दिया गया कि पानी की कमी है इसलिये कोई भी उद्योग नहीं चल सकता है। मेरे माननीय मित्र ने कोई ऐसे उद्योग के बारे में बात-चीत की होगी जिसमें पानी की आवश्यकता हो तो अलग बात है। जोधपुर में जो उद्योग हैं उनसे आगे और उद्योग खोलने के बारे में सरकार सोच रही है।

मेरे एक मित्र ने बतलाया कि सोडियम सल्फेट का कारखाना सरकार नहीं खोल रही है। सोडियम सल्फेट गवर्नमेन्ट निकाल रही है और उसे इस वर्ष में लगभग २० लाख रुपये की आमदनी हुई है। मेरे माननीय मित्र को पता नहीं होगा, इसीलिये कहा कि सोडियम सल्फेट का कारखाना नहीं खोल रही है। उसका कारखाना नहीं होता है। वह एक चीज़ है जो कि निकाली जाती है। उससे

[श्री चांदमल मेहता]

२० लाख इस साल आमदनी हुई है। अलबत्ता यह बात है कि सोडियम सलफाइड बनाने के बारे में जरूर सोचा जा रहा है। वह भी इसलिये सोचा जा रहा है कि ऐसा मालूम हुआ है कि सोडियम सल्फेट का जो उत्पादन है वह कुछ वर्षों में खत्म हो जायगा तो उसको कायम रखने के लिये रेफ्रिजिरेटर का प्लान्ट लगाने की आवश्यकता है। उसके लिये जरूर विचार हो रहा है और इसकी व्यवस्था बहुत जल्दी थोड़े समय में हो जायगी। इसी तरह सोडा कास्टिक और सोडा एश के बारे में कहा गया है कि इसके लिए जो वितरण आदि हैं उनके बारे में बराबर सरकार की ओर से एक समिति बनाई गई है, और वे इसका पूरा-पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि बहुत जल्दी से ही वहां पर कारखाना शुरू कराकर या अगर दूसरी पार्टीज़ आती हैं तो उनको यह कारखाना खोलने की सुविधा दी जाय।

यह भी बतलाया गया है कि प्रोस्पेक्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। पेट्रोलियम के प्रोस्पेक्टिंग के बारे में कहा गया है। वहां पर अब बहुत सी पेट्रोलियम के प्रोस्पेक्टिंग की व्यवस्था की गई है भारत सरकार की ओर से और उसमें राजस्थान सरकार का भी पूरा सहयोग है और राजस्थान सरकार की प्रार्थना पर ही यह व्यवस्था की गई है। इसका जो परिणाम आयेगा वह सब के सामने रखा जायगा।

इसी तरह तांबे की ज्योलाजिकल सर्वे की जा रही है। खेतड़ी में हो चुकी है और इस तरह से अलवर में अच्छे डिपोज़िट्स तांबे के मिले हैं, उनके लिये भी सर्वे हो रही है। ज्योंही सर्वे पूरी हो जायगी तो उसके आगे की कार्यवाही शुरू कर दी जायगी।

एक मित्र ने बतलाया है कि भीलवाड़े के आस-पास में गन्ने की पैदावार होती है, लेकिन गन्ने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। सरकार ने इस वर्ष, चालू वर्ष में, और पिछले वर्ष में जो विजयनगर में शुगर फैक्ट्री है, उन्होंने गन्ना नहीं लिया था तो उस गन्ने का उपयोग करने के लिये एक दूसरी फैक्ट्री को कहा था और उनका गन्ना ले जाने की व्यवस्था कर दी थी। इस वर्ष भी ऐसी व्यवस्था की है कि भोपालगढ़ शुगर फैक्ट्री उसको ले और उनको पैसा मिले। हो सकता है कि वह साख देर से होने से या उस वर्ष गुड़ के भाव सस्ते होने की वजह से जो लोग गुड़ बनाते थे, उनके द्वारा गुड़ बनाने के बनिस्बत गन्ना बेचने की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया है, इससे उन लोगों को कोई असुविधा हो, किन्तु जल्दी से ही वहां सिंचाई के और भी बड़े बड़े साधन उपलब्ध हो रहे हैं-जैसे कान्डी नदी का बांध, मनसी का बांध, खारी नदी का बांध, आदि बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बन रहे हैं, इसलिए वहां पर एक फैक्ट्री और ज्यादा चालू हो सकती है। सरकार इस मामले में बड़ी सावधान है। वहां शुगर फैक्ट्र खोली जाय, इसके लिए जांच करानी होगी कि आया विजयनगर की जो फैक्टी है उसकी क्या स्थिति है? अगर वह बन्द होती है और नहीं चल सकती है तो दूसरी फैक्ट्री को स्वीकृति दी जा सकेगी। इसी तरह अन्य स्थानों के लिए भी कोशिश कर रहे हैं।

एक यह भी बतलाया गया है कि रॉयल्टी की वसूली जबरदस्ती की जा रही है। यह बात ठीक है। रॉयल्टी लोग देते नहीं हैं, इसलिये रॉयल्टी वसूल करने में थोड़ी सख्ती की जा रही है। यही सख्ती पूरी नहीं होने से ५ लाख की बड़ी रकम इकठ्ठी नहीं हो रही थी। अब यह रकम इकट्ठी हो गई है। इसकी वसूली के लिए यह बतलाया गया है कि एक व्यक्ति से सख्ती नहीं की जा रही है और दूसरे व्यक्ति के साथ सख्ती की जा रही है। ऐसी बात नहीं है। एक के लिये जो ऑर्डर्स हुए हैं, वेही दूसरे के

[श्री मोगेलाल पंड्या]

लिए हुए हैं। किन्हीं कारणों से सरकार जिनमें कुछ नहीं कर सकती है, ऐसों के लिए स्टे ऑर्डर्स दिये हैं। जहां विवश होकर स्टे ऑर्डर देना पड़ गया, वहां पड़ गया। किन्तु सबों के साथ इसकी वसूली की कार्यवाही हो रही है और यह आशा की जाती है कि यह रकम ऐसी सख्ती करने से वसूल हो जायगी।

किसी मेसर्स मोतीलाल शंकरलाल के फैक्ट्री लगाने के बारे में यह कहा गया कि वे २-३ महीने तक यहां पड़े रहे, लेकिन उन बेचारों को मन्जूरी नहीं मिली। न तो उन्हें दो-तीन महीने ठहरना पड़ा, वैसे वह मुझसे मिले थे तो पहले ही दिन, जिस दिन वह मुझसे मिले थे कह दिया था कि अमुक सरकार के नियम थे, उन नियमों से आपकी एप्लीकेशन टेली नहीं होती है, इसलिये आपको जल्दी स्वीकृति नहीं मिल सकेगी। यह मैंने पहले ही दिन कहा था। उसके बाद फिर भी वे प्रयत्न करते रहे कि कोई भी बात नहीं है, किसी तरह से स्वीकृति मिल जानी चाहिये। ऐसे मामलों में सरकार सोचकर कोई निर्णय करे तो अच्छा है। इसलिये सूचना पहले दिन ही दे दी गई थी, बाकी जो कार्यवाही है; वह चल रही है।

यह भी बतलाया गया है कि इन्डस्ट्रीज़ के मामलों में सरकार रोड़े अटकाती है। सरकार रोड़े नहीं अटकाती है, लेकिन सहयोग देती है। यह मालूम होता है कि किसी के द्वारा सहयोग देने में देरी की जाती है या गलती की जा रही है तो उनकी कठिनाइयों को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया जाता है।

मेरे माननीय मित्र ने बतलाया कि चित्तौड़ में जो उद्योग चलते हैं, उन पर पूरा-पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है और उसका कारण क्षेत्रीय भावना, जागीर-क्षेत्र आदि बतलाया। जहां तक इन्डस्ट्री के मामले का सवाल है–गवर्नमेंट को स्वप्न में भी ख्याल नहीं आया कि जागीर के क्षेत्र के अन्दर कोई इन्डस्ट्री नहीं खोली जाय और दूसरे क्षेत्रों में खोली जाय, या जागीरी क्षेत्रों के लोगों को सहयोग नहीं दिया जाय और दूसरों को दिया जाय। चित्तौड़ के लिए मैं विश्वास दिलाता हूं कि वहां के लिए गन्ना तो अभी जितना पैदा होता है, वह भोपालसागर मिल में जाता है। वहीं नहीं, बल्कि दूसरी जगह मालवा में जो मिल है, वहां भी जाता है और वे भी इसके लिये मांग कर रहे हैं। लेकिन इतना गन्ना नहीं पैदा होता कि हम उनको भी दे सकें। जब गंभीरी आदि का कार्य पूरा हो जायगा, तब संभव है भीलवाड़ा और चित्तौड़ को मिलाकर एक मिल के लिए पूरा गन्ना मिल सके और मैं पहले बता चुका हूं कि यह संभव नहीं है कि दूसरी मिल खुल सके।

कागज उद्योग के बारे में यह कहा गया कि प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी आदि क्षेत्रों में बांस इतना पैदा होता है कि जिससे कागज की मिल बन सके। यहां की बांस और घास इतनी उपयोगी है या नहीं, इसकी जांच कराई जा रही है। इसी तरह यह भी बताया गया कि सागवान से दियासलाई का उद्योग चल सकता है। सागवान से दियासलाई का उद्योग नहीं चल सकता फिर भी सतीश बाबू से, जब मैं पिछली बार कलकत्ता गया था; तब बात-चीत की थी। उनके यहां हाथ से दियासलाई बनाने का काम चल रहा है और वह काफी उपयोगी भी है और राजस्थान में भी वह उपयोगी हो सकता है। मैं खुद उसको देख आया हूं और यहां से एक-दो कार्यकर्ताओं को भी काम सीखने

[श्री भोगीलाल पंड्या]

के लिए भेजा है। उनके वापिस आने पर पता चलेगा। इस सागवान का उपयोग हो सकता है, लेकिन यदि हम माल बनाकर बाहर भेजें तो इतनी बिक्री बाहर हो सकती है या नहीं, यह देखने की बात है। यदि कोई सहकारी समिति बनावे तो सरकार उसको सहायता दे सकती है।

भरतपुर में नमक के बारे में भी कहा गया और वास्तविक बात मित्र ने बताई, उसी तरह की है। भारत सरकार के साथ राजस्थान सरकार प्रयत्न कर रही है कि नमक को गृह-उद्योग की तरह काम में लाने की इजाजत दे दे। हमने भारत सरकार से यह भी कहा है कि नमक का क्या-क्या उपयोग हो सकता है? उसके अनुसंधान में आप भी हमको सहयोग दीजिये।

यह भी बतलाया गया था कि टिम्बरू का पौधा बांसवाड़े की तरफ होता है, उसका उपयोग किया जावे। यह ठीक है कि वहां यह काफी होता है और बहुत से लोग उसको बाहर ले जाते हैं, किन्तु यह बात नहीं है कि बांसवाड़े में इससे बीड़ी बनाई नहीं जाती है। बांसवाड़ा और उसके आस-पास के कस्बों में बीड़ी बनती है, और दूसरी जगह भी बनती है। सरकार की ओर से इसके लिए कोई भी रोक नहीं है। यदि कोई कारखाना बनाता है और उसके लिए सहकारी समिति बनावेंगे तो उनको आर्थिक सहायता या लोन दिया जा सकता है। बांस का जो उद्योग है, उसके लिये ऐसी योजना चालू करने का निश्चय किया गया है कि वहां के बांस से कुछ चीजें बनाई जावें और बाहर भेजी जावें।

यह भी बताया गया है कि अनाज के भाव काफी गिर गये हैं। इस बारे में बात-चीत काफी हो चुकी है। इसको ठीक करने के लिए सरकार की ओर से ६ रुपया मन बाजरा और ५॥ रुपया मन मक्का और ज्वार खरीदने की व्यवस्था की गई है। इससे काफी भाव ठीक होगा और यदि आवश्यकता हुई तो दूसरे अनाज को खरीदने की व्यवस्था करने की बात भी सोची जा सकती है। मेरे ख्याल से जो बातें मित्रों ने बताई थीं, उनका स्पष्टीकरण जहां तक हो सका, किया है और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव वापिस ले लेंगे।

श्री चान्दमल मेहता—माननीय उपाध्यक्ष, मैंने तीन कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे और प्रथम कटौती प्रस्ताव का जो गोलमाल जवाब मिला, वह मेरी कल्पना के माफिक ही मिला। मैं सरकार से निश्चित तौर से यह जानना चाहता था कि क्या सरकार की नीति चन्द उद्योगों पर रॉयल्टी लगाने की है या सभी के ऊपर? दूसरी बात यह थी कि क्या सरकार सभी उद्योगों पर से रॉयल्टी उठाने का विचार कर रही है और तीसरी यह थी कि क्या सरकार चन्द पुराने उद्योगों पर रॉयल्टी लगाकर नये-नये उद्योगों को रॉयल्टी से मुक्त करना चाहती है। उन्होंने इनका स्पष्टीकरण न करके गोलमाल जवाब दे दिया। भीलवाड़ा की बात कह दी और कुछ इधर-उधर की बातें बता दीं, मैंने अलग-अलग बताने की कोशिश की थी कि बीकानेर में रॉयल्टी नहीं है, कोटा में चन्द उद्योग पर है और जोधपुर में चन्द उद्योगों पर है, लेकिन उदयपुर में सबसे अधिक है, राजस्थान के निर्माण के बाद नये कारखाने पर रॉयल्टी उदयपुर को छोड़ कर कहीं भी नहीं लगाई गई है; क्या सरकार इस रॉयल्टी को कायम रख कर यह चाहती है कि यह असमानता बनी रहे? कुछ तो एग्रीमेन्ट के आधार पर कारखाने खुले थे, उनमें से कुछ थोड़े से अब रहे गये हैं। इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित आश्वासन नहीं मिला है, फिर भी मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं।

[श्री चांदमल मेहता]

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव किशनगढ़ पर लगने वाले सीमेन्ट सेल्स टैक्स के बारे में था। इसको मन्त्रीजी ने यह कह कर टाल दिया कि किशनगढ़ को एक सुविधा है कस्टम की; इसी दृष्टि से इस पर लागू होगा। मैं यह बताना चाहता हूं कि कस्टम कुछ काल के लिये श्री वेंक्टाचार की वक्त में लगा था। उस वक्त भी यह चालू रहा। इसका कस्टम से कोई सम्बन्ध नहीं है। जिस तरह की दूसरी सुविधाएं देना चाहते हैं, उसी तरह इस पर भी मन्त्रीजी ने कहा कि इस पर विचार उस समय किया जा सकता है जबकि सेल्स टैक्स लगेगा। मैं उम्मीद तो निश्चित बात की करता था, लेकिन उनके कहने के अनुसार–विचार किया जा सकता है, इसी में उनकी भावना मानकर यह सोचते हुए कि मन्त्रीजी इस पर विचार करेंगे, मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

मेरा तीसरा कटौती प्रस्ताव बहुत ही महत्व का था। मैं सरकार से यह चाहता था कि आज उद्योग मन्त्रीजी के मुंह से सरकार की औद्योगिक पॉलिसी की घोषणा सुनने का मौका मिलेगा; राजस्थान सरकार उद्योगों के बारे में क्या पॉलिसी अपनाने जा रही है। लेकिन यह सुनने को मिला कि सरकार विचार कर रही है कि किनको सेल्स टैक्स की छूट देनी चाहिये ? यह मसला सरकार के सामने है। मैं उम्मीद करता हूं कि सेल्स टैक्स लगने के पहले ही विचार निश्चित तौर से कर लेगी और अपनी औद्योगिक पॉलिसी ठीक करेगी। यह कहता हुआ मैं अपना तीसरा कटौती प्रस्ताव भी वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि तीनों कटौती प्रस्ताव, जो श्री चांदमलजी ने प्रस्तुत किये हैं, उनको वापिस लेने की अनुमति दी जाय। क्या सदन की अनुमति है ?

(अनुमति दी गई)

तीनों कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री चान्दमल मेहता—मैं अपने तीनों कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है, "कि अनुदान के लिये मांग संख्या २३, मेजर हैड ४३–उद्योग एवं प्रदाय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ६४,७६,००० रु० की राशि प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकृत हुई।

मांग संख्या १७—चिकित्सा

श्री कुम्भाराम आर्य—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि अनुदान के लिए मांग संख्या १७, मेजर हैड ३८—चिकित्सा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १,४०,९५,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved.

श्री भोपालसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३८, स्वास्थ्य के अनुदान की राशि १,४०,६५,००० रु० में १ रु० मात्र की कटौती की जाय (अस्पतालों की कमी पर विचार प्रकट करने के लिये)।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि डेगाना में डेढ़ लाख की आबादी है और वहां एक भी अस्पताल नहीं है। और मेड़ता में २५ माइल पर अस्पताल है, वहां दवाई देने का पूरा प्रबन्ध नहीं है और जहां भी राजस्थान में अस्पताल हैं वहां डाक्टर दूसरे दूकानदारों की दवाइयां बिकवाते हैं। जहां दवाइयों की दूकानें हैं, वहां बहुधा डाक्टरों का कमीशन रहता है और गरीबों-अमीरों सबको कहते हैं कि यह दवाई खरीद कर ले आवो। इसलिए मेरी अर्ज है कि दवाइयां हर एक को अस्पताल से दे दी जावे तो अच्छा है, नहीं तो बेचारे गरीब लोग बीमारी का इलाज नहीं करवा सकते। एक तो घर का काम छोड़ कर चक्कर लगा कर बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं और वहां पर डाक्टर जब दवाई खरीदने के लिये कहता है तो बेचारे गरीब लाचार होकर बिना इलाज कराये ही अपने गांवों को लौट जाते हैं, क्योंकि उनके पास दवाइयां खरीदने के लिये पैसे नहीं होते हैं। इसलिए अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां मिलनी चाहिये।

एक लाख की आबादी पर एक अस्पताल तो कम से कम होना आवश्यक है और हर १२ मील पर एक औषधालय खोला जावे तो अच्छा रहेगा। औषधालय अगर अभी कायम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वैद्यों को अलाउन्स देकर काम शुरू करवाना चाहिये। अभी अस्पताल नहीं खोल सकते हैं तो डाक्टरों को मोटरों में भेजें और गांवों में लोगों को दवाइयां दिलानी चाहिये।

मेड़ता और डेगाना की दो तहसीलें हैं, वहां कोई पासशुदा नर्स नहीं है। इसलिए स्त्रियों को बीमारी के समय बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कम से कम एक नर्स तो होना आवश्यक है और दो-चार दाइयां भी रखी जानी चाहिये।

एक मेरी यह अर्ज है कि अगर सरकार की मंशा यह है कि मेड़ता तहसील में एक अस्पताल खोला जावे तो थांवला सेन्टर में आया हुआ है, वहां अस्पताल होने से सुविधा रहेगी। इसलिए मेरी अर्ज है कि डेगाने तहसील का हिस्सा ही है थांवला; वहां अस्पताल खोला जाय और औषधि के लिये ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रबन्ध किया जावे।

श्री तनसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार है कि मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा में १ रुपये मात्र की कटौती की जाय (नाहरू की व्याधि से मुक्त कराने की असफलता पर विचार प्रकट करने के लिये)।

मैंने कटौती का प्रस्ताव निश्चित विषय पर रखा है और वह यह है कि एक बीमारी–जिसको नाहरू, नारवा और कई जगह बाला भी कहते हैं, उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। इसकी रोक-थाम के लिये यदि सरकार ने कोई कदम उठाये हैं तो वे नगण्य हैं। इसलिये मैंने एक कटौती का प्रस्ताव रख कर

[श्री तनसिंह]

सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि अब वह कुछ और भी वैज्ञानिक आधार पर कदम जो अभी उठाये जा रहे हैं, उनसे ज्यादा और कदम उठाये । इसलिये मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विशेषज्ञों की राय में इस बीमारी का कारण गंदा पानी बताते हैं और गंदा पानी पीने से कुछ कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और उनके द्वारा यह बीमारी होती है । तो कई जगह बरसाती पानी या गन्दा पानी पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहां पर तो इस व्याधि की शिकायत नहीं रहती । पर कई इलाके ऐसे हैं जहां जैसा भी पानी उपलब्ध हो, पीना पड़ता है । वहां इस तरह की बीमारी पैदा हो जाती है । यह बीमारी विशेषकर बरसात में होती है । बरसात का गंदा पानी पीने को वर्षा ऋतु में मिलता है इसलिये यह बीमारी वर्षा ऋतु में होती है, इसलिये किसानों को इससे और भी परेशानी होती है। एक ओर तो उनका खेती अंवेरने का वक्त होता है और उधर यह बीमारी हो जाती है ।

एक बार मैंने सदन में प्रश्न पूछ कर सम्बन्धित मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहा था तो उत्तर में उन्होंने बताया था कि इस बीमारी को रोकने के लिये लाल दवाई को गन्दे पानी के कुओं और तालाबों में डालने का प्रबन्ध किया है और एक बाला हकीम जोधपुर में नियुक्त किया है जो घूम-फिर कर इस बीमारी का इलाज करे ।

जो लाल दवाई गन्दे पानी के कुओं और तालाबों में डालने का मन्त्री महोदय ने फरमाया था, मैं नहीं समझता कि वह कहीं छिड़की गई । यदि कहीं छिड़की भी गई तो वहां छिड़काई गई होगी जहां कि यह बीमारी नहीं होती ।

रेगिस्तान में ऐसी दवाई छिड़कने का या और इस प्रकार का इस बीमारी को रोकने के लिये प्रिकाशन (Precaution) लेने का कोई भी उदाहरण नहीं ।

बाला हकीम भी मुकर्रर किया गया है । वह अकेला आदमी पूरे जोधपुर डिविजन के लिये मुकर्रर किया जाता है, जिसके पास कि कोई आवागमन के साधन नहीं हैं । कैसे अकेला जोधपुर डिविजन को संभाल सकता है ?

इन हकीमों की संख्या न बढ़ाने का कारण मन्त्री महोदय ने बताया कि वह एक ही विशेषज्ञ है और दूसरे जो उसके साथ मिलते हैं, उन्हें वह सर्टिफिकेट नहीं दिया है और जब तक कि वे लोग इस कार्य में विशेषता हासिल नहीं कर लेते, तब तक कैसे ऐसे लोगों के हाथों में जनता के जीवन को सौंपा जा सकता है । एक अशिक्षित अनपढ़ व्यक्ति जो अपने अनुभवों से इस प्रकार की व्याधि के इलाज में इस तरह की कामयाबी प्राप्त कर चुका है, तो क्या राजस्थान सरकार के चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष, जिनके पास आधुनिक वैज्ञानिक साधन हैं वे देखते ही रहेंगे या इस दिशा में कुछ करेंगे ? एक अशिक्षित व्यक्ति अपने अनुभवों द्वारा इतना ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो कोई बात नहीं कि चिकित्सा विभाग के पढ़े-लिखे अधिकारी इसमें अनुभव हासिल नहीं कर सकते ।

[श्री तनसिंह]

लेकिन जो कुछ है, वह इस बात को नहीं बताती कि यहां की शिक्षा और यहां के लोगों की योग्यता थोड़ी है, बल्कि इस बात को बताती है कि सिर्फ आलस के कारण या आभास के कारण ही कदम नहीं उठाया गया; नहीं तो कोई कारण नहीं कि यहां के डाक्टर इस प्रकार की बीमारी को मिटाने में असमर्थ क्यों हैं। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से लोगों को जब बाला होता है तो जब वे डाक्टर के पास जाते हैं तो वे उसको ठीक तरह से नहीं निपटाते। इसलिये या तो वे किसी हकीम के पास या दूसरे लोगों से जिन्होंने अनुभव द्वारा दवाई प्राप्त की हो, उनसे इलाज कराते हैं। इसलिये मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा या अन्य किसी स्थान पर विशेष शिक्षा प्राप्ति के लिये यहां से किसी को भेजा जाना चाहिये, चाहे वे कोई ही क्यों न हों और इस प्रकार से काफी लोगों को सिखाया जाना चाहिये। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि जहां तक मुझे याद है-एक बाले के संबन्ध के प्रश्न में २ लाख के आंकड़े पहुंचते हैं। ये आंकड़े वे आंकड़े हैं जो हॉस्पिटल में लिये गये और जो रोगी वहां पर अपना नाम दर्ज कराते हैं और दवाई लेते हैं। इसके अलावा भी ऐसे कई लोग हैं जो गांवों में पड़े-पड़े अपने भाग्य को कोसते रहते हैं और अपनी बीमारी का इलाज भगवान के भरोसे पर कराते रहते हैं और उनकी तादाद बहुत अधिक होती है। यदि सरकार एक हकीम बाले के लिये सारे राजस्थान के लिये नियुक्त करती है तो यह कोई पर्याप्त संख्या नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस बीमारी को जो बहुत करके वर्षा में होती है और इसी मौसम में किसानों के काम भी होता है और काम की जरूरत में वे बीमार पड़े रहते हैं, इसलिये इसको रोकने के लिये जो जोधपुर में ही एक हकीम को रखा गया है, उसके अलावा दूसरों को भी किसी स्थान पर ट्रेनिंग के लिये भेज कर इस योग्य बनाया जावे ताकि इस प्रकार की बढ़ती हुई बीमारी को रोका जावे।

श्री खेतसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा कट-मोशन इस प्रकार है:—

"That the demand for grant No. XVII, Major Head 38-Medical be reduced by Re. 1/- (to discuss inadequacy of Ayurvedic Aid-posts in desert areas)."

माननीय उपाध्यक्ष, मैंने यह कटौती का प्रस्ताव इसलिये प्रस्तुत किया है कि जोधपुर के शहर से ५० मील की दूरी पर जाने पर एक रेगिस्तान शुरू हो जाता है जिसको थार का रेगिस्तान कहते हैं और जो पाकिस्तान की सीमा तक लगता है, आता है। उसकी लंबाई २०० मील होगी और उसकी आबादी करीब दो लाख के होगी जिसमें शिव और शेरगढ़ तहसीलें आ जाती हैं। इसमें बहुत कम एड-पोस्ट और चिकित्सा का प्रबन्ध है। अभी तक चिकित्सा और हैल्थ के मिनिस्टर साहब ने इसका दौरा नहीं किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वे वहां का दौरा करके देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि वहां पर कोई चिकित्सा का प्रबन्ध नहीं है। जहां तक मुझे मालूम है, शेरगढ़ में एक डिस्पेन्सरी है और उसके अलावा दो एड-पोस्ट हैं, जिनमें से एक तो पिछले साल हमारे स्वायत्त शासन और हैल्थ मिनिस्टर ने खुलाया वह है और एक पुराना है। मगर बालेसर के एड-पोस्ट की यह हालत है कि वहां पर आठ महीनों से कोई वैद्य नहीं है, दूसरा जो है उसमें दवाइयां नहीं हैं, मगर वैद्य हैं। इस प्रकार के एड-पोस्टों से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर खास तौर से ध्यान सरकार को देना

[श्री खेतसिंह]

चाहिये । इसके अलावा हम कल्याणकारी राज्य की बात भी कह रहे हैं और यह कह रहे हैं कि जानवरों की चिकित्सा का प्रबन्ध कर रहे हैं । मगर मैं तो यह कहूंगा कि हमारे उस इलाके में इन्सानों की भी चिकित्सा का प्रबन्ध नहीं, यह हमारे लिये बड़े खेद की बात है । मैं मांग करूंगा कि इसके लिये एक करोड़ ४८ लाख का जो बजट रख रहे हैं; उसमें इन इलाकों की ओर अवश्य ध्यान दिया जावे । लेकिन फिर भी ऐसी बात नहीं कि इतनी बीमारों की कमी हो कि वहां पर एड-पोस्ट नहीं खोला जावे । वहां पर बीमारी प्रकृति की दया से कम होती जरूर है । इसलिये उन्हें चाहिये कि वे अपने जवाब में इस बात का आश्वासन दें कि वहां पर ३ एड-पोस्ट खोले जावेंगे और ये एड पोस्ट-देचू, केलवा और सोदरा जो तहसील शिव में हैं, खोले जाने चाहिये ताकि लोगों को काफी राहत मिले । साथ ही साथ मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि हम काफी प्रगति कर रहे हैं और एक एक डिस्ट्रिक्ट में दो-दो, तीन-तीन, डिस्पेन्सरी खोल रहे हैं तो एक डिस्पेन्सरी बालेसर में–जो शेरगढ़ तहसील का सबसे बड़ा गांव है, वहां पर खोलने का आश्वासन दें । शेरगढ़ में भी दवाइयों की बहुत कमी है । इसलिये इसके लिये माननीय मंत्री जांच करें कि क्या वास्तव में दवाइयों की कमी रहती है या बजट में दवाइयों के लिये ही कमी रहती है ? और वहां पर दवाइयों का प्रबन्ध करें और लोगों को फ्री इन्जेक्शन दें ।

श्री तेजमल बापना—(बोलने के लिये खड़े हुए) माननीय उपाध्यक्ष,......

श्री जवानसिंह— माननीय उपाध्यक्ष, आज दूसरी मीटिंग भी शुरू हो रही है । १२ बज गये हैं तो ऐसी हालत में कल के लिये सदन को स्थगित किया जाए ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—१२॥ बज चुके हैं और दूसरी मीटिंग भी होगी; इसलिये अब सदन की कार्यवाही स्थगित की जावे ।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री तेजमल बापना को संबोधित करते हुए) आप ज्यादा समय तो नहीं लेंगे ?

श्री तेजमल बापना— १०–१५ मिनिट लगेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि प्राक्कलन समिति १९५५–५६ (एस्टीमेट्स कमेटी १९५५–५६) के चुनाव के हेतु दिये गये मतों की गणना, आज दिनांक २२ मार्च, सन् १९५५ को सायं ५ बजे विधान-सभा भवन के समिति-कक्ष में प्रारम्भ होगी । यह सूचना माननीय सदस्यों को परिपत्र द्वारा पहिले भी दी जा चुकी है ।

श्री तेजमल बापना—यह सूचना हमें मिल गई है, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष—कल से सभा की कार्यवाही ८ बजे प्रारम्भ होगी और १ बजे तक चलेगी ।

श्री गोपीलाल यादव—उपाध्यक्ष महोदय, अगर ८ बजे से १ बजे तक का समय रखा जाता है तो ९॥ बजे से १० बजे तक रीसेस रखी जाय और उसमें सदस्यों को चाय पिलाई जाय ।

श्री मथुरादास माथुर—आपको आजादी है चाय पीने की।

श्री उपाध्यक्ष—सभा की कार्यवाही कल दिनांक २३–३–५५ के ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही १२–३० मध्याह्नोत्तर पर कल बुधवार, दिनांक २३-३-५५ के प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक–२२ मार्च, १९५५।

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १५४ का उत्तर देखिये)

जो चुनाव में नहीं आये उन इन्सपेक्टरों की सूची

क्रम सं०	नाम इन्सपेक्टरों के	ता० नियुक्ति	योग्यता	वेतन
१.	श्री शिवसहाय, ऑफिस कानूगो, बैराठ	१–६–१६२६	पटवार पास	सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
२.	श्री बद्रीनारायण ऑफिस कानूगो, फागी	१६–१–१६३२	,,	,,
३.	श्री रूपसिंह, इन्सपेक्टर लेन्ड रेकॉर्ड, फुलेरा	१–२–१६३२	,,	,,
४.	श्री विरधीचन्द, इन्सपेक्टर, लेन्ड रेकॉर्ड, फुलेरा	१–३–१६३३	,,	,,
५.	श्री लक्ष्मीनारायण, इन्सपेक्टर लेन्ड रेकॉर्ड, आमेर	१५–५–१६३३	,,	,,
६.	श्री गोविन्दसिंह, इन्सपेक्टर लेन्ड रेकॉर्ड, फुलेरा	१८–५–१६३३	,,	,,
७.	श्री किशनबिहारी हजेला, ऑफिस कानूनगो, जयपुर।	३१–७–१६३६	,,	,,
८.	श्री रामचन्द्र, इन्सपेक्टर लेन्डरेकार्ड, आराई	६–१०–१६४२	,,	,,
९.	श्री जगन्नाथ पुरी, इन्सपेक्टर, लेन्ड रेकॉर्ड, आमेर	१७–१२–१६४२	,,	,,

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १६२ देखिये)

जिन जागीर के गांवों में रसूम पटेलान दे दी गई है उनकी सूची

तहसील का नाम	जागीर का गांव	वर्ष
१. तालेरा	खेरला	४६-५० से ५३-५४
२. ,,	एापावाडा	,, ,,
३. ,,	बरून्दा	,, ,,
४. ,,	बालोप	,, ,,
५. ,,	लीलेरा चारणों का	,, ,,
६. ,,	अलकांडिया	,, ,,
७. ,,	बीलवा	,, ,,
८. ,,	माईपुरा	,, ,,
९. ,,	कुमारिया	,, ,,
१०. ,,	गोपालनिवास	,, ,,
११. नैनवा	करेरी	५२-५३ से ५३-५४
१२. ,,	देवरी	,, ,,
१३. ,,	महेवतपुरा	,, ,,
१४. ,,	पटकरा	,, ,,
१५. हिन्डोली	रेगरडी	५०-५१
१६. ,,	जाखोली कलां	,, ,,
१७. ,,	सलावलिया	,, ,,
१८. ,,	चैनपुरिया	,, ,,

१६.	,,	बासनी	,,	,,
२०.	,,	पगारन	,,	,,
२१.	,,	जाड का नया गांव	,,	,,
२२.	,,	इरना	,,	,,
२३.	,,	मांगली	,,	,,
२४.	,,	सहसपुरिया	,,	,,
२५.	,,	दोवारा	,,	,,
२६.	,,	नाजावर	,,	,,
२७.	,,	सोरन	,,	,,
२८.	,,	रसान्डा	,,	,,
२६.	,,	खाटावाड़ा	,,	,,

इनके अतिरिक्त दूसरे जागीर के गांवों में अभी रसूम पटेलान नहीं दी गई है।

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या १८० का उत्तर देखिये)

	नाम स्कूल्स्	रकम सहायता	
१.	मुस्लिम गर्ल्स स्कूल, जयपुर	१५५२	रु०
२.	कन्या सदाचार पाठशाला, जयपुर	२८१६	,,
३.	सेंट एंग्लस गर्ल्स स्कूल, जयपुर	६६२	,,
४.	मिशन गर्ल्स एम० स्कूल, जयपुर	६२३४	,,
५.	महावीर दिगम्बर जैन बालिका विद्यालय, जयपुर	२२६५	,,
६.	बाल शिक्षा मंदिर, जयपुर	१४७४	,,
७.	महिला विद्यापीठ, जयपुर	२४८६	,,
८.	वीर बालिका विद्यालय, जयपुर	४१२६	,
९.	सरस्वती पद्मावती बालिका विद्यालय, जयपुर	२९३०	,,
१०.	हैप्पी स्कूल मोती डूंगरी, जयपुर	५८७	,,
११.	मिशन कोली गर्ल्स स्कूल, जयपुर	११६७	
१२.	आर. एन. रुइया कन्या पाठशाला, रामगढ	४८९०	,,
१३.	प्रयाग सती बालिका विद्यालय, सिंगाना	४४०	,,
१४.	नरसिंगदास बालिका विद्यालय, झुंझुनूं	३९०९	,,
१५.	कुमारी कृष्णा मकरेजा बालिका विद्यालय, इस्लामपुर	९१२	,,
१६.	श्री भवानी देवी बालिका विद्यालय, मंडराला	५३२	,,
१७.	सरंगीबाई बालिका विद्यालय, सुल्ताना	४३२	,,
१८.	कमलाबाई बजाज बालिका विद्यालय, गुढ़ा गोरी	५२०	,,
१९.	विद्या भवन, जोधपुर	८२४४	,,
२०.	वैदिक कन्या पाठशाला, बागर	६३६७	,,

२१.	श्री किशन कन्या पाठशाला ,जोधपुर	१५३६	,,
२२.	श्री सुभद्रा कन्या पाठशाला, वागरी	८५०	,,
२३.	महालक्ष्मी कन्या पाठशाला, जोधपुर	४६६०	,,
२४.	फूलचन्द कन्या पाठशाला, जोधपुर	३६३६	,,
२५.	महावीर कन्या पाठशाला, जोधपुर	५१००	,,
२६.	जय कन्या पाठशाला, जोधपुर	३०००	,,
२७.	सत्यनारायण कन्या पाठशाला, जोधपुर	८३०	,,
२८.	श्री उम्मेद कन्या पाठशाला, जोधपुर	३४६८	,,
२९.	आर्य कन्या पाठशाला, जोधपुर	४३३४	,,
३०.	सेन्ट एन्ड्रयूस गर्ल्स मिशन स्कूल, जोधपुर	२४४६	,,
३१.	सोहन गर्ल्स स्कूल, जोधपुर	४३२	,,
३२.	सुमेर गर्ल्स स्कूल, जोधपुर	२३००	,,
३३.	बाल विद्यापीठ पाठशाला, सूर सागर	१८१२	,,
३४.	श्री गुरु नानक नेशनल स्कूल, जोधपुर	११४०	,,
३५.	राजस्थान महिला विद्यालय, उदयपुर	२६७४५	,,
३६.	महिला आश्रम, भीलवाड़ा	७६२४	,,
३७.	वर्धमान कन्या पाठशाला, उदयपुर	३७६८	,,
३८.	महिला मंडल, उदयपुर	२२००	,,
३९.	मीरा विद्यालय, उदयपुर	११९०	,,
४०	आर्य कन्या पाठशाला, अलवर	२८२०	,,
४१.	श्री महिला विद्यापीठ. भूसावर	१३४२८	,,
४२.	आर्य कन्या पाठशाला, भरतपुर	२९००	,,

४३.	श्री जैन कन्या पाठशाला, जेरहेरा	६४३	,,
४४.	महिला प्राइमरी शिक्षा सेन्टर, अलवर	३६४	,,
४५.	मातृ सेवा सदन, कोटा	५५२	,,
४६.	महिला उद्योगशाला, कोटा	५६४	,,
४७.	एम. बी. गर्ल्स स्कूल, श्री करनपुर	५३२३	,,
४८.	सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला, चूरू	२११०	,,
४९.	एल. के. एस. जैन ट्रस्ट कन्या पाठशाला, बीकानेर	६६८४	,,
५०.	भैरू रत्न मातृ पाठशाला, बीकानेर	७५७३	,,
५१.	महिला जागृति परिषद्, बीकानेर	१४८२	,,
५२.	महिला मंडल, बीकानेर	१८६५	,,
५३.	बाल मंदिर, सरदार शहर	४७३४	,,

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या १८१ का उत्तर देखिये)

इस कार्यालय के अधीनस्थ संस्कृत कॉलेजों के ग्रेड्स निम्नलिखित हैं :—

Sanskrit College, Alwar.

1.	Principal	250-10-280-15-325-EB.-15-400	(Admissible to Acharya or M. A. in Sanskrit.)
2.	Professor	150-10-250	(Admissible to Acharya.)
3.	Teachers	90-5-120	(Admissible to those who possess the degree of Shastri.)
4.	Teachers	50-4-70	(Admissible to those who have passed Upadhyaya Examination.)

Sanskrit College, Jaipur.

1.	Teachers	100-5-150-EB.-10-200	(Admissible to an Acharya.)
2.	Teachers	90-5-120	(Admissible to Shastri.)
3.	Teachers	50-4-70	(Admissible to Upadhyaya.)
4.	Teachers	35-1-40	(Admissible to those who have passed Praveshika Examination.)
5.	Lecturers	150-10-250.	
6.	Professor	200-10-280-EB.-15-400.	
7.	Principal	300-25-450-EB.-25-600+100	Special pay.

Maharana Sanskrit College, Udaipur.

1.	Principal	250-10-280-15-325-EB.-15-400	(Admissible to an Acharya or M. A. in Sanskrit.)
2.	Professor	150-10-250	(Admissible to an Acharya.)

3. Teachers	90-5-120	(Admissible to those who possess the Degree of Shastri.)
4. Teachers	50-4-70	(Admissible to those who have passed Upadhyaya Examination)
5. Teachers	35-1-40	(Admissible to those who have passed the preveshika Examinaion.)

Sanskrit College, Jodhpur.

1. Principal	10-05-150-EB.-10-200	(Admissible to an Acharya.)
2. Professor	90-5-120	(Admissible to a Shastri.)
3. Teachers	50-4-70	(Admissible to those who have passed Upadhyaya Examination.)

Sanskrit College, Fathepura.

1. Principal	100-5-150-EB.-10-200	(Admissible to an Acharya.)
2. Teachers	50-4-70	(Admissible to those who have passed Upadhyaya Examination.)
3. Teachers	35-1-40	(Admissible to those who have passed Praveshika Examination.)

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या १८५ का उत्तर देखिए)

सन् १६५४–५५ में हरिजनों के जल-कष्ट निवारणार्थ नवीन कुओं के निर्माण के लिए जो रकम दी गई उसकी जिलेवार सूची।

क्रम संख्या	गांव का नाम	जिला	संख्या कुआं	रकम जो मंजूर की गई	योग
१	२	३	४	५	६
१.	सेमलिया	बांसवाड़ा	१	५००	
२.	नयागांव	,,	१	४००	
३.	लुहारिया	,,	१	५००	१,४००
४.	बारखेड़ा	कोटा	१	५००	५००
५.	पाली	पाली	१	५००	५००
६.	नीम का थाना	सीकर	१	५००	५००
७.	तोलासेही	झुंझुनू	१	५००	
८.	ओजहू	,,	१	५००	
९.	मालिया	,,	१	५००	
१०.	गोरवाडा नूनीया	,,	१	५००	
११.	पुरा की ढाणी	,,	१	५००	
१२.	नुआ	,,	१	५००	
१३.	पिलानी	,,	१	५००	
१४.	बलवन्तपुरा	,,	१	५००	४,०००
१५.	आकोड़िया	टोंक	१	१,०००	१,०००
१६.	हरसोली	अलवर	१	५००	५००
		योग	१६	८,४००	८,४००